सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

जिला आपदा प्रबन्धन योजना

ब्यावर

वर्ष 2026

जिला प्रशासन, ब्यावर

कार्यरत नियंत्रण कक्ष

क्र.स.	विवरण	दूरभाष नं0
1	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जयपुर	0141—2385776
2	जिला ब्यावर आपदा नियंत्रण कक्ष	01462—299314
3	पुलिस विभाग नियंत्रण कक्ष, ब्यावर	**01462-250100**

अनुक्रमणिका

क.सं.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
अध्याय–1	प्रस्तावना	**1-2**
1.1	विकास और आपदा	**1**
1.2	बहु–आपदा अनुक्रिया योजना	**1**
1.3	जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य	**2**
1.4	नीति गत कथन	**2**
अध्याय – 2	जिले की रूपरेखा	**3-10**
2.1	भौगोलिक स्थिति	**4**
2.2	प्रशासनिक संरचना	**5-6**
2.3	भौतिक स्वरूप	7
2.4	ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि	8
2.5	आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति	9
2.6	सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां	10
अध्याय – 3	जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन	**11-13**
3.1	संभावित विपदाओं की पहचान	11
3.2	संवेदनशीलता	12
3.3	खतरा	13
अध्याय – 4	आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु सामान्य कार्य योजना	**14-26**
अध्याय – 5	जिले में संभावित आपदाएं एवं कार्य योजनाएं	**27-50**
5.1	सूखा	**27-30**
5.2	बाढ़	**31-34**
5.3	दुर्घटना	**35-37**
5.4	भूकम्प	**38-42**
5.5	आग	**43-48**
5.6	रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ	**49**
5.7	ताप (लू) व शीतघात	**49-50**

परिशिष्टों की सूची

क्र.सं.	विषय सूची	पृष्ठ संख्या
1	जल संसाधन विभाग प्रमुख दूरभाष न. की सूची	51-53
2	रेनगेज स्टेशनों की सूची	54-55
3	बांधों के निकटस्थ सुरक्षित स्थलों की सूची	56
4	रेनगेज की सूचना देने वाले कार्मिकों की सूची	57
5	प्रमुख तालाबों की सूची	58-61
6	टैंकों की सूची	62
7	जल संसाधन विभाग समस्त कर्मचारियों की सूची	63
8	बांधों के वर्षा पूर्व जल स्तर की सूची	64
9	बांधों के समीप मशीनरी की सूची	65
10	ब्यावर के तालाबों के रूट चार्ट	66-67
11	पशुपालन विभाग के त्वरित कार्यवाही दल की दूरभाष न. सूची	68-69
12	बैंकों की सूची	70-75
13	गैस एजेंसियों की सूची	76-78
14	पेट्रोल पंपों की सूची	79-82
15	सहकारी समितियों की सूची	83
16	नागरिक सुरक्षा विभाग के पास उपलब्ध उपकरणों की सूची	84
17	पावर स्टेशनों की सूची	85-87
18	फायर स्टेशन कंट्रोल रूम दूरभाष न. सूची	88
19	आश्रय स्थलों/होटल/विश्राम स्थलों/सिनेमाघरों की सूची	89-95
20	पुलिस विभाग के प्रमुख संपर्क सूची	96-97

अध्याय–1

प्रस्तावना

1.1 विकास और आपदा

इतिहास की शुरूआत से ही मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाये रखने के लिए प्रकृति से संघर्ष कर रहा है। भले ही मनुष्य ने सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी के क्षेत्र में काफी प्रगति कर ली है। परन्तु आज भी आपदाएं उसके नियत्रण में नहीं हैं वरन् प्रौद्योगिक और औद्योगिक विकास ने मनुष्यकृत आपदाओं के लिए नये द्वार खोल दिए है जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे है। प्रतिवर्ष विश्व के कईं भागों में एक या अधिक प्रकार की आपदाओं का विनाशकारी प्रभाव पड़ता है जिससे जान व माल का काफी नुकसान होता है।
भारत देश भी बाढ़, भूकम्प सूखा आदि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है जिनसे मानव जीवन को अधिकतम क्षति होती है। सूखा व बाढ़ जैसी आपदाओं से फसल और वनस्पति के भारी नुकसान के अलावा पशु धन के साथ निजी तथा सार्वजनिक सम्पतियां भी नष्ट हो जाती है।

1.2 बहु–आपदा अनुक्रिया योजना

आपदा प्रबन्धन योजना राज्य एवं जिले में होने वाली संभावित आपदाओं जैसे भूकम्प, बाढ़, चक्रवात, सूखा, महामारी, औद्यागिक व रासायनिक दुर्घटनाएं, आगजनी, सड़क दुर्घटनाएं, रेल व वायुयान दुर्घटनाएं इत्यादि से निपटने हेतु एक सहायक दस्तावेज है। राजस्थान व सूखा एक दूसरे के पर्यायवाची बन गये हैं। पिछले 50 वर्षों (1950–2010) में मात्र सात वर्ष ही सूखा रहित रहे हैं जबकि 42 वर्षों में राज्य के किसी न किसी जिले का भाग अकाल ग्रस्त रहा है। इस प्रकार राज्य में भीषणतम सूखा लगातार 1965–69, 1979–82, 1984–87, 1991–92 ,1999–2000 व 2001 से 2010 पिछले दो दशकों में मात्र 1983–84, 1992–93, 1995–96 व 1997–98 ,2011–12 ही लगभग सूखा व अकाल रहित रहे हैं। राज्य में अकाल की निरन्तरता व सघनता बढ़ती जा रही है। जिसके परिणामस्वरूप राज्य के जिन जिलों में सूखा कभी–कभी पड़ता था वह अब स्थाई आपदा बन गया है। संवत 2057 में राज्य के 32 में से 31 जिले एंव 2066 में राज्य के 33 मे से 26 जिले व 2067 में पाली जिले के 1050 ग्राम सूखे से प्रभावित हुए। सूखा मात्र प्राकृतिक कारणों से ही नहीं वरन् मानव के अनियन्त्रित जल विदोहन, गलत फसलों के चयन, पर्यावरण में असन्तुलन के कारण भी होता है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सभी वर्ग के लोगों तथा मवेशियों पर पड़ता है। बाढ़ व भूकम्प भी ऐसी आपदाएं हैं जो विस्तृत क्षेत्र में जन, धन एव पर्यावरण को प्रभावित करते हैं जबकि महामारी जैसी आपदा का प्रभाव विशाल जन समूह पर देखा जाता है। इन सभी प्रकार की आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन हेतु व्यापक संसाधनों एवं प्रशिक्षित मानवशक्ति की आवश्यकता होती है।
जिला आपदा प्रबन्धन योजना आपदाओं के प्रबंधन हेतु बहु–अनुक्रिया योजना है तथा प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए यह संस्थागत ढांचे की रूपरेखा निश्चित करता है। यह योजना विशिष्ट आपदाओं की स्थिति में विभिन्न संस्थाओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को भी सुनिश्चित करता है।

1.3 जिला आपदा प्रबंधन कार्य योजना के उद्देश्य

जिला आपदा प्रबन्धन कार्य योजना बनाने के उद्देश्य निम्न हैं :–

1. जिले में आपदाओं से खतरे के प्रभाव का विश्लेषण कर जिले की तैयारियों को निर्धारित करना ।
2. जिले में विद्यमान विभिन्न आपदा नियंत्रण मूलभूत सुविधाओं के स्तर का पता लगाना तथा इसका जिला प्रशासन की क्षमता बढ़ाने में उपयोग करना।
3. आपदा न्यूनीकरण (Minimisation) के विभिन्न पहलूओं को क्षेत्र विशेष की विकास योजनाओं के काम में लाना।
4. जिले में पूर्व में हुई आपदाओं का विवरण, रिकार्ड, अनुभव के अनुसार भविष्य में उनसे निपटने के लिए रूपरेखा तैयार करना।
5. आपदा के आने पर विभिन्न विभागों के समन्वय एवं सामंजस्य से मानक कार्य प्रक्रिया अपना कर कार्यवाही का क्रियान्वयन करना।
6. राज्य सरकार की नीतिगत रूपरेखा (Policy Plan) के अन्दर जिला आपदा प्रबंधन योजना को एक प्रभावी प्रबन्धन औजार बनाना।

1.4 नीति गत कथन

निश्चित योजना के अभाव में आपदा आने पर कार्यों का समन्वय सुचारू रूप से नहीं हो पाता। किसी एक कार्य पर अत्यधिक ध्यान दे दिया जाता है तथा अन्य कार्य जो कि अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। ऐसी स्थिति खतरनाक हो सकती है। अतः पूर्व आपदा प्रबन्धन योजना अति–आवश्यक है जिसमें कार्य बिन्दु निम्न प्रकार है :–

(क) प्रतिक्रिया (Reaction/Response) कार्यों के सही क्रम की पूर्व योजना तैयार करना।

(ख) भागीदार विभागों की जिम्मेदारी निर्धारित करना।

(ग) कार्यरत विभिन्न विभागों के कार्य करने के तरीके का मानकीकरण (Standarisation) करना।

(घ) उपलब्ध सुविधा और स्त्रोतों की सूची तैयार करना।

(ड़) स्त्रोतों के प्रभावी प्रबन्धन की रचना करना।

(च) सभी सहायता कार्यों का पारस्परिक समन्वय करना।

(छ) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष से सहायता के लिए समन्वय स्थापित करना।

अध्याय–2

जिले की रूपरेखा

जिला ब्यावर

समुद्र तल से ऊँचाई 447.14 मी.

ब्यावर जिला दिनांक 07-08-2023 को विधिवत् रूप से अस्तित्व में आया। ब्यावर जिले का गठन अजमेर, पाली, राजसमंद एवं भीलवाडा जिले का पुनगर्ठन कर बनाया गया है। ब्यावर जिला औद्योगिक रूप से खासा समृद्ध जिला है तथा एक सीमेन्ट हब के रूप में विख्यात है। जिले के प्रमुख शहरों में बिजयनगर भी दूसरा बड़ा प्रमुख व्यापारिक शहर है, जहां कपास की मंडी है। ब्यावर में तीन कृषि मंडी क्रमशः ब्यावर, जैतारण एवं बिजयनगर है। शिक्षा की दृष्टि से यहां 8 सरकारी कॉलेज है। चिकित्सा की दृष्टि से यहां अमृतकौर राजकीय चिकित्सालय है। सड़क एवं रेल्वे से पूरे देश के साथ जुड़ा हुआ एक शांत शहर है। चारों ओर से यह परकोटे से घिरा हुआ है, जिसके चार प्रमुख गेट है, जिन्हे क्रमशः अजमेरी गेट, सूरजपोल गेट, चांग गेट, मेवाड़ी गेट के नाम से जाना जाता है। इसके परकोटे की लम्बाई 10,569 फिट है। इस शहर की नींव कर्नल डिक्सन द्वारा 01 फरवरी 1836 को अजमेरी गेट पर रखी थी। जिला प्राकृतिक रूप से टॉडगढ़ रावली अभयारण्य का सौन्दर्य अपने में समेटे हुए है। सेंदडा की पुरानी मनमोह देने वाली ग्रेनाइट चट्टानें एवं बदनोर व मसूदा की खदानों की अलग ही छटा है। तेजा मेला, बादशाह की सवारी, कोड़ा मार होली की परम्पराएं इसे पारम्परिक रूप से समृद्ध बनाती है। यहां के खान पान में मुख्यतः दाल–लापसी का स्वाद एवं मोठ की बनी विशेष कढी व मक्के की रोटी एवं उड़द की दाल का स्वाद का मिलन मुंह में पानी ला देता है। ब्यावर जिला पूरे भारत में तिलपट्टी के लिये भी मशहुर है। जिले की संरचना 6 उपखण्ड, 7 तहसील एवं 7 पंचायत समितियों से बनी हुई है। ब्यावर जिले में *3* विधानसभा क्षेत्रों का समावेश भी है।

2.1 भौगोलिक स्थिति

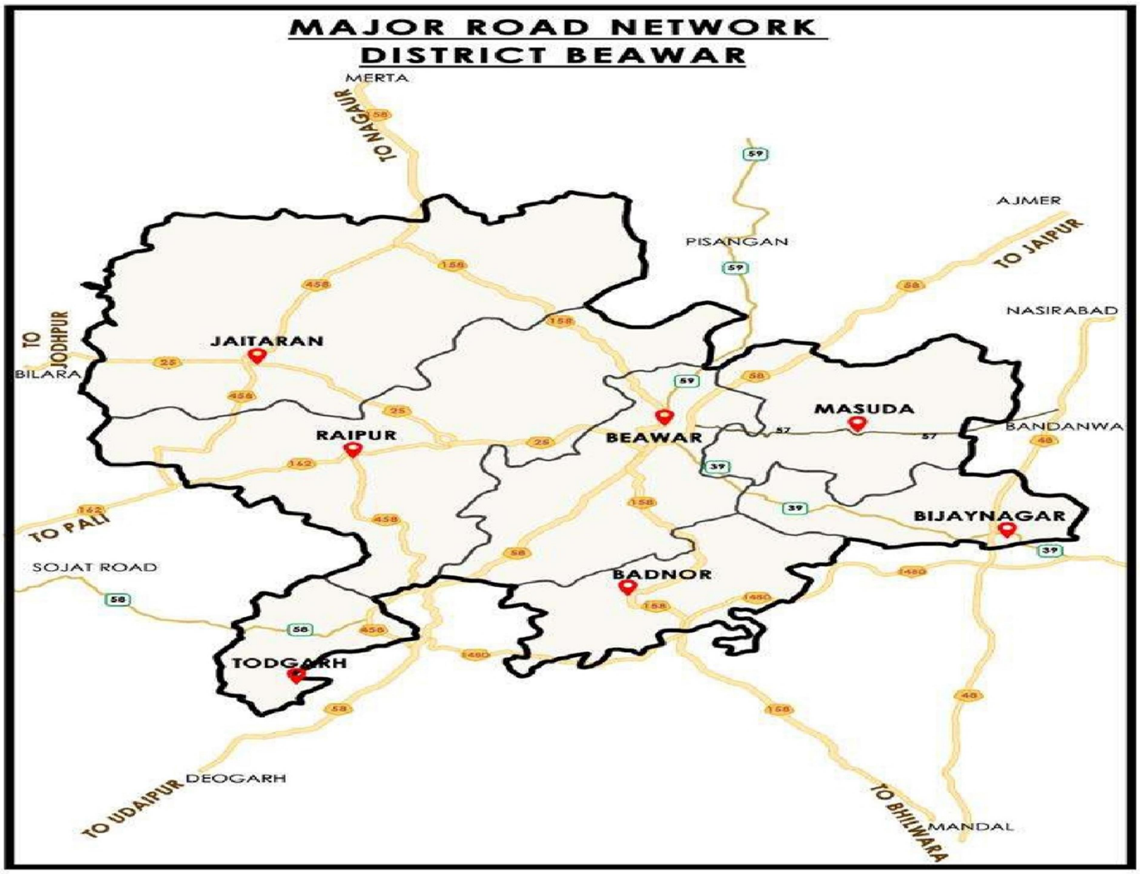

1. देशांतर एवं अक्षांशीय विस्तारः 26.07 **N**, 74.32**E**
   - कुल क्षेत्रफलः लगभग 5,800 वर्ग किमी

2. सीमाएँ–
   - उत्तर में नागौर जिला
   - दक्षिण में भीलवाड़ा/राजसमंद जिला
   - पूर्व में अजमेर जिला
   - पश्चिम में पाली/जोधपुर जिला

3. जलवायुः
   - गर्मियों में तापमान 45°सेन्टीग्रेड तक पहुँच सकता है।
   - सर्दियों में न्यूनतम तापमान 4° सेन्टीग्रेड तक गिर सकता है।

4. भूभागः
   - यहाँ मैदानी और पहाड़ी भूभाग का मिश्रण है।
   - मुख्य रूप से कृषि, उद्योग और व्यापारिक क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं।

2.2 प्रशासनिक संरचना

- उपखण्ड :– 6
- तहसील :– 7
- पंचायत समिति :– 7
- कुल ग्राम पंचायत :– 217
- कुल राजस्व ग्राम :– 779
- विधानसभा क्षेत्र :– 3 (ब्यावर, मसूदा, जैतारण)

जिला–ब्यावर

क्र. स.	नाम उपखण्ड	तहसील
1.	ब्यावर	ब्यावर
2.	टॉडगढ़	टॉडगढ़
3.	जैतारण	जैतारण
4.	रायपुर	रायपुर
5.	मसूदा	मसूदा
		बिजयनगर
6.	बदनोर	बदनोर

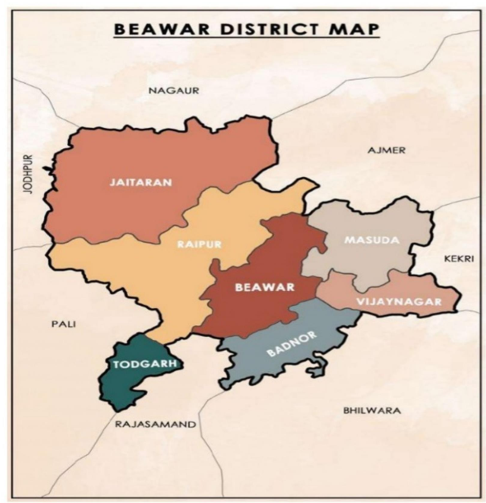

महत्वपूर्ण अधिकारीगण

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद
1	श्री शक्ति सिंह राठौड़	संभागीय आयुक्त अजमेर
2	श्री कमल राम मीना	जिला कलक्टर, ब्यावर
3	श्री रतन सिंह	जिला पुलिस अधीक्षक ब्यावर
4	श्री ब्रह्मलाल जाट	अतिरिक्त जिला कलक्टर ब्यावर
5	श्रीमती अनुकृति उज्जैनिया	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यावर
6	श्री जयपाल सिंह	उपखण्ड अधिकारी ब्यावर
7	श्रीमती दीपशिखा राठौड़	उपखण्ड अधिकारी, मसूदा
8	श्रीमती सुमन मीणा(अति. कार्यभार)	उपखण्ड अधिकारी, बदनोर
9	श्री ज्वाला सहाय मीणा	उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
10	श्री मनोज कुमार मीणा	उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
11	श्रीमती सुमन मीणा	उपखण्ड अधिकारी, टॉडगढ़

जिले में पदस्थापित महत्वपूर्ण अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं दूरभाष नंबर

Sr. no.	नाम	पदनाम	मोबाइल	लैंडलाइन नंबर	ईमेल
1	श्री कमल राम मीना	जिला कलक्टर, ब्यावर	9460252517	01462 257336	dm-bwr-rj@gov.in
2	श्री रतन सिंह	पुलिस अधीक्षक	9783818123	01462 258100	sp-bwr-rj@gov.in
3	श्री विरेन्द्र सिंह जोरा	उप वन संरक्षक, ब्यावर	94140 91044		
4	श्री ब्रह्म लाल जाट	अतिरिक्त जिला कलक्टर, ब्यावर	9414314312	01462 299151	beawaradm@gmail.com
5	श्रीमती अनुकृति उज्जैनिया	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	9414028248	01462 256369	sp-bwr-rj@gov.in
6	श्री जयपाल सिंह	उपखंड अधिकारी ब्यावर / ACEM	7014714684	01462 299150	sdobeawar@gmail.com
7	श्री नरेन्द्र पारीक	पुलिस उपाधीक्षक	9413049100	01462 256369	cobeawar@gmail.com
8	श्रीमती कीर्ति कुमावत	आयुक्त, नगर परिषद	9461351047	01462 258333	npbeawar@gmail.com
9	श्री भगवती प्रसाद	तहसीलदार, ब्यावर	7568538174		tdrbeawar@gmail.com
10	डॉ संजय गहलोत	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्यावर	9772656856	01462 299161	cmhobeawar@gmail.com
11	श्री धन दान देथा	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, ब्यावर	6350455277	01462 299198	ceozpbwr@rajasthan.gov.in
12	श्री हेमंत आर्य (अति० चार्ज)	जिला रसद अधिकारी, ब्यावर	9829540540	01462 258104	dsofood-bea-rj@gov.in
13	श्रीमती नीलम	आबकारी निरीक्षक, ब्यावर	9588032003		excise.ci.beawar@gmail.com
14	श्री नितेश यादव (अति० चार्ज)	उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्यावर			ddicdsbeawer@gmail.com
15	श्री नितेश यादव	महिला एवं बाल विकास विभाग, ब्यावर	9414379475		cdpobeawar@gmail.com
16	श्री शंकर लाल शर्मा	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक , ब्यावर	9460222892		
17	श्री अनिल कुमार शर्मा	जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक , ब्यावर	9351301415		deoelebeawer@gmail.com
18	श्री विशाल सोलंकी	जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ब्यावर	9057585752	01462 299053	sjedbeawarraj@gmail.com
19	श्रीमती टीनू शर्मा	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र ब्यावर	7073060930		BWRDICC@RAJASTHAN.GOV.IN
20	श्री गणेशा राम	संयुक्त निदेशक, सूचना प्रोद्योगिकी एवं संचार विभाग, ब्यावर	9210101902		dlo.doit.beawar@rajasthan.gov.in
21	श्री खुशाल चंद साहू	कोषाधिकारी, ब्यावर	9460071254	01462 257287	tobeawar-rj@nic.in
22	श्रीमती कुलज्योती पुनिया	जिला परिवहन अधिकारी, ब्यावर	96495903229		dto.beawar.tport@rajasthan.gov.in
23	श्री रामप्रसाद खाती	सहायक निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, ब्यावर	9887694625		ad.bea.sipf@rajasthan.gov.in
24	श्री अरविन्द दीक्षित	श्रम कल्याण अधिकारी, ब्यावर	7976228376	01462 258104	lwobeawar@gmail.com
25	श्रीमती आदित्या	उप पंजीयक, ब्यावर	9887339937		srbeawar12@gmail.com
26	श्रीमती शिप्रा शानिवाल	प्रबंधक, RSRTC, ब्यावर	9549653180 9460629045		cmbwr.rsrtc@rajasthan.gov.in // rsrtc.cmbwr@gmail.com
27	श्री राहुल बेनीवाल	RM, RIICO	8107555831		beawer@riico.co.in
28	श्री सुमेर सिंह	सचिव, कृषि मंडी, ब्यावर	9352890796		kumsbwr@gmail.com
29	श्री हीरालाल	उप रजिस्ट्रार सहकारिता विभाग, ब्यावर	9829560065		drbwr.coop@gmail.com
30	श्री दशरथ यादव	अधीक्षण अभियंता, AVVNL, ब्यावर	9414004087	01462 251 755	senonmbeawer@gmail.com
31	श्री k k बैरवा	XEN, AVVNL BEAWAR	9413391610		xenonmbwr2023@gmail.com
32	श्री महेश डिडवानिया	XEN, JdVVNL Jitaran	8619572981		xenjaitaran@gmail.com
33	श्री विजय सिंह मीना	अधीक्षण अभियंता, PWD, ब्यावर	9414310758		sepwdbwr@gmail.com
34	श्री नरेश शेरसिया	अधीशाषी अभियंता, PWD, ब्यावर	9414653165		eepwdbwr@gmail.com
34	श्री नरेश सेंचिया	अधीशाषी अभियंता, PWD, ब्यावर	9414653165		eepwdbwr@gmail.com
35	श्री श्याम लाल जांगिड	अधीक्षण अभियंता, WATERSHED, ब्यावर	9414432994		se.wdse.beawar@rajasthan.gov.in
36	श्री सुनील जूनवाल	अधिशाषीअभियंता, PHED, ब्यावर	8058734121	01462&224399	sephedbeawar@gmail.com
37	श्री गोविन्द राम	अधिशाषी अभियंता, PHED प्रोजेक्ट, ब्यावर	9414079380		eephedbwr@gmail.com
38	श्री पी. बालामुरुगन	जिला वन अधिकारी, अजमेर	9962916162		dcf.ajmer.forest@rajasthan.gov.in
39	श्री कैलाश	वन रेंजर, ब्यावर	9887742046		
40	श्री राजेश परमार	जिला अग्रणी प्रबंधक LDM	9116607840		ldm.beawer@bankofbaroda.com
41	श्री एसएस चौहान	PMO, AKH ब्यावर	9929865425		cmhobeawar@gmail.com
42	श्री दिनेश	सहायक निदेशक, कृषि विभाग, ब्यावर	8112202627		
43	श्री KP सिंह राजावत	उप निदेशक, बागवानी, ब्यावर	9413173144		ddh.beawer.hort@rajasthan.gov.in
44	श्रीमती शबनम खोरवाल	उपनिदेशक, सांख्यिकी विभाग ब्यावर	9950416855		ddstatisticsbeawar@gmail.com, dsofood-bea-rj@gov.in
45	श्री महेंद्र	AEN, जल संसाधन विभाग, ब्यावर	8696230003		wrb305901@gmail.com
46	श्री महिपाल सिंह	जन संपर्क अधिकारी	7742141313		probeawar@gmail.com // probeawer123@gmail.com
47	श्री रामावतार गुप्ता	XEN, RVPN, Beawar	9413392980		xen.220.beawar@rvpn.co.in
48	श्री जगदीश मेरावत	खनि अभियंता	9414576109		me.beawar@rajasthan.gov.in
49	श्री स्वरूप सिंह	सहायक खनि अभियंता	8441916388		me.beawar@rajasthan.gov.in
50	डॉ विश्वास कुमार	उप निदेशक पशुपालन विभाग	9460179491		fgvhbeawar@gmail.com
51	डॉ गौतम गायकवाड	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	9829678965		fgvhbeawar@gmail.com
52	श्री विष्णु अग्रवाल	जिला रोजगार अधिकारी, ब्यावर	9928102607		sreo.ajm.emp@rajasthan.gov.in
53	श्री भरत सिंह राजपुरोहित	CTO ब्यावर	9414707805		ac-beawar-a@rajasthan.gov.in
54	डॉ सी पी सेन	सहायक निदेशक, आयुष विभाग ब्यावर	9887111601		cmmodiayurvedbwr@gmail.com
55	श्री दिनेश चोधरी	जिला खेल अधिकारी, ब्यावर	9414252542		choudhary.drdinesh@gmail.com
56	श्री योगेश खत्री	सहायक निदेशक , पर्यटन अजमेर	9784901670		
57	श्री जगदीश चौधरी	महिला अधिकारिता विभाग, ब्यावर	9983971724		
58	श्री अभिषेक गुजरती	सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग ब्यावर	9829237468		
59	श्रीमती मनीषी झा	मुख्य आयोजना अधिकारी, ब्यावर	9829266750		

2.3 भौतिक संरचना

संभागः अजमेर
स्थापनाः कर्नल एरिक डिक्सन द्वारा 1850 के दशक में परकोटा बनाकर
राष्ट्रीय राजमार्गः NH-25, NH-58, NH-158

1. **प्रमुख नदियाँः**

- लूनी (अब पाली से सम्बन्ध विच्छेद), गुड़िया, बाजाकुडी, सुकड़ी, खारी आदि प्रमुख नदियां है जो अधिकतर मौसमी है नारायण सागर बांधः खारी नदी पर (1955 में डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा नींव रखी)

2. **प्राकृतिक विशेषताएँ**

- **पर्वत एवं दर्रे**

मध्य अरावली की प्रमुख चोटियाँ एवं दर्रे
गोरमजी (934 मीटर) ब्यावर जिले की सर्वोच्च चोटी जो कि अरावली पहाड़ी पर टाडगढ़ उपखण्ड में स्थित है। जो पर्यटन का प्रमुख केन्द्र है।
मेरियाजी (टॉडगढ़) (933 मीटर)

1. बर दर्राः ब्यावर को पाली जिले से जोड़ता है।
2. शिवपुरा घाटा दर्राः जो बिजयनगर से ब्यावर राजमार्ग पर स्थित है।

3. **वन्यजीव एवं जलाशय**

- रावली टाडगढ़ अभ्यारण्यः अजमेर, पाली, राजसमंद में विस्तृत
- टॉडगढ़ः राजस्थान का मिनी माउंट आबू
- बाटेलाव तालाब, भोमादा बांधः रायपुर में स्थित है।

Last 10 year Rainfall Data of Beawar District

S. No.	Year	Rainfall in mm
1	2016	567.00
2	2017	811.00
3	2018	721.00
4	2019	865.00
5	2020	412.00
6	2021	465.00
7	2022	601.00
8	2023	820.00
9	2024	1085.00
10	2025	790.00

2.4 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. प्रमुख युद्ध

- **बदनोर का युद्ध (1457)** – राणा कुंभा व मुहम्मद खिलजी के मध्य लड़ा गया जिसमे राणा कुम्भा विजय रहा
- **गिरी – सुमेल का युद्ध** – 05 जनवरी 1544 को शेरशाह सूरी और राव मालदेव की (सेनानायक राव जैता एंव कूंपा) के मध्य हुआ जिसमें शेरशाह सूरी विजय रहा

ऐतिहासिक कथनः– शेरशाह सूरी ने कहा –''आज मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता।''

2. प्राचीन स्थल

ओझियाना सभ्यताः

- स्थानः बदनौर
- कालः 2500–1500 ईसा पूर्व (ताम्रयुगीन आहड संस्कृति)
- ओझियाना सभ्यता का उत्खनन कार्य बी आर मीणा एवं आलोक त्रिपाठी के निर्देशन मे 1999–2000 एवं 2000–2001 में किया गया जिसमें मिट्टी के बर्तन टेराकोटा मूर्तियों और तांबे के औजार एवं विभिन्न मनके मिले।

3. किले एवं दुर्ग

- **बदनोर दुर्गः** महाराणा कुंभा दवारा निर्मित बदनोर फोर्ट एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित एक प्राचीन किला है जो अपने इतिहास और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। बदनोर का यह किला सात मंजिला हैं और बदनोर किले में मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है।
- इसी प्रकार निमाज, कुड़की, आगेवा, जैतारण, खरवा, मसूदा एवं टॉडगढ़ के किले ब्यावर जिले के महत्वपूर्ण स्थान है।

2.5 आर्थिक एवं औद्योगिक विकास

1. प्रमुख उद्योग
   - सूती वस्त्र उद्योग–

     द कृष्णा मिल्स लिमिटेड (1889)– राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल। सेठ दामोदरदास राठी द्वारा स्थापित हुई थी जो कि वर्तमान में बंद है। इसी प्रकार ब्यावर की एडवर्ड मिल्स भी सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए प्रसिद्व थी जो कि वर्तमान में बंद है।

   - सीमेंट उद्योग–

     श्री सीमेंट लिमिटेड(1979)– बीजी बांगर द्वारा स्थापित उत्तरी भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक प्लांट है।
     अम्बूजा सीमेन्टः– जैतारण
     अल्ट्राटेक सीमेन्टः– जैतारण

   - **तिलपट्टीः–तिलपट्टी के लिए ब्यावर विश्व भर में प्रसिद् है**

2. खनिज संपदा
   जिले में क्वार्टज, फेल्सपार, वर्मीक्यूलाइट, क्यूप्राइट, लाइमस्टोन, अभ्रक आदि पाया जाता जो की उद्योग का प्रमुख आधार है

3. अवसंरचना
   दुग्ध अवशीतन केंद्रः ब्यावर व विजयनगर में स्थापित है जो वर्तमान में बंद है।
   राजस्थान का पहला मिशनरी स्कूल व प्रदेश का पहला चर्च ब्यावर में 164 वर्ष पहले बना था

2.6 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना

1. धार्मिक स्थल

मीराबाई की जन्मस्थली: कुड़की (जैतारण तहसील)
जन्मः 1498 ई. (वैशाख शुक्ल तृतीया) विवाहः 1516 ई. में भोजराज (राणा सांगा के पुत्र) से
देवमाली:–देवनारायण भगवान की पुण्यस्थली
कुशाल माता मंदिर: बदनौर में
नीलकण्ठ महादेव मंदिर एवं दूधालेश्वर महादेव मंदिर प्रसिद्व धार्मिक स्थान है।

2. सांस्कृतिक आयोजन

बादशाह मेलाः होली पर आयोजित इस मेले को ब्यावर शहर के संस्थापक कर्नल डिक्सन ने सन् 1851 में अग्रोहा, शेखावाटी, बेरी, भिवानी से आये अग्रवाल फतेहप्रिया के सहयोग से पीरामल टोडरमल की दुकान से पाचबती के पास कपड़ा बाजार से आरम्भ कियाँ जो फतेहपुरिया बाजार, अजमेरी दरवाजे से होता हुआ जिला कलक्टर कार्यालय पर जिला कलक्टर द्वारा बादशाह के साथ गुलाल खेलने के पश्चात् रात्रि को करीब 8 बजे समाप्त हो जाता है इस मेले को देखने के लिए दूर–दूर से व आस–पास के इलाकों से हजारो नर–नारी व विदेशी सैलानी आते हैं। चारों और मेले में भारतीय संस्कति दृष्टिगोचर होती हैं वह सभी जाति, धर्म–सम्प्रदाय के लोगो के आपसी मेल–मिलाप व गुलाल से परस्पर खेलने व बादशाह के साथ गुलाल से खेलने का आनन्द प्राप्त होता है। अग्रवाल समाज द्वारा बादशाह की सवारी निकाली जाती है

देवमाली मेला

देवनारायण जी राजस्थान के एक लोक देवता, शासक और महान योद्धा थे। इनकी पूजा मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा तथा मध्यप्रदेश में होती है। इनका भव्य मंदिर आसीन्द भीलवाड़ा में भी है।
सितंबर 2024 में देवमाली गाँव को भारत में बेस्ट हेरिटेज विलेज का दर्जा दिया गया

बिराटियां कलां का रामदेव मेला–

बिराटियां मे बाबा रामदेव जी का मेला भरता है जिसे भादवा मेला भी कहा जाता है यह मेला बाबा रामदेव के प्रकट्यादिवस पर शुरू होता है जो भाद्रपद की ग्यारस को भव्य जागरण के साथ शुरू होता है जो जिला ब्यावर में स्थित है।

विशेष उपलब्धियाँ एवं तथ्य

मसूदा गाँवः राजस्थान का पहला पूर्ण साक्षर गाँव
1857 की क्रांतिः ब्रिटिश छावनी थी, पर विद्रोह का केंद्र नहीं बना
जैतारण के ब्यावर में शामिल होने से लूनी नदी का पाली से सम्बन्ध समाप्त

अध्याय–3

जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता का आंकलन

आपदाएं जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है तथा आपदा के घटित होने के उपरान्त सर्वत्र विनाश, दुर्दशा, संत्रास का दृश्य उत्पन्न हो जाता है। आपदा प्रभावित लोगों को पुनः पूर्वास्थिति में आने मे कई दशकों का समय लग जाता है। जीविका के निम्नस्तर व कम जागरूकता ने न केवल आपदाओं के भयंकर प्रभाव को बढ़ाया है बल्कि यह आर्थिक विकास में रूकावट का गंभीर कारण भी बना है। आपदा के घटने से उसके प्रभाव व क्षेत्र की परिधि में सभी लोग प्रभावित होते है। लेकिन गरीब, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग व अपंग लोग इससे अधिक प्रभावित होते है क्योंकि उनकी आर्थिक एवं शारीरिक कष्ट सहन करने की क्षमता बहुत कम होती हैं।

अतः यह आवश्यक है कि किसी भी जिले में संभावित घटित होने वाली विपदाओं की पहचान, उससे होने वाले जोखिम, उसकी परिधि में आने वाले क्षेत्रों, बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, निःशक्तजनो व गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की पहचान, उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की आर्थिक, सामाजिक व भौतिक सवेंदनशीलता की पहचान तथा आपदा के प्रभाव से निपटने के लिए उनकी क्षमता का आंकलन करके जोखिम की संवेदनशीलता को ज्ञात किया जाये ताकि आपदाओं के खतरे को कम करने के लिए योजना तैयार करके क्रियान्वित की जा सके।

3.1 संभावित विपदाओं की पहचान

आपदा प्रबन्धन पर घटित उच्च स्तरीय कमेटी ने 31 तरह की आपदाओं को चिन्हित किया है जिन्हें मुख्यतः पांच भागों में विभक्त किया है।

- **जलवायु सम्बन्धित** – बाढ़, सूखा, चक्रवात, बादल का फटना, गर्म और ठंडी हवायें, तूफान एवं बिजली का गिरना।
- **भूगर्भ सम्बन्धित** – भूकम्प, भूस्खलन, बाँध का टूटना, खान में आग लगना।
- **रसायनिक, औद्योगिक एवं परमाणु सम्बन्धित** – रसायनिक एवं औद्योगिक विपदा एवं परमाणु विपदा।
- **दुर्घटना सम्बन्धित** – आग, बम विस्फोट, वायु, सड़क एवं रेल दुर्घटना, खान में बाढ़ आना, मुख्य भवनों का ढहना।
- **जैविक आपदाएँ** – महामारी, टिड्डी दल आक्रमण, जानवरों की महामारी इत्यादि।

ब्यावर जिले की विपदा व जोखिम की संवेदनशीलता के आंकलन के लिए जिले के अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, गैर सरकारी संगठनों ने जिला आपदा प्रबन्धन योजना पर चर्चा कर जिले में होने वाली संभावित आपदाएं, उनसे प्रभावित होने वाले लोग तथा विपदाओं से निपटने के लिए जिले की क्षमता का आंकलन किया।

जिले में संभावित 7 आपदाएं चिन्हित की गयी जो निम्न हैं –

जिले में विशिष्ट सम्भावित आपदाएं

1. सूखा
2. बाढ़
3. दुर्घटना
4. आग
5. भूकम्प

अन्य 2 विपदाएं रसायनिक एवं औद्योगिक विपदाएं तथा ताप (लू) व शीतघात हैं।

3.2 संवेदनशीलता

किसी भी स्थान की संवदेनशीलता वहां के लोगों के जीवन स्तर, वहां की स्थिति, रहने के स्थान व घटना घटने के समय पर निर्भर करती है।

लोग + स्थिति + स्थान + समय + घटना

(1) भौतिक संवेदनशीलता

भवन, आधारभूत ढांचा, जीवन धारक वस्तुओं की पूर्ति का मार्ग, परिवहन, दूरसंचार, जन सुविधाएं आवश्यक जन सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, जलापूर्ति, तथा कृषि, भौतिक साधन हैं जिनसे भौतिक संवेदनशीलता का आंकलन किया जाता है।

घरों को उनकी बनावट तथा भवन सामग्री के आधार पर चार मुख्य भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

(अ) मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर
(ब) पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर
(स) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढाँचों के साथ
(द) हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोंपड़ियाँ

(अ) मिट्टी की दीवार ढालू, कच्ची मिट्टी की ईंटों एवं स्थानीय उपलब्ध पत्थर

जिले का लगभग 15 प्रतिशत भाग संशोधित सरकारी मापक के अनुसार VII (MKS) तक तीव्रता के भूकम्प आने के मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र में आता है।

(ब) पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थर के घर

जिले में पकी हुई ईंटों या बड़े पत्थरों के बने घरों को अत्यधिक नुकसान वाले सम्भावित क्षेत्र में मध्यम नुकसान होने की संभावना है।

(ग) सुदृढ़ या मजबूत इमारतें, लकड़ी के ढाँचों के साथ

इस तरह के घरों को कम नुकसान होने की सम्भावना है अर्थात् भूकम्प की दृष्टि से कुछ हद तक इन्हें ठीक कहा जा सकता है।

द) हल्के, लकड़ी, पत्तों आदि की झोंपड़ियाँ

हल्के भवन निर्माण के घर जैसे झोंपड़ियाँ हल्के लकड़ी, पत्तों आदि की सामग्री से बने हुए हैं जो भूकम्प की दृष्टि से तो काफी सुरक्षित है लेकिन तेज हवाये अगर 47 एम/सै. से चलती है तो इन घरों में अत्यधिक नुकसान की सम्भावना है।

(2) आर्थिक, सामाजिक संवदेनशीलता

हानि, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, गौण प्रभाव, गरीबी, संसाधनों की कमी।

3.3 खतरा

भौतिक, सामाजिक एवं पारिस्थितिक आदि कमजोर संरचनाओं को खतरा अधिक होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि विपदा की प्रचण्डता कितनी थी और असुरक्षा की स्थिति कितनी थी। खतरा, विपदा और संवदेनशीलता पर निर्भर करता है।

खतरा = विपदा + संवदेनशीलता

सुनामी लहर/आपदाः–

देश में वर्ष 2004 में दिनांक 26.12.2004 को सुनामी लहरें एवं आपदा घटित हुई जिसमें जनमाल की काफी हानि हुई। इस आपदा से रोजगार की क्षति एवं आर्थिक क्षति बहुत हुई हैं। इस आपदा से कई लोग बेघरबार एवं लापता रहे। एंव वर्ष 2011 में देश से बाहर जापान में सूनामी लहरो से भारी तबाही एंव जानमाल की हानि हुई है।

अध्याय–4

आपदा के दौरान प्रबन्धन हेतु सामान्य कार्य योजना

प्रत्येक आपदा के प्रबन्धन हेतु जिला कलेक्टर उत्तरदायी होगा। इसके लिए जिला कलेक्टर आपदा के समय अपनी आपात कालीन शक्तियों का उपयोग करके कोई भी निर्णय ले सकता है तथा किसी भी विभाग को आपात कालीन सेवा प्रदान करने का दिशा निर्देश दे सकता है। जिला कलक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर अथवा सहायक जिला कलक्टर जिला आपदा प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी होंगें।

नियंत्रण कक्ष

- नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट में स्थापित होगा जिसके दूरभाष नंबर 01462–299314 है।
- नियंत्रण कक्ष में कुल 12 व्यक्तियों की तीन पारी में नियुक्ति होगी (तीन व्यक्ति हर पारी में 03 रिजर्व)।
- नियंत्रण कक्ष में आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों व अन्य सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के नाम, पता व फोन नं. होंगे।

मानसून, सत्र 2026 में बाढ़–बचाव की पूर्व तैयारी हेतु दिनांक 15.06.2026 को प्रातः 10.00 बजे श्रीमान् जिला कलक्टर, ब्यावर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार, ब्यावर में मानसून वर्ष, 2026 में बाढ़ की तैयारियों, बाढ़ बचाव एवं वर्षा की वर्तमान स्थिति और अत्यधिक वर्षा से हुए नुकसान आदि की समीक्षा एवं आवश्यक विचार विमर्श हेतु बैठक आयोजित की गई। जिले में जलभराव/बाढ की संभावना को देखते हुए जिला एवं उपखण्ड स्तरीय अधिकारी गण निम्नलिखित कार्यवाहियाँ करना सुनिश्चित करेगें :–

1. <u>जल संसाधन विभाग</u> :–

अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन विभाग ब्यावर को निर्देशित किया गया कि बाढ या अतिवृष्टि की संभावना में प्रत्येक तहसील के संकटग्रस्त एवं संवेदनशील क्षेत्रों का सामना करने के लिये कार्य योजना बनायी जावें। विभाग में उपलब्ध वायरलेस सेटों को कार्यशील रखे तथा मडपम्प, नावों, रक्षा पेटियों, रस्सों, मशालों, टॉर्चो एवं उपलब्ध बचाव उपकरणों की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। जिले की प्रत्येक तहसील में बाढ बचाव के उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित कर सूची मय नाम, पते सहित तैयार रखे ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग तत्काल किया जा सकें तथा गैर सरकारी संगठनों की पहचान कर उनके पास उपलब्ध संसाधन/सामग्री का सुनिश्चितीकरण कर आपदा की स्थिति में उनका उपयोग करने की व्यवस्था करेगें।

वर्षा काल में नदियों, नहरों, बांधों, तालाबों आदि पर निरन्तर भ्रमण करते हुए आने वाले संकट के विषय में अग्रिम चेतावनी देने का कार्य सुनिश्चित करेगें तथा वर्षा आने पर किसी बांध में दरार आने व टूटने की संभावना है तो उसे समय से पूर्व ठीक कराने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करें। बांध के गेट खोलने वाले तथा तकनीकी रूप से दक्ष कर्मचारियों की सूची बना कर अपने कार्यस्थल पर तैनात रहने हेतु पाबन्द किया जावें और नावें, रस्सें तथा अन्य उपकरण आदि की बाढ संभावित केन्द्रों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावें। संभावित संकट की सूचना तत्काल जिला स्तरीय व राज्य स्तरीय आपदा नियन्त्रण कक्ष व सभी सम्बन्धित विभागों को

नियमित रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें व मुख्यालयों पर हर समय जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

जिले में स्थित समस्त छोटे बड़े बांध, तालाब, एनिकट का सर्वेक्षण कर लिया जावे एवं यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी बांध, तालाब, एनीकट सही हालात में है, यदि इनमें से किसी जलाशय की मरम्मत कराने की आवश्यकता हो तो यथा समय मरम्मत करवा दी जावे ताकि वर्षा के पानी के भराव के दौरान कोई समस्या उत्पन्न न होने पाये, साथ ही समस्त बांधों, तालाबों, एनिकटों की भराव क्षमता एवं उनके केचमेन्ट

एरिया, उनके लाईन्ड एरिया के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी कर ली जावें, यदि किसी क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है अथवा कोई बांध टूटता है या नदी में पानी अधिक आता है तो ऐसी स्थिति में कौन–कौन से गाँव प्रभावित हो सकते है, उन गाँवों के नाम, उनकी जनसंख्या चिन्हित कर ली जावें एवं उनकी सुरक्षा हेतु सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने हेतु राहत स्थल का निरीक्षण किया जावें, जिले में विभिन्न बांधों में आया पानी एवं भराव क्षमता से प्रतिदिन बांढ नियंत्रण कक्ष को लिखित में अवगत कराते रहें।

बाँध/तालाब आदि के टूट–फूट या रिसाव की स्थिति में बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में कटें रेत भरवा कर उन्हे आवश्यकतानुसार बाँधों पर पहुँचा दिया जावें। इसके अलावा खाली कट्टों की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था व रेत भरने के स्थान को पहले से ही चिन्हित कर लिया जावें। इन कट्टों को यथा स्थान पहुंचाने के लिए वाहन हर समय कार्यालय में मय वाहन चालक के उपलब्ध रखा जावें। बाढ़ के समय आवश्यक उपकरण, जैसे रस्से, बल्लियां, टॉर्च, पेट्रोमेक्स, पम्पसेट, रबर ट्यूब, नावें तथा गोताखोर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जावें। उपलब्ध पम्पसेट सही हालत में हो और ईंधन भरपूर रहे। मोटर बोट कहां–कहां से उपलब्ध हो सकते हैं, इसकी जानकारी भी कर ली जावें। सिंचाई विभाग जिले में सभी बड़े बांधों को समय–समय पर पेट्रोलिंग करवा कर सूचना देते रहेंगे। तहसीलदार भी पटवारियों से उक्त बांधों की चौकसी करवाएंगे। जिले के अच्छे तैराक, गौताखोरों की सूची बनाई जावें और जिला तैराक संघ से भी इनमें सहयोग लिया जावे ताकि आवश्यकता होने पर उनकी सेवा ली जा सके।

2. <u>जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग</u> :–

अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वा० अभि० विभाग, ब्यावर को निर्देश दिये गये कि निचले क्षेत्रों से पानी निकालने हेतु पम्पसेटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें तथा जहां ज्यादा बाढ आने की संभावना है, वहां ज्यादा पम्पसेटों की व्यवस्था रखी जावें। पेयजल स्त्रोंतो के क्लोरीफिकेशन की समुचित व्यवस्था की जावें ताकि दूषित पेयजल जनित बीमारियाँ फैलने की संभावना न हों। पाइप लाईन क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में तत्काल ठीक करेंगे तथा वैकल्पिक व्यवस्था बनाये रखेंगे। विद्युत कटौती की अवस्था में पेयजल वितरण हेतु वैकल्पिक व्यवस्था तत्काल की जावें। पेयजल स्त्रोतों कुंए,हेंडपंप,टंकियो की साफ–सफाई एवं सफाई दिनांक का अंकन किया जावें।

3. <u>खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (रसद) विभाग</u> :–

बाढ़ के समय आम जनता को पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें। उचित मूल्य की दूकानों पर गेहूं, केरोसीन, अन्य खाद्य सामग्री के भण्डारण, उसके वितरण की व्यवस्था व वितरण के स्थान का उल्लेख आदि सूचनाओं की पारदर्शिता के साथ–साथ उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें। बाढ़ की स्थिति में स्वयंसेवी संगठनों से भी सम्पर्क बनाये रखे ताकि आवश्यकता पड़ने पर सहयोग लिया जा सके। फूडस्टेम्प योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों को पहुंचाया जावें। जिले में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लूबीकेटिंग ऑयल, गेहूँ आदि का रिजर्व स्टॉक रखवाया जावें। जिले के बडे खाद्य व्यापारियों, हलवाई, टेन्ट संचालक, पैट्रोलपम्प, गैस गोदाम एवं अन्य भामाशाह की सूची मय मोबाईल नम्बर तैयार रखीं जावें। आपात स्थिति में खाघान्न सामग्री की आपूर्ति हेतु परिवहन सुविधा की योजना बनाई जावें।

4. <u>नगर परिषद/नगरपालिका</u> :–

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगरपालिका को निर्देश दिये गये कि निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावें :–

1 शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्थित समस्त नालों–नालियों में से मानसून से पूर्व/दौरान मलबा व कीचड़ की सफाई करने के पश्चात् तुरन्त उनको ढकने की कार्यवाही की जावे। नाले/नालियों का सफाई कार्य तथा उन्हें सुरक्षित रूप से ढकने की व्यवस्था दिनांक 25 जून, 2026 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कर ली जावे, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका नहीं रहे। सीवरेज मेन हॉल एवं नालियों पर कार्य हो रहा हो तो वहाँ पर चेतावनी के बोर्ड लगवाये जावे। सीवरेज लाईन के मैनहॉल्स की सफाई करने के पश्चात् मैनहॉल्स को तुरन्त ढकने हेतु कार्यवाही की जावे। सड़क पर बने हुए नाला–नालियों के क्रासिंग व खुले स्थानों को फेरोकवर से तुरन्त ढका जावे। यह भी सुनिश्चित करें कि अतिक्रमण के कारण नाले/नालियों का प्रवाह अवरूद्ध नहीं हो। यदि बरसाती नाले/नालियों व पानी के बहाव में कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो गरीब परिवारों व प्रभावित आबादी को वैकल्पिक

सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाते हुये अतिक्रमणों को हटाया जाना सुनिश्चित किया जावें। शहरी/ग्रामीण जल निकासी तंत्र की क्षमता की जांच व मरम्मत की जावें।

2 नगर पालिका क्षेत्र में निर्मित नालियों व नालों की सफाई का ध्यान रखा जावे, ताकि वर्षा के मौसम में पानी का बहाव सुचारू रहें तथा किसी प्रकार पानी की रूकावट (Water Logging) ना हो सके। पानी की रूकावट के कारण बाढ़ की स्थिति ना बनें, इस हेतु पहले से ही पानी की निकासी की पहचान कर बरसात का पानी निकलने की व्यवस्था अभी से ही कर ली जावें।

3 रोड कट्स/टूटी हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य 25 जून, 2026 से पूर्व करवा लिया जावे। 25 जून से 30 सितम्बर, 2026 की अवधि में रोड़ कट की अनुमति नहीं दी जावे। विशेष परिस्थितियों में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से निर्णय उपरान्त ही अनुमत किया जावे एवं 24 घंटे में मरम्मत सुनिश्चित की जावे। बरसात के कारण या पानी के बहाव के कारण नालियों व सड़क क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उनकी तुरन्त मरम्मत करवाई जावें।

4 सभी संबंधित अधिकारियों द्वारा मानसून से पूर्व नालों तथा पानी भरने के संभावित स्थानों का निरीक्षण किया जावे।

5 बाढ़ से बचाव व किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने हेतु बाढ़ नियंत्रण केन्द्रों, अग्निशमन केन्द्रों एवं पुलिस थानों पर आवश्यकतानुसार सामग्री यथा – रेत/मिट्टी के भरे हुये व खाली कट्टे, रोडी, बजरी, खान का मलबा, त्रिपाल, बांस. बल्ली. ट्रेक्टर–ट्रॉली, डम्पर, जे.सी.बी., मड़ पम्प/वाटर पम्प, गैस कटर, पिकअप/जीप पी.वी.सी. पाईप्स, नाव, नाविक, तैराक, गोताखोर, लाईफ जैकेट, ट्यूब, नाइलोन रस्से, टॉर्च, इमरजेंसी लाईट, सब्बल, फावडे, परात, गेंती आदि एवं बाढ़ बचाव दल की व्यवस्था की जावे।

6 बरसात के दिनों में इकट्ठे होने वाले पानी की निकासी हेतु आवश्यकतानुसार वाटर पम्पों व पाईप्स की व्यवस्था की जावे।

7 बरसात के बाद शहर के सार्वजनिक स्थलों, निचले इलाकों (Low Lying Area) व नालों में इकट्ठे/जमा कचरे/मलबे, कीचड़/गंदगी व भरे हुये पानी को अविलम्ब हटाया जावे।

8 विद्युत डिस्कॉम कम्पनियों के अभियन्ताओं के साथ मिलकर सड़क किनारे बिजली के ढीले तारों को दुरूस्त करने एवं बिजली के खम्बों, सड़क किनारे डी.पी., केबल बॉक्स व स्वीच बॉक्स के आस–पास लूज तारों को हटाया जावे। स्वीच बॉक्स के टूटे हुये दक्कनों को तुरन्त मरम्मत करवाई जावे। असुरक्षित/जर्जर भवनों को चिन्हित किया जाकर भवनों मालिकों को नोटिस/सार्वजनिक सूचना जारी करते हुये उनको खाली कराने की कार्यवाही की जाये। मकानों के वासियों को चेतावनी देते हुये उनके सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करने हेतु समुचित कार्यवाही की जावे, ताकि जन–धन की हानि नहीं हो।

9 नगर पालिका क्षेत्रों में स्थित पुराने अनुपयोगी खुले कुओं को लोहे की जाली/फेंसिंग आदि से ढ़का जावे। ऐसे अनुपयोगी कुओं को वर्षा जल के पुनर्भरण हेतु वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर के रूप में काम में लिया जा सकता है।

10 सड़कों के किनारे स्थित बड़े गड्ढों को मिट्टी से भराया जावे तथा सड़क के किनारे कटाव को रोकने के लिये मिट्टी के कट्टे लगाये जावे ।

11 बरसात के पानी के भराव स्थलों के आस–पास सम्भावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिये वहाँ चेतावनी बोर्ड लगाये जावें। बाढ/अतिवृष्टि के एकत्रित पानी को निकालने के लिये पम्पसेटों का प्रबन्ध करना, मृत पशुओं, मलवा, कचरा आदि को हटाने के लिये नगर पालिका, ग्राम पंचायत से समन्वय स्थापित

करते हुए जोखिम वाले क्षेत्रों में फोगिंग करवाया जावें। कटे हुए फलो एवं सब्जियों को खुले में विक्रय पर प्रतिबंध आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें।

5. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग :–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ब्यावर वर्षा, अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में मौसमी बीमारियों जैसे– मलेरिया, डेंगू, पीलिया का प्रकोप की संभावना से निपटने के लिए निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावें :–

चिकित्सा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना :–

- जिला/खण्ड स्तर पर नियंत्रण कक्ष को सुदृढ़ करते हुये प्रभावी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाकर दैनिक/त्वरित सूचना जिला, राज्य नियंत्रण कक्ष को दी जावे।
- रेपिड रेस्पोन्स टीम/मोबाईल टीम आवश्यक औषधियों सहित तैयार रखी जावे। जलजनित रोगो जैसे हैजा, पीलिया, मलेरिया, त्वचा सम्बन्धी बीमारियो, आई–फ्लू, फूड पॉयजनिंग आदि के इलाज हेतु आवश्यकता पड़ने पर गठित टीम को प्रभावित क्षेत्र मे तुरन्त प्रस्थान करने हेतु रोगी वाहन, मयवाहन चालक के तैयार रखी जावे।

जल शुद्धिकरण :–

- बाढ एवं अतिवृष्टि के कारण पेयजल दूषित होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जलशुद्धिकरण हेतु ब्लीचिंग पाउडर/क्लोरीन का भण्डारण पर्याप्त मात्रा मे रखा जावे।
- जलदाय विभाग (पीएचईडी) के सहयोग से सघन अभियान चला कर पानी की जांच हेतु नियमित नमूनीकरण एवं जलशुद्धिकरण की कार्यवाही की जावे।
- सार्वजनिक स्थानों/राजकीय संस्थानो मे पेयजल आपूर्ति किये जाने वाले जल स्त्रोतों का नियमित जल शुद्धिकरण करवाया जावे।
- पेयजल आपूर्ति की जाने वाली पाईप लाईनो की जांच की जाकर लीकेज तुरन्त ठीक करवाने की कार्यवाही जलदाय विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियो के समन्वय से करवाई जावे।
- पानी की जांच हेतु लिये गये नमूनो मे असंतोषप्रद पाये गये पेयजल स्त्रोतों का सुपर–क्लोरिनेशन कराते हुये, शुद्ध पेयजल आपूर्ति व्यवस्था जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय एवं जलदाय विभाग के सहयोग से की जावें।

औषधियो की उपलब्धता :–

- सभी चिकित्सा संस्थानो मे जीवन रक्षक औषधियॉ, ए.आर.वी, वैक्सीन, एन्टी–स्नेक वीनम, चर्मरोग के लिये बैन्जाईल बेन्जोएट, आई ड्रोप/ऑइन्टमेन्ट, ओ.आर.एस, आईवी फ्ल्यूड्स, ड्रीपसेट आदि की पर्याप्त मात्रा मे उपलब्धता सुनिश्चित की जावें।
- स्थानीय चिकित्सालयों मे रोगियों के उपचार हेतु वार्ड मे सभी प्रकार की समुचित व्यवस्था की जावें।
- एन्टीलार्वल यथा टेमीफोस, एमएलओ आदि एंव फोकल स्प्रे हेतु पायरेथ्रम की उपलब्धता सुनिश्चित कराते हुये नगर निगम/नगर पालिका तथा ग्राम पंचायतों एवं स्वंय सेवी संस्थाओं से समन्वय बनाकर नालियों की सफाई कराने, कीटनाशक दवाओं का छिड़काव एवं गड्ढों में गन्दा पानी पाये जाने पर जला हुआ तेल डलवाये जाने की व्यवस्था कराई जावें।

प्रचार प्रसार एवं स्वास्थ्य शिक्षा :–

- जन साधारण को किसी भी बीमारियों से बचने के लिये स्वास्थ्य शिक्षा का ज्ञान आवश्यक है। इसलिये बाढ, अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक आपदा के दौरान जन साधारण को इनसे होने वाली बीमारियो की जानकारी, बचाव एवं उपचार के संबंध मे प्रचार–प्रसार के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा दी जावे।
- सूचना एवं संचार व्यवस्था को सुदृढ बनाने हेतु सभी संबंधित अधिकारियो के नाम, पते एवं टेलीफोन नम्बर आदि की सूचना जिला नियन्त्रण कक्ष को उपलब्ध करावें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे वांछित सहयोग प्राप्त किया जा सकें।

अन्य सामान्य निर्देश एवं समन्वय :

- अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक आपदा की स्थिति को देखते हुये सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पैरा मैडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जावें ।

- आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर आमजन को आवश्यक चिकित्सा सुविधायें सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने हेतु जिला – प्रशासन (जिला कलेक्टर) से तुरन्त सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही की जावे।
- सभी उपखण्ड एवं सभी प्रभारी अधिकारी चिकित्सा संस्थानो को निर्देशित किया जावे कि वे बाढ एवं अतिवृष्टि की स्थिति से पूर्णतया सतर्क रहे तथा इस दौरान वे अपने–अपने क्षेत्र के प्रशासनिक एवं जन प्रतिनिधियो से निरन्तर सम्पर्क एवं समन्वय बनाये रखें। उपरोक्त निर्देशो की पालना कडाई से की जाये एवं चिकित्सालयों आदि में साफ–सफाई संभावित दुर्घटना/आपदा की स्थिति का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जावें।

6. पुलिस विभाग :–

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वर्षाकाल में 15 जून, 2026 से नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जावें। होमगार्ड एवं आर0ए0सी0 की प्रशिक्षित व अन्य कम्पनियां तैयार रखी जावें। समस्त थानाधिकारियों को निर्देशित किया जावे कि बाढ/अतिवृष्टि की स्थिति में उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, स्थानीय जन प्रतिनिधि एवं आम जनता से संबंधित किसी भी तरह की सूचना किसी भी विभाग द्वारा दी जावे, तो उस संदेश को तत्काल प्राप्त कर उसका प्रसारण किया जावें। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने का कार्य तत्काल किया जावें एवं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था पुलिस विभाग के जवानों द्वारा की जावें। बाढ/अतिवृष्टि की स्थिति में यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था आदि की पालना अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करवाने हेतु निर्देश जारी करावें। आपदा के समय यातायात को सुव्यवस्थित करने हेतु ट्रैफिक प्लान बनाया जावें। संवेदनशील क्षेत्रों में सिविल ड्रेस में पुलिस की गश्त की जावें।

7. विद्युत विभाग :–

अधीक्षण अभियन्ता, अजमेर विद्युत वितरण निगम लि0, ब्यावर को निर्देशित किया गया कि वर्षा, अतिवृष्टि एवं बाढ़ के समय विद्युत लाईनों के क्षतिग्रस्त होने से जन जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता हैं। अतः क्षतिग्रस्त पावर लाईनों से तुरन्त विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने एवं मरम्मत हेतु आवश्यक सामग्री वाहन एवं विद्युत उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रखा जावें, जहां कहीं विद्युत लाईने पेड़ों के नजदीक है, उनकी जांच करवा कर सफाई व्यवस्था करवा ली जावें। भीषण गर्मी के कारण विद्युत लाईनों के तार लूज होकर उनकी निर्धारित दूरी कम होती है तथा तेज हवा के कारण आपस में टकराने की संभावना बढ़ जाती है. जिससे अग्नि दुर्घटना गठित हो सकती है, इसके लिए विद्युत लाईनों का सर्वे करवाकर दुरस्तीकरण का कार्य समय पर करवा लिया जावे। ढीले तारों को कसा जाए व कनेक्शनों को टाईट किया जावें। यदि कहीं पर ट्रांसफार्मर जमीन पर पडें है, तो उन्हे डी०पी० पर रखवाये जावें। जलभराव वाले क्षेत्रों मे सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल विघुत बंद करने की कार्यप्रणाली तैयार की जावें।

8. पशुपालन विभाग :–

उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, ब्यावर को निर्देशित किया गया कि बाढ/अतिवृष्टि के समय पशुओं में फैलने वाली बीमारियों के ईलाज के लिये पर्याप्त दवाईयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें। जिला पशुपालन अधिकारी जिले के समस्त पशु चिकित्सालयों पर आवश्यक वैक्सीन एवं औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बाढ/अतिवृष्टि के कारण पशुओं में फैलने वाली समस्त प्रकार की बीमारियों के उपचार हेतु मोबाइल टीमों का गठन किया जाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवायेंगे। मोबाइल टीमें जिला मुख्यालय एवं उपखण्ड/तहसील मुख्यालय पर उक्त सुविधा के साथ उपलब्ध रखी जावें। बाढ प्रभावित क्षेत्रों मे चारें, पशु आहार की व्यवस्था हेतु चारा आदि के सप्लाई हेतु चिन्हित क्षैत्रों की सूची तैयार कर रखी जावें। मृतक पशुओं के सुरक्षित निस्तारण करने का स्थान भी सुनिश्चित करें। आपातकालीन सेवा हेतु वाहनों द्वारा टीकाकरण कार्य यथा समय करवाया जावें।

9.सार्वजनिक निर्माण विभाग :–

जिले में सार्वजनिक भवनों, जीर्ण–शीर्ण हालत के भवनों की पहचान की जावें तथा जो भवन वर्षाकाल में गिर सकते है, इनकी मरम्मत करवाना तथा अनुपयुक्त पाये जाने पर उनको गिरा देने की कार्यवाही की जावें। संभावित दुर्घटना क्षैत्र, पॉईन्ट आदि का सर्वे करवाया जावें। सडक मार्ग से गुजरने वाले नदी–नाले, रपटे, कलवर्ट आदि पर होकर वर्षा का पानी बहने की स्थिति में उन स्थानों को चिन्हित कर दोनो ओर चेतावनी साईन बोर्ड, चैन, पीलर आदि लगा कर यातायात प्रतिबन्धित किया जावें।

ऐसे क्षेत्र जो गत मानसून/वर्षाकाल के दौरान जन हादसों का पर्याय बन चुके है उनका व्यक्तिगत भौतिक सत्यापन किया जाकर चेतावनी बोर्ड, जंजीर, पीलर आदि लगवाये जायें तथा संबंधित ग्राम पंचायत को इस संदर्भ में सूचित किया जावें। सडक किनारे उगे बंबूल कटवाये जावें ताकि दुर्घटना एवं यातायात प्रभावित नहीं हो। नालो/नदियों के ऊपर बने पुलो व कटाव संभावित मार्गो का निरीक्षण कर आवश्यक मरम्मत की जावें। आपदा स्थिति में वैकल्पिक मार्गो की सूची व अस्थायी पूल की योजना तैयार की जावें। ग्राम संपर्क सड़को की मरम्मत,जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें। क्षतिग्रस्त सडकों में गड्डे आदि वर्षाकाल से पूर्व ठीक करवाये जावें। बीसलपुर बांध एवं अन्य बांध से जल प्रवाह की स्थिति में संभावित दुर्घटना के बचाव एवं यातायात व्यवस्था सुचारू रहें, इसके लिये कार्ययोजना बनाकर संसाधन उपलब्ध रखें जावें।

10. शिक्षा विभाग एवं समाज कल्याण विभाग :–

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिले के समस्त राजकीय/निजी विद्यालयों भवनों की जांच कर ली जावें ताकि आगामी वर्षा के दौरान अतिवृष्टि/बाढ़ से विद्यालय भवन को किसी भी प्रकार की क्षति होने की संभावना न रहे, साथ ही समाज कल्याण विभाग अपने अधीन चल रहे छात्रावास भवनों की भी जांच कर ली जावें। जिले के अन्य विद्यालय/छात्रावासों के भवनों की सूचना संकलित कर नियन्त्रण कक्ष में रखीं जावें। कोई भी विद्यालय भवन क्षतिग्रस्त होने पर यदि उन्हें खाली कराने की आवश्यकता हो, तो तद्नुसार कार्यवाही की जावें। वर्षा काल के दौरान जो भवन राहत केन्द्रो के रूप में प्रयोग किये जाने है,उनकी संरचनात्मक मजबूती की जांच सुनिश्चित की जावें। विघालयों में शिक्षको व विद्यार्थियों को प्राथमिक आपदा प्रबंधन,सुरक्षित निकासी आदि का प्रशिक्षण दिया जावें।

11. राजस्व विभाग :–

जिले के सभी उपखण्ड अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने उपखण्ड क्षेत्र में मानसून, वर्ष 2026 की सक्रियता को ध्यान में रखते हुए उपखण्ड स्तरीय बैठक आयोजित कर कन्टीजेन्सी प्लान तैयार करावें एवं उपखण्ड क्षेत्र का भ्रमण कर संभावित आपदा, ग्राम क्षैत्र में तालाब, नदी, नाले, कलवर्ट, रपटे आदि पर पूर्व आपदा के अनुभव को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपाय/तैयारी संबंधित विभाग द्वारा करवाई जावें। तहसील मुख्यालय पर दिनांक 15.06.2026 से आपदा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना की जाकर पालना रिपोर्ट जिला नियन्त्रण कक्ष एवं राज्य नियन्त्रण कक्ष को नियमित भिजवाई जावें। जिले के समस्त राजस्व अधिकारी मुख्यालय पर ही उपस्थित रहेंगे। वक्त भ्रमण वर्षा, अतिवृष्टि, बाढ़ एवं तालाबों, बांधों, एनिकटों की सूचना अपने अधीनस्थ राजस्व कर्मचारियों से प्राप्त करते रहेंगे। पटवारियान/भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा किये गये निरीक्षण का अंकन अपनी दैनिक डायरी में किया जावेगा एवं निरीक्षण की रिपोर्ट अपने तहसील मुख्यालय पर स्थापित नियंत्रण कक्ष को देंगे। उपखण्ड अधिकारी अपने–अपने क्षेत्रों में बाढ़ प्रभावित गांवों की सूची तैयार करवाएंगे। तहसील स्तर पर संबंधित विभागों द्वारा बाढ़ बचाव हेतु किये जाने वाले कार्यों की समीक्षा उपखण्ड अधिकारी करेंगे तथा संबंधित विभागों में सामंजस्य बनाए रखेंगे। तहसील स्तर पर स्थापित आपदा नियन्त्रण कक्ष द्वारा सूचनाओं का आदान–प्रदान समय पर हो, इसकी पुख्ता व्यवस्था करेंगे। वर्षा की दैनिक सूचना वितन्तु संदेश एवं दूरभाष पर जिला नियंत्रण कक्ष को एवं भू–अभिलेख अनुभाग को प्रस्तुत करेंगे। अतिवृष्टि या जलभराव की दृष्टि से संवेदनशील ग्रामो की सूची अद्यतन की जावें। आपदा राहत केन्द्रो की पहचान /सुरक्षिति भवनों जैसे विद्यालय,पंचायत भवन आदि को चिन्हित कर राहत केन्द्र के रूप में तैयार किया जावें। जलमार्गो,नदी–नालों व निचले क्षेत्रो के नक्शो का सत्यापन एवं नवीनीकरण की कार्यवाही की जावें।

12. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, :–

अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन आने वाले तालाबों, बांधों का निरीक्षण किया जावें तथा तालाबों, बांधों में कमियां पाये जाने पर उनकी दुरूस्ती/मरम्मत कार्य समय रहते करवाये जावें, इस संबंध में जांच रिपोर्ट भिजवाई जावें। मानसून के दौरान निम्नतर स्तर पर सूचना प्रसारित करने एवं प्राप्त करने के लिए प्रत्येक ग्राम में कम से कम दो राजकीय कर्मचारी चिन्हित कर तहसील स्तर पर एक वाट्स–एप ग्रुप का गठन किया जायें। सभी तहसील स्तर पर भी कर्मचारी/अधिकारी चिन्हित कर एक वाट्स–एप ग्रुप का गठन किया जावें ताकि आपदा के समय सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जा सके। विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचों/ग्राम विकास अधिकारियों से समन्वय स्थापित

कर 15 जून, 2026 तक ग्राम पंचायत क्षैत्र में संवेदनशील स्थानों यथा तालाब, नालों, नदियों आदि को चिन्हित करें एवं चेतावनी बोर्ड लगवायें। तालाब नालों में किये गये अतिक्रमण को प्रशासन के सहयोग से हटवाने की कार्यवाही करें ताकि पानी बहाव अवरूद्व नहीं हो सके, इसकी सुनिश्चतता की जायें। बाढ की स्थिति में ग्राम पंचायत स्तर पर आवश्यक संसाधन, उपकरण आदि व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायें। नालियों व नालों की साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जावें। ग्राम विकास अधिकारी को वर्षाकाल के दौरान मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द करें तथा समय–समय पर इसकी जाँच भी की जावे।

13. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग :–

संभावित बाढ़ एवं आपदा की स्थिति में मौसम विभाग की चेतावनी को मध्यनजर रखते हुए संबंधित चेतावनी एवं जानकारी जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, मीडिया के माध्यम से आमजन तक प्रसारित करवायेगें। वर्षाकाल के दौरान समय–समय पर प्रिन्ट मीडिया आदि के माध्यम से होने वाली दुर्घटनाओं के लिये आम जनता को समाचार प्रकाशित कर जागरूक करेगें। स्थानीय रेडियो,लाउडस्पीकर ,सोशल मीडिया के माध्यम से सतर्कता संदेश प्रसारित किया जावें। वर्षाकाल के दौरान बाढ़ की सावधानियों हेतु प्रचार–प्रसार किया जावें साथ ही किसी भी प्रकार की गलत अफवाह न प्रसारित हो इसकी सुनिश्चितता की जावें।

14. नागरिक सुरक्षा विभाग, कलेक्ट्रेट :–

प्रभारी अधिकारी नागरिक सुरक्षा कार्यालय ब्यावर को निर्देशित किया है कि प्रशिक्षित स्वयंसेवक मय बचाव उपकरणों एवं वाहन के आपदा नियन्त्रण कक्ष में 15 जून, 2026 से तैनात करें।

15. बाढ़ नियन्त्रण कक्ष :–

जिला आपदा नियंत्रण कक्ष के पर्यवेक्षण अधिकारी श्री ब्रह्मलाल जाट अति0 जिला कलक्टर, ब्यावर होंगे एवं पर्यवेक्षण अधिकारी के सहयोग हेतु प्रभारी अधिकारी, तहसीलदार भु0 अ0, जिला कार्यालय ब्यावर होंगे। जिला आपदा नियंत्रण कक्ष जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में सहायता शाखा में 15 जून, 2026 से संचालित रहेगा।

जिला आपदा नियन्त्रण कक्ष एवं राज्य आपदा नियन्त्रण कक्ष के दूरभाष निम्नानुसार हैः–

- दूरभाष नं0 01462–299314
- ई–मेल relsec.dmbeawar@gmail.com

प्रभारी अधिकारी, पर्यवेक्षण अधिकारी दिनांक 15 जून, 2026 से अनवरत रूप से तीन पारियों में अग्रिम आदेश तक जिला आपदा नियन्त्रण कक्ष संचालित करेगें। नियन्त्रण कक्ष द्वारा दैनिक वर्षा की सूचना तैयार कर आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर एवं राज्य नियंत्रण कक्ष को भिजवायेगें। आपदा नियन्त्रण कक्ष में कार्मिको की ड्यूटी पर पूरा नियंत्रण रखा जावें। दैनिक वर्षा, अतिवृष्टि, बाढ़ एवं प्राप्त होने वाले संदेशों की पंजिका संधारित की जावें।

उक्तानुसार निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाकर रिपोर्ट भिजवाने हेतु सभी उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

साथ ही सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया गया कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से आगाह कर देवे कि आने वाले मानूसन के समय बिना जिला कलक्टर महोदय की अनुमति के वे मुख्यालय नही छोडें और अपने विभाग में उपलब्ध संसाधनों/उपकरणों के साथ पूरी तैयारी रखें। सभी सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियो के नाम, पदनाम, टेलीफोन नम्बर/मोबाईल नम्बर व पते सहित सूची इस कार्यालय को भिजवाते हुए उसकी प्रति अपने विभाग/कार्यालय में भी सुरक्षित रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे वांछित सहयोग प्राप्त किया जा सके।

जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष (EOC) दिनांक 15 जून 2026 से 30 सितम्बर 2026 तक संचालित रहेगा। जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष(EOC) के दूरभाष नंबर 01462299314 है नियंत्रण कक्ष में लगे अधिकारी/कर्मचारी आपदा प्रबंधन एवं बाढ से संबंधित समस्त प्रकार की सूचनाऐं समय–समय पर त्वरित आदान–प्रदान करेंगें। जिलें के प्रत्येक वर्षा मापी केन्द्रो से सूचना(प्रातः व सांयः) प्राप्त कर निर्धारित प्रारूप में संकलित सूचना नियमित रूप से जरिये ई–मेल राज्य सरकार एवं जिला/उपखण्ड के प्रभावी विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे।

पर्यवेक्षण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी

विवरण	अधिकारी का नाम	पद	मोबाईल नंबर
पर्यवेक्षण अधिकारी	श्री ब्रह्मलाल जाट	अतिरिक्त जिला कलक्टर, ब्यावर	9414314312
प्रभारी अधिकारी	श्री शिव राम मीना	तहसीलदार(भू.अ.) कार्यालय हाजा, ब्यावर	7976206847

जिला आपदा प्रबंधन नियंत्रण कक्ष (EOC) के लिए निम्नानुसार कार्मिको के दल का गठन किया जाता हैः–

क्र.स.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद व पदस्थापन स्थान	विभाग	मोबाईल नंबर
प्रथम पारी प्रातः 6.00 बजे से 2 बजे तक				
01.	श्री दिनेश कुमार धोधावत	कनिष्ठ सहायक, पंचायत समिति, जवाजा	पंचायतीराज	9460357994
02.	श्रीमती रजनी बागडी	कनिष्ठ सहायक, ग्राम पं0 बिलियावास पंचायत समिति, जवाजा	पंचायतीराज	8854950015
द्वितीय पारी दोपहर 2.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक				
01.	श्री मनोज सिंह	कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत बिलियावास	पंचायतीराज	9461258659
02.	श्री आजाद कुरैशी	कनिष्ठ सहायक , ग्राम पं0 बोरवा पंचायत समिति, जवाजा	पंचायतीराज	9352245599
तृतीय पारी रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक				
01.	श्री नरपत सिंह चौहान	वरिष्ठ सहायक, रा.उ.मा.वि. बिराटिया खुर्द, ब्यावर	शिक्षा विभाग	8107464732
02.	श्री गोपाल सिंह	वरिष्ठ सहायक, राबाउमा विधालय राजियावास	शिक्षा विभाग	8107301155
आरक्षित दल				
01	श्री गुलाम मुस्तफा	कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत बोरवा	पंचायतीराज	8946895686

1. जिलें में डीक्यूआरटी में तैनात नागरिक सुरक्षा विभाग के स्वंयसेवक अपनी ड्यूटी के दौरान कन्ट्रोल रूम पर उपस्थित रहेंगें।
2. वर्षा की सूचना एवं सिंचाई विभाग की सूचना एकत्रित की जाकर प्रभारी अधिकारी बाढ नियंत्रण कक्ष द्वारा जिला कलक्टर महोदय/अति0 जिला कलक्टर,ब्यावर को प्रतिदिन प्रातः 9.30 पर प्रस्तुत करेंगें।
3. जिला आपदा प्रबंधन बाढ नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कर्मचारी किसी भी प्रकार की आपदा सबंधित सूचनाऐं जो तहसील स्तर पर स्थापित ई0ओ0सी0 सेंटर ,अन्य विभागों एवं अन्यत्र से प्राप्त होगी,उनका तत्काल संप्रेषण का कार्य करेंगें तथा रजिस्टर पंजिका का संधारण कर उसमें प्राप्त सूचना का इन्द्राज एवं किये गये समाधान का स्पष्ट इन्द्राज करेंगें तथा पर्यवेक्षण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगें।
4. प्रथम पारी का साप्ताहिक अवकाश रविवार,द्वितीय पारी का सोमवार ,तृतीय पारी का मंगलवार तथा आरक्षित दल का बुधवार रहेगा। ड्यूटी पर तैनात कार्मिको को देय साप्ताहिक अवकाश एवं आकस्मिक अवकाश(विशेष परिस्थिति में) के दिनो में आरक्षित पारी वाले कार्मिक ई0ओ0सी0 में ड्यूटी करेंगें तथा शेष अवधि में आरक्षित दल की ड्यूटी प्रातः 9.30 बजे से 6.00 बजे तक ई0ओ0सी0 में रहेगी तथा वे अपनी उपस्थिति भी यही दर्ज करेंगें।
5. सभी अधिकारी/कार्मिक/स्वयं सेवक अपनी ड्यूटी के दौरान कन्ट्रोल रूम में उपस्थित रहेंगे एवं हर परिस्थिति में अपना फोन चालू रखेंगे।
6. नियंत्रण कक्ष में कार्यरत कार्मिक आगामी दल के उपस्थित होने पर ही प्रस्थान करेंगें।
7. पर्यवेक्षण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी की बिना पूर्व स्वीकृति के उक्त कर्मचारियो को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही होगा।

मानसून सत्र–2026 में जिला ब्यावर में नागरिक सुरक्षा स्वंयसेवको की तैनाती–

आगामी मानसून सत्र 2026 में संभावित अतिवृष्टि/बाढ़ से होने वाली आपदा की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए जिला ब्यावर के उपखण्ड/तहसील क्षेंत्र में नागरिक सुरक्षा स्वंयसेवको की तैनाती दिनांक 24.06.2026 से 30.09.2026 तक की गयी है जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.स.	नाम स्वंयसेवक	सदस्य संख्या	मोबाईल नंबर	योग्यता	तैनाती क्षैत्र
1	अमीर खान	4588	8696704166	तैराक	उपखण्ड कार्यालय ब्यावर
2	अजय सिंह गहलोत	4342	8503958779	सामान्य	उपखण्ड कार्यालय ब्यावर
3	हेमकिरण	4573	8233223125	सामान्य	उपखण्ड कार्यालय ब्यावर
4	अनिल काठात	4377	9929646258	सामान्य	उपखण्ड कार्यालय ब्यावर
5	दुर्गालाल कहार	3896	7427014576	तैराक	उपखण्ड कार्यालय जैतारण
6	माधूराम	4367	7878001205	सामान्य	उपखण्ड कार्यालय जैतारण
7	रामप्रसाद	4372	8386996091	सामान्य	उपखण्ड कार्यालय जैतारण
8	धनराज मीणा	4049	9784822843	तैराक	उपखण्ड कार्यालय रायपुर
9	युवराज मीणा	3905	9636171044	तैराक	उपखण्ड कार्यालय रायपुर
10	सुनिल टोगस	4737	8003789543	सामान्य	उपखण्ड कार्यालय रायपुर (मुख्यालय उप तहसील सेंदड़ा)
11	प्रमिला	4579	6376969019	सामान्य	तहसील कार्यालय रायपुर (मुख्यालय उप तहसील सेंदड़ा)
12	अमीन काठात	4334	9784843964	तैराक	उपखण्ड कार्यालय मसूदा
13	भैरूलाल	4623	8696039495	सामान्य	उपखण्ड कार्यालय मसूदा
14	विरेन्द्र सिंह	4599	8000972798	सामान्य	उपखण्ड कार्यालय मसूदा
15	दिलकुश कहार	3891	8503812730	तैराक	उपखण्ड कार्यालय बदनोर
16	हिमांशु सैन	4388	9649291212	सामान्य	उपखण्ड कार्यालय बदनोर
17	नौरतमल कहार	3895	9116714397	तैराक	उपखण्ड कार्यालय टॉडगढ़
18	शक्ति सिंह	4625	9352770157	सामान्य	उपखण्ड कार्यालय टॉडगढ
19	ओमप्रकाश	4351	9636534766	सामान्य	जिला कार्यालय ब्यावर
20	भोमली	3997	9024032693	सामान्य	जिला कार्यालय ब्यावर
21	विमल चांदावत	4000	9079609438	सामान्य	जिला कार्यालय ब्यावर

आपदा के दौरान

जिला कलक्टर की भूमिका

- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंध का आदेश देना।
- आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना करवाना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनवाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतू सूचनाएं व आकडें तैयार रखवाना।

जिला प्रशासन

- आपदा से हुए नुकसान आदि के लिए विशेष सर्वेक्षण दल की स्थापना करना।
- रेलवे व यातायात विभाग से सामंजस्य स्थापित करके आने जाने की सुविधा प्रदान करना।
- नियन्त्रण कक्ष के संचालन को सुव्यवस्थित करना।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना व उनमें समन्वय करना।
- प्रभावित लोगों को समुचित सहायता की व्यवस्था करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में राहत केन्द्रों को चलाना।
- विभिन्न बचाव कार्यो के लिए धन की व्यवस्था करना।
- दान दी गई राहत सामग्री की सूची तथा वितरण की रूपरेखा तैयार करना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत व जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउंटर बनाना।
- जरूरत पड़ने पर सेना से सहायता लेना।

पुलिस विभाग

राजस्व विभाग के बाद पुलिस विभाग की भूमिका आपदा प्रबन्धन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। आतंकवादी हमले, सिविल अनरेस्ट तथा सड़क दुर्घटना में पुलिस विभाग ही नोड़ल विभाग होता है। इसके अतिरिक्त बाढ़, भूकम्प, आग या कोई भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले पुलिस को ही सूचित किया जाता है।

- आपदा प्रभावित स्थल पर पहुंचकर जन समूह को संभालना/बचाव कार्यों में प्रशासन की मदद करना।
- खोज, बचाव व स्थानों को खाली करवाने के लिए अतिरिक्त संस्थाओं जैसे होमगार्ड, एन.सी.सी. इत्यादि की सहायता लेना।
- लोगों के जान माल की रक्षा करना व कानून व्यवस्था बनाये रखना।
- आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाना।
- बाढ़ की चेतावनी मिलने पर निचले स्थानों पर रहने वाले लोगों को उच्च एवं सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित करना।

नागरिक सुरक्षा बल, स्काउट्स एण्ड गाईड्स तथा एन.सी.सी.

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष नागरिक सुरक्षा बल के जवानों की छुट्टी आदि रद्द करके उन्हें आपदा स्थल पर तुरन्त पहुंचने का आदेश देंगे।
- नागरिक सुरक्षा बल के जवान आपदा में फंसे लोगों को ढूंढने व निकालने में जिला प्रशासन की सहायता करेगें।
- स्वयंसेवक उपलब्ध करना।
- कानूनी व्यवस्था में मदद करना।

चिकित्सा विभाग की भूमिका

- विभाग में नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी चिकित्सकों व अन्य कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- अस्पताल में घायलों को भर्ती करने हेतु जगह का इंतजाम करना।
- आवश्यक दवाईयों का स्टॉक तैयार रखना।
- आपदा स्थल पर स्वास्थ्य राहत शिविरों की स्थापना करना।
- आपदा स्थल पर डॉक्टर व अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात करना ताकि घायलों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके।
- एम्बुलेंसों की व्यवस्था करना।
- अन्य निजी अस्पतालों व उनके पास उपलब्ध संसाधनों को आपदा से निपटने के लिए संपर्क करना।
- जिले में उपलब्ध मोबाइल यूनिटों को घायलों की सहायता हेतु आपदा स्थल पर भिजवाने की व्यवस्था करना।
- ब्लड बैंकों को आपदा स्थल व अस्पतालों में रक्त पहुँचाने के लिए संपर्क करना।
- मृतकों का निस्तारण हेतु नगर पालिका/परिषद/निगम की मदद लेना।

सिंचाई विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलायेंगे।
- रिहायशी क्षेत्रों से बाढ़ के पानी की निकासी हेतु आवश्यक कदम उठायेगा (जैसे पम्पसेटो की व्यवस्था आदि करना)
- बाढ़ के पानी की शीघ्र निकासी हेतु उचित मार्ग बनाना व अवरोधों को हटाना।
- बचाव व राहत कार्यों के लिए नावों की व्यवस्था करना।
- गोताखोरों एवं तैराकों से सम्पर्क कर उनकी सेवाएं लेना।
- कंकड़ पत्थर और मिट्टी से भरे थैलों से बहाव को रोकना।
- बांधों व तालाबों में आई दरारों को बन्द करने हेतु तत्काल व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- आपदा की सूचना मिलने पर विभागाध्यक्ष अपने विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को ड्यटी पर बुलायेंगे।
- आपदा स्थल से मलबा आदि उठाने के लिए गाड़ियों का तुरन्त इन्तजाम करना।

- विभागाध्यक्षों द्वारा ठेकेदारों से सम्पर्क कर उनके पास उपलब्ध संसाधनों की सहायता लेना।
- आपदा के दौरान टूटे सड़क मार्गो की मरम्मत की व्यवस्था करना ताकि राहत कार्य सुचारू रूप से हो सके।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं जलदाय विभाग

- आपदा प्रभावित जनता को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना।
- जलाशयों तथा जल की सुरक्षा निश्चित करना।
- टूटी हुई पाइप लाईनों को तुरन्त प्रभाव से ठीक करवाने हेतु विभाग के कर्मचारियों को निर्देशित करना व ठेकेदारों को नियुक्त करना।
- जरूरत पड़ने पर अग्निशमन साधनों तथा अस्पतालों के लिये समुचित जल की व्यवस्था करना।

अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम

- आपदा स्थल पर बिजली आपूर्ति का प्रबन्ध।
- टूटे हुए बिजली के तारों को पुनः जोडना व बिजली की सप्लाई आपदा स्थल तक पहुँचाना।
- प्रथम, द्वितीय व तृतीय पारी की टीमों का संगठन कर तैयार रखना ।

दूर संचार विभाग

- आपदा स्थल पर संचार के माध्यम उपलब्ध कराना (वायरलैस, मोबाईल, होटलाईन)।
- अस्थाई संचार व दूरसंचार व्यवस्था करना।
- जनता तक सही सूचना पहुॅचाना।
- टूटी हुई जन संचार व्यवस्था को पुनः चालू करना।
-

नगर पालिका/परिषद/ निगम

- मृत पशुओं आदि का निस्तारण करना।
- महामारी से बचाव हेतु डी.डी.टी. अथवा अन्य दवाईयों का छिडकाव तथा सफाई की व्यवस्था करना।
- आग जैसी आपदा के समय तुरन्त प्रभाव से अग्निशमन सेवाएँ प्रदान करना। (अग्निशमन यन्त्र, अग्निशमन वाहन आदि)

परिवहन विभाग

- आपदा स्थल तक आने जाने हेतु वाहन उपलब्ध करवाना।

खाद्य एवं रसद विभाग

- खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल व करोसिन आदि का आरक्षित भण्डार प्रशासन की मांग पर उपलब्ध कराना।
- निजी दुकानदारों व खाद्य भण्डारों के विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित कर उन्हें मदद के लिये सूचना देना।

पशुपालन विभाग

- आपदा की स्थिति में पशुओं के लिए चारा, पानी, दवाईयों की व्यवस्था करना।
- पशु चिकित्सक उपलब्ध कराना।

- पशुओं के शवों का निस्तारण करवाना।
- पशुओं के इलाज के लिए व रखने के लिये पशु अस्पताल आदि में जगह का इन्तजाम करना।
- आपदा के समय स्वस्थ पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना।

स्वंयसेवी संगठन

हर तरह की आपदा से निपटने हेतु जिला प्रशासन की मदद करना।

अध्याय – 5

जिले में सम्भावित आपदाएं व कार्य योजना

5.1 सूखा

सूखा जल के अभाव का संचयी प्रभाव होता है जिसका प्रभाव एक प्राकृतिक आपदा के रूप में कृषि, प्राकृतिक परिवेश तथा संबंधित प्रक्रमों पर पड़ता है। इसकी प्रभावशीलता निरन्तर बढ़ती जाती है तो अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भारतीय मौसम विभाग ने सूखे को दो भागों में विभक्त किया है–प्रचण्ड सूखा एवं सामान्य सूखा। प्रचण्ड सूखे में 50 प्रतिशत से कम बारिश होती है जबकि सामान्य सूखे में औसत वर्षा से 25 प्रतिशत बारिश कम होती है। सिंचाई आयोग द्वारा दी गई सूखे की परिभाषा के अनुसार यह वह स्थिति है जिसमें उस क्षेत्र में सामान्य वर्षा से 75 प्रतिशत कम वर्षा हुई हो। यदि यह कमी 25 से 50 प्रतिशत के मध्य है तो इसे सीमित सूखे की स्थिति तथा यदि यह कमी 50 प्रतिशत से अधिक हो तो इसे गंभीर सूखे की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है।

सूखा एक धीरे–धीरे होने वाली ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो हमें निपटने का काफी समय देती है। जल का उचित प्रबन्धन न होने के कारण समय के साथ इसका प्रभाव भी बढ़ता जाता है। सूखे का मुख्य कारण बारिश की कमी तथा पानी के सही संरक्षण का अभाव होना है।

सूखे के सामान्य संकेतक

- जलाशयों में पानी का अभाव
- वर्षा का कम होना या समय पर ना होना या कम जल संग्रहण
- भू जल स्तर का कम होना
- कुओं का सूखना
- फसलों का नष्ट होना

सूखे के प्रकार

- **मौसम विज्ञान संबंधी सूखा** :– अपर्याप्त वर्षा, अनियमितता, पानी का असमान वितरण
- **जल विज्ञान संबंधी सूखा** :– पानी का अभाव, भूजल स्तर का निम्न होना, जल स्त्रोतों का अवक्षय, तालाबों, कुओं तथा जलाशयों का सूखना
- **कृषि संबंधी सूखा** :– फसल अथवा चारे की कमी, मृदा की नमी में कमी।

सूखे की कार्ययोजना

राजस्थान के परिपेक्ष्य में सूखा एक विकराल समस्या हैं परन्तु कुछ दीर्घकालीन उपाय अपनाकर हम इस स्थिति को उत्पन्न होने से रोक सकते हैं अथवा इसके विकरालता को कम कर सकते हैं।

दीर्घकालीन उपाय

- वर्षा के पानी का अधिकतम उपयोग करना तथा संरक्षण करना।
- पानी के बहाव को कम करना तथा उसे संचित करना।
- पानी के परम्परागत स्त्रोतों का पुनर्जीविकरण

- अवक्रमित भूमि एवं वनों की पुनः स्थापना सुनिश्चित करना।
- पानी के संग्रहण एवं भू–कूंपों का पुनर्भरण।
- मिट्‌टी व नमी का संरक्षण।
- अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाना तथा पेड़ों की कटाई को रोकना।
- फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग।
- फसलों में फव्वारा पद्यति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देना।
- कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देना।
- स्वयंसहायता समूहों का गठन करके लोगों में पानी बचाने के लिए जागरूकता लाना।

सूखा पूर्व तैयारी

इस वर्ष इस जिले का कोई गांव सुखाग्रस्त घोषित नही है पुर्व में सुखाग्रस्त होने के कारण निम्न रूप से तैयारिया की जाती रही है।

- अकाल प्रभावित क्षेत्रों का चिन्हिकरण
- चारा डिपो स्थापित करने हेतु गांवों का चिन्हीकरण
- अनाज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- जानवरों के लिए शिविरों के स्थान चिन्हित करना।
- पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- स्वयंसेवी संस्थाओं का चिन्हिकरण करना।
- सूखे के दौरान फैलने वाली संभावित बीमारियों से लड़ने हेतु तैयारी करना।
- रोजगार सृजन के अवसर हेतु राहत कार्यों आदि की विकास योजना तैयार करना।

सूखे के समय कार्य योजना

- सूखा प्रभावित क्षेत्रों की घोषणा करना।
- सभी सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवाएं काम में लेना।

जिला प्रशासन

- सहायता विभाग सूखा नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करेगा।
- राहत कार्यों की शुरूआत
- कुओं को गहरा करना।
- उपलब्ध पानी के स्त्रोंतों का संवर्धन
- निजी कुओं को किराये पर लेना
- हैण्डपम्पों की मरम्मत करवाना
- परम्परागत जल स्त्रोतों जैसे बावड़ी, टांकों आदि का पुनः जीविकरण
- आवश्यक खाद्य सामग्री का सार्वजनिक वितरण
- खाद्य सामग्री पर मूल्य नियंत्रण
- सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना, अन्त्योदय अन्न योजना, समन्वित बाल विकास सेवाएं, मध्याह्न योजना कार्यक्रम, अन्नपूर्णा आदि का क्रियान्वयन
- पशुओं के लिए चारा डिपो स्थापित करना

- पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करना
- किसानों को सिंचाई हेतु बिजली व डीजल उपलब्ध करना।
- प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार सृजन
- अकाल राहत के तहत आरम्भ किये गये कार्यों हेतु मजदूरों को समय पर भुगतान

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- प्रभावित जनसामान्य की चिकित्सकीय देखभाल सुनिश्चित करना
- मौसमी बीमारियों/संक्रामक रोगों की रोकथाम के लियें चिकित्सकीय एवं पेरोमेडीकल स्टॉफ की उचित व्यवस्था
- राहत कार्य के स्थलों पर मेडीकल किट एवं स्टॉफ की उपलब्धता सुनिश्चित करना

पशुपालन विभाग

- मवेशियों के लिए शिविर लगाना
- संक्रामक रोगों की रोकथाम के लियें पशुओं की उचित चिकित्सकीय देखभाल करना।
- बड़ी संख्या में पशुओं की मृत्यु रोकने के लिये पशु चिकित्सक कर्मी, दवाईयां एवं समय पर उनका संचालन करना।
- पशुओं के लिए चारा तथा पानी उपलब्ध कराना।
- पशुओं को उचित स्थान पर स्थानान्तरित करना ।

जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी

- प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जल की आपूर्ति एवं उसका परिवहन सुनिश्चित करना।
- पीने के पानी की व्यवस्था हेतु टैंकर्स, कैनवस बैग व हैण्ड पाईप लाइन की व्यवस्था करना।
- ग्रीष्म ऋतु आपात योजनाओं का प्रभावी एवं समय पर क्रियान्वयन

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- समाज के कमजोर तबके के समूह के बचाव हेतु अन्त्योदय अन्न, अन्नपूर्णा अन्न योजना, गरीबी की रेखा से नीचे वाले तबके सार्वजनिक वितरण व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन
- काम के बदले अनाज योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन

स्वंय सेवी संगठन

- राहत कार्यो एवं पेयजल आपूर्ति में स्वयं सेवी संगठनों की भागीदारी
- इस विपत्ति हेतु ज़िला प्रशासन को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना

समेकित बाल विकास सेवाएं

- बच्चों एवं गर्भवती माताओं हेतु समेकित बाल विकास सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन
- राहत कार्य स्थलों पर पूरक पोषहार उपलब्ध कराना।

सिंचाई

- सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था हेतु नहरों को पूर्ण क्षमता से चलाना
- दोषपूर्ण नलकूंपों की मरम्मत करना।
- राहत कार्यो के अन्तर्गत जल संरक्षण/एकत्रीकरण के कार्यो का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना

कृषि विभाग

- खेती के लिए बीज तथा कीटनाशक दवाईयाँ उपलब्ध कराना।
- फसलों का चक्रानुक्रम, नर्सरी तथा कृषि निवेशों की व्यवस्था करना।

वन विभाग

- वन भूमि में चरागाह उपलब्ध कराना।
- ईंधन आदि के लिए पेड़ों की सूखी टहनियाँ उपलब्ध कराना।

विद्युत विभाग

- विद्युत की नियमित व पर्याप्त आपूर्ति का प्रबन्ध

सूखा से बचने के लिए क्या करें, क्या ना करें।

- लगातार समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रसारित होने वाली चेतावनियों को सुने व उनके द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्य करें।
- पानी की बचत करें तथा इसे बर्बाद होने से रोकें। जब भी नल से पानी व्यर्थ बहता देखें तुरन्त नल को बंद करें।
- गिलास में एक बार में उतना ही पानी ले जितनी आपको प्यास हे। पूरा गिलास भरकर पानी लेकर व झूठा छोड़ने से पानी बरबाद होता है, अगर कोई मेहमान भी गिलास में पानी छोड़ जाए तो उसे पेड़ पौधों में डालें।
- पाईप लाइन अथवा टंकी से पानी लीक होते ही उसे ठीक करवायें, ताकि बून्द–बून्द करके पानी बेकार न बहता रहे।
- कहीं भी पाईप लाईन टूटी हो और पानी सड़क अथवा अन्य किसी स्थान पर व्यर्थ बह रहा हो तो जलदाय विभाग को सूचित करें तथा लिकेज को रोके के प्रयास करें।
- घरों में वे ही पौधे लगायें जिन्हें कम पानी की जरूरत होती है। घास में दो दिन में एक बार पानी दें। फल, सब्जी व कपड़े धोकर पानी नाली की जगह घास अथवा पौधों में ड़ालें।
- जल संग्रहरण हेतु बनये गये कुओं, तालाब आदि की सफाई रखें।
- सोने से पहले घर के सारे नलों को अच्छी तरह से बन्द करें।
- ब्रश अथवा मन्जन करते समय नल खुला न छोड़ें बल्कि एक मग अथवा गिलास में पानी भसरकर दांत साफ करें।
- नहाते समय बाल्टी व मग का प्रयोग करके नहाएं कयोंकि फव्वारे व टब बाथ से पानी अधिक बर्बाद होता है।
- शेविंग करते समय नल खुला न रहने दे। जब मुंह धोने की जरूरत हो तभी नल खोलें व पानी का उपयोग करें।
- हाथ साफ करने के लिये पहले साबुन लगाये व बाद में नल खोल कर हाथ धोयें।

- अपनी गाड़ी को साफ करने के लिये पानी के पाईप का प्रयोग न कर गीले तथा सादे कपड़े का प्रयोग करें।
- फर्श साफ करने के लिये घरों को धोने के बजाय पोंछा लगाकर साफ करें।
- कम से कम बर्तनों का प्रयोग कर हम बर्तनों को धोने के उपयोग में आने वाले पानी को बचा सकते हैं।
- जल संरक्षण के लिये किये जा रहे प्रयासों में अपना सहयोग सुनिश्चित करें।

5.2 बाढ़

प्राकृतिक जल चक्र का एक अंग बाढ़ भी है। जिसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध वर्षा से है एवं यह जल प्रबन्धन को प्रभावित करती है। यदि किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक मात्रा में होती है, तो नदियाँ असंतुलित होकर उफान अवस्था में आ जाती है और बाढ़ की उत्पत्ति होती है। इस विकट पर्यावरणीय परिस्थिति का प्रभाव उक्त क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर भी पड़ता है। बाढ़ का सामान्य अर्थ होता है–विस्तृत स्थलीय भाग का लगातार कई दिनों तक जलमग्न रहना। यद्यपि बाढ़ के लिए प्रकृति ही उत्तरदायी है लेकिन मानवीय क्रियाकलाप भी कम उत्तरदायी नहीं हैं।

भारत भी बाढ़ से प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। विश्व में बाढ़ से होने वाली 20 प्रतिशत मौतें भारत में होती है। भारत के कुल क्षेत्रफल का आठवां भाग बाढ़ से प्रभावित होता है जो कि लगभग 4.10 करोड़ हैक्टेयर है।

बाढ़ के मुख्य कारण

- अत्यधिक वर्षा
- बांध का टूटना
- पेड़ों की संख्या में कमी
- वृहत अपवाह क्षेत्र
- उष्ण कटिबंधीय व विक्षोभ
- अपवाह में अवसादीकरण
- बादल का फटना
- भूकम्प

बाढ़ कार्य योजना

बाढ़ के कारण होने वाली जान हानि व माल हानि को संरचनात्मक व गैर संरचनात्मक कदम उठाकर काफी हद तक कम किया जा सकता है। संरचनात्मक कदमों से बाढ़ के पानी से नुकसान पहुंचने वाले स्थानों पर जाने से रोका जाता है तथा गैर संरचनात्मक उपायों से नुकसान सम्भावित क्षेत्रों में से बस्तियों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरिक किया जाता है।

संरचनात्मक उपाय

1. जलाशयों की खुदाई तथा गाद निकालना तथा प्राकृतिक अपवाह पर हुए अतिक्रमण को मानसून के आने से पहले हटाना।
2. प्राकृतिक अपवाह में आने वाली रेल पटरियों के नीचे तथा सड़क पुलों के नीचे से मिट्टी निकालना।
3. बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों में से पानी निकालने हेतु निकास व्यवस्था को बनाना।
4. मानसून से पहले सभी नदियों व ड्रेन से पानी का सुरक्षित निकास, तथा प्राकृतिक अपवाह तन्त्र का निरीक्षण, जल निकास हेतु पम्प हाऊस तथा चलित पम्पों की मरम्मत।

5. नदी के बान्ध में छिद्रान्वेषी व सुरक्षित क्षेत्रों की शिनाख्त करना।
6. तटबन्ध पर बनाये गये स्थानीय बान्धों को वर्षा ऋतु के आने से पहले हटा देना।

गैर संरचनात्मक उपाय

पारम्परिक इन्जीनियरिंग विधियों से पूर्ण रूप से बाढ़ नियन्त्रित नहीं की जा सकती परन्तु जन सहभागिता से बाढ़ के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

- बाढ़ के मैदान का पेटीकरण व भू उपयोग को नियन्त्रित करना
- बाढ़ का पूर्वानुमान तथा चेतावनी देना।
- बाढ़ से सुरक्षित घरों का निर्माण।
- संवेदनशील क्षेत्रों में साईन बोर्ड प्रदर्शित करना।
- बाढ़ से बचने के लिए जन चेतना शिविरों का आयोजन।
- बाढ़ के प्रभाव से बचने के लिए क्या करें क्या न करें को विभिन्न सूचना माध्यमों जैसे रेड़ियो, अखबार, दूरदर्शन तथा बुकलेट से लोगों तक पहुंचाना।
- भू उपयोग को नियमों के माध्यम से नियन्त्रित करके जान, माल तथा भौतिक संसाधनों का खतरा कम किया जा सकता है।
- आपदा सम्भावित क्षेत्रों में दुर्घटना में घायल या मृत लोगों का सीधा सम्बन्ध जनसंख्या घनत्व से होता है। अतः बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व को निर्धारित करना चाहिए तथा अगर पहले से लोग बसे हुए हैं तो भू उपयोग नियन्त्रण करके नियमों को पालन करें। संवेदनशील क्षेत्रों के लोगों को दूसरे स्थानों पर स्थानान्तरित करने से सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होते हैं। अतः इन क्षेत्रों में जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट कार्य योजना बनानी चाहिए। उच्च बाढ़ सम्भावित क्षेत्रों के जोखिम को कम करने के लिए प्रकृति व पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों पर वनों के लिए आरक्षित करना।
- हल्के भवन निर्माण सामग्री का बाढ़ संभावित क्षेत्रों में प्रयोग पर रोक लगानी चाहिये तथा मिट्टी के बने घरों को केवल उन क्षेत्रों में अनुमति दी जानी चाहिये जहां पर बाढ़ नियन्त्रण के उपाय कर लिए गये हैं। बचाव हेतु एस्केप रूट का चयन तथा उच्च स्थानों का चयन पहले से निर्धारित होना चाहिए।

कंट्रोल रूम

जयपुर मुख्यालय पर वृत स्तर का बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाता है। जिले में भी बाढ़ से निपटने हेतु 15 जून से 30 सितम्बर तक बाढ़ नियंत्रण कक्ष सिंचाई विभाग में स्थापित किया गया है। जिस पर चौबीसों घण्टे बाढ़ एवं वर्षा संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान जारी रखा जायेगा। राज्य मुख्यालय पर स्थित बाढ़ नियंत्रण कक्ष का टेलीफोन नम्बर 0141–2702480 है।

क्र. सं.	कार्यरत कन्ट्रोल रूम	दूरभाष नम्बर
1	राज्य कन्ट्रोल रूम, जयपुर	0141–2702480
3	बाढ़ नियंत्रण कक्ष, जयपुर	0141–2385776
2	जिला कन्ट्रोल रूम, ब्यावर	01462–299314

सिंचाई विभाग

1. सुरक्षित स्थानों का चयन
2. सहायता राशि तथा रोजगार उपलब्ध कराने का प्रबन्धन
3. वाहनों की उपलब्धता निश्चित करना
4. सिविल डिफेंस विभाग को भी पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिये जाते हैं एवं होमगार्ड को आपातकालीन स्थिति में सहायता करने हेतु हमेशा तैयार रहने के निर्देश दे दिये जाते हैं।
5. बाढ़ की स्थिति में कई प्रकार की बीमारियां फैल जाती है इसलिए चिकित्सा विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि संबंधित बीमारियों में काम आने वाली दवाईयों का प्रचुर मात्रा में भण्डारण करके सभी चिकित्सालयों में आवश्यकता पड़ने पर दवाईयां काम में लिये जाने हेतु रिजर्व रख दी जावें।
6. सिंचाई विभाग बांधों के पानी से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति के अतिरिक्त अतिवृष्टि के कारण जल पलवन की स्थिति में नोडल एजेन्सी के रूप में राज्य सरकार के आदेशानुसार कार्य करेगा।
7. अतिवृष्टि की स्थिति में परिस्थितियों से निपटने हेतु सामग्री उपलब्ध कराना
8. नावों की सूची उपलब्ध कराना

चिकित्सा विभाग–

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का नोडल अधिकारी होता है। बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर चिकित्सा संसाधन/सुविधाओं का प्रयोग किया जा सकता है।

आपात कालीन सेवाओं के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिले तथा ब्लॉक स्तर पर भी एक–एक रेपिड रेसपोन्स टीम का गठन करेंगे

1. चिकित्सा अधिंकारी	01
2. स्वास्थ्य निरीक्षक	01
3. मेल नर्स	01
4. एमपीडब्ल्यू	01
5. वार्ड बॉय	01
6. वाहन चालक मय वाहन	01

आपदा की सूचना प्राप्त होते ही रेस्पोन्स टीम तुरन्त प्रभावित स्थल पर पहुंचकर प्राथमिक उपचार उपलब्ध करायेगी, गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार पश्चात् अस्पताल में भेजेगी एवं आवश्यकता होने पर (महामारी के समय) रोकथाम की कार्यवाही करना आदि। अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति को मध्य नजर रखते हुए जिले के सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं पेरा मेडिकल स्टाफ को मुख्यालय पर रहने हेतु पाबन्द किया जायेगा।

जन.स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- संकटकाल में विभाग द्वारा पानी की सप्लाई पुनः शुरू की जाने की व्यवस्था की जायेगी।
- पेयजल के शुद्विकरण हेतु पर्याप्त मात्रा में ब्लीचिंग पाउडर उपलब्ध कराना।
- समस्त अधिशाषी अभियन्ताओं, सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं एवं तकनीकी कर्मचारियों को इस दौरान् मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिये जाएंगे।

जिला रसद विभाग

- जिला रसद विभाग आपदा के समय खाद्य सामग्री तथा केरोसिन, पेट्रोल व डीजल उपलब्ध करायेगा।

पशुधन एवं डेयरी विकास विभाग

- संभावित आपदा से प्रभावित पशुओं में सक्रांमक रोग, कुपोषण एवं अन्य उत्पन्न विकृतियों से बचाव हेतु जिला स्तर पर सूचनाओं के सम्प्रेषण एवं नियत्रण हेतु जिला प्रभारी वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी जिम्मेदार होंगे।
- मोबाइल टीम, आपदाओं के कारण पशुओं में संभावित संक्रामक रोगों से बचाव हेतु वैक्सीन एवं विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु मांग अनुसार अनुमोदित औषधिया उपलब्ध करायेगी।

- तहसील मुख्यालय पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी तहसील स्तर के जोन प्रभारी के रूप में तैनात करना।
- जोन प्रभारी संबंधित तहसील में आउट ब्रेक अथवा अन्य पशु विकृतियों/रोगों के उपचार व्यवस्था हेतु पशु पालन जिला नियंत्रण कक्ष, विकास अधिकारी, तहसीलदार, थानाधिकारी से सम्पर्क में रहते हुए प्राप्त सूचनाओं/निर्देशानुसार क्षेत्र में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को क्षेत्र विशेष में भिजवाने हेतु प्राधिकृत किया हुआ है तथा प्रत्येक स्थिति के नियंत्रण हेतु जोन प्रभारी को उत्तरदायी बनाया गया है।
- जोन प्रभारी ही क्षेत्र की सूचनाओं का सम्प्रेषण करने हेतु प्राधिकृत है। प्रत्येक ग्राम स्तर पर कार्यरत पशु चिकित्सा अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक, पशुधन सहायक को भी आवश्यक निर्देश प्रदान कर आपदा से उत्पन्न विकृतियां/समस्याओं से निपटने के लिए जोन प्रभारी एवं जिला पशुपालन नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क में रह कर कार्य करने के लिए प्राधिकृत है।

विद्युत विभाग

जिले में विद्युत का संरचनात्मक ढांचा स्थित होने के कारण इनके रख रखाव एवं सही संचालन हेतु पूर्ण व्यवस्था है फिर भी यदा कदा, आंधी, तुफान, भारी वर्षा अथवा अन्य प्राकृतिक घटनाओं के कारण बिजली के तार टूटना या अन्य तरह की दुर्घटना घटित होना स्वाभाविक है।

- वृत स्तर पर आपदा निवारण प्रकोष्ठ स्थाई रूप से कार्य करेगा एवं सहायक अभियंता स्तर का अधिकारी प्रकोष्ठ प्रभारी होंगे।
- विद्युत लाईनों/तार टूटने एवं इनमें करंट आने की सूचना मिलने पर तुरन्त लाईनों में विद्युत प्रवाह बंद कर दिया जावें तथा सुधार कार्यवाही शीघ्रता से पूरी करना।
- आवश्यकता पड़ने पर कट्रोल रूम में सूचना देकर तुरन्त प्रभाव से बिजली विभाग के किसी भी अथवा सभी अधिकरियों व कर्मचारियों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये जा सकते हैं।

पुलिस विभाग

- आपदा के वक्त जिला पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ मिलकर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए जिम्मेदार ह्रोगा।
- आपदा से निपटने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कन्ट्रोल रूम स्थापित किया जायेगा
- कन्ट्रोल रूम की संचार व्यवस्था वायरलैस, टेलीफोन, डी/आर बल को परिवहन हेतु छोटी–बड़ी गाड़ी अच्छी स्थिति में दुरूस्त होनी चाहिये।
- कन्ट्रोल रूम में 24 घण्टे की सेवायें कार्यरत होगी तथा आरएएफ, आरएसी की टुकड़ियां तैनात रहेगी
- ये टुकड़ियां लाठी, ढाल गैस, गन, हथियारों से सुसज्जित हो।

एन.सी.सी/एन.एस.एस.

- आपदा के समय एनसीसी कैडेट्स व संबंधित स्टाफ घर–घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाकर जन जीवन को राहत पहुंचाने में मदद करेगा।

अग्नि शमन केन्द्र,

जिला मुख्यालय पर अग्निशमन केन्द्र कार्यरत है जिसमें अग्निशमन वाहन उपलब्ध है। आग की स्थिति से निपटने के लिए **101** पर तुरन्त फोन किया जा सकता है।

नगरपरिषद/नगरपालिकाएं

- नालों की सफाई का कार्य करवाना।
- बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाना।
- ट्रेक्टर, ट्रोली तथा पम्पसेटों की उपलब्धता कराना।
- मिट्टी के कट्टे उपलब्ध कराना।

सरकारी/गैर सरकारी संस्थाओं का योगदान
आपदा के समय सहायता उपलब्ध कराने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से भी मदद ली जायेगी सूची

5.3 दुर्घटना

विज्ञान व तकनीकी विकास ने मानव जीवन को सुखदायी बना दिया है जिसके फलस्वरूप आज दूरियों को घण्टों में गिना जाने लगा है। परन्तु यातायात के नियमों का सही ढंग से पालन न करने, असावधानी व तकनीकी खराबी के कारण दिन प्रतिदिन दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जा रही है।

भारत में दुर्घटनाओं के कारण जितने लोगों की मृत्यु होती है उनमें लगभग 37 प्रतिशत केवल सड़क दुर्घटनाओं के फलस्वरूप अकाल मौत का शिकार होते है। स्थिति की भयावता का अंदाज इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि प्रतिदिन हर घंटे में 10 व्यक्ति सड़क दुर्घटनाओं से मृत्यु का ग्रास बनते हैं एवं इनसे चार गुना अर्थात 40 व्यक्ति घायल होते हैं, जिनमें बहुत से उम्रभर के लिये अपंग हो जाते हैं।

मोटर वाहनों की संख्या के अनुपात के आधार पर भारत में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या विकसित देशों की तुलना में बहुत अधिक है एवं इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि दुर्घटनाओं में प्रतिवर्ष लगभग 4 प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम दुर्घटनाओं पर रोक लगाएं ताकि इसमें मरने वालों के आंकड़ों में कमी भी की जा सके।

सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण :
- गाड़ी चलाने में लापरवाही
- यातायात नियमों का पालन न करना
- खराब सड़कें
- सड़कों पर अत्यधिक वाहन व भीड़
- गाडियों का अनुचित रखरखाव

दुर्घटना कार्य योजना
दुर्घटनाएं कही भी किसी भी रूप में घट सकती हैं। अगर कोई दुर्घटना हो गयी है तो दुर्घटनाग्रस्थ आदमी को तत्काल प्राथमिक उपचार की जरूरत होती है। इसके लिए जरूरी है कि हम दुर्घटनागस्त आदमी को लाचार न छोड़कर उसकी मदद करें तथा 100, 101 व 108 पर तुरन्त सूचना दें। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए सिर्फ प्रशासन या डॉक्टर ही जिम्मेदार नहीं हैं बल्कि दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध अन्य लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं।

दुर्घटना से पूर्व
संरचनात्मक उपाय – दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का चिन्हीकरण करना तथा जरूरत के अनुसार वहां गति अवरोधक, साइन बोर्ड आदि लगाये जाएं।

गैर संरचनात्मक उपाय – सड़क दुर्घटनाओं से बचने के लिए
- सड़क नियमों का पालन करें।
- तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाए।
- शराब पीकर गाड़ी न चलाये।
- हैलमेट पहने, सीट बैल्ट बांध।
- बांई तरफ से ओवरटेक न करें।
- हाथ देकर एकदम न मुड़े।
- दांई व बांई ओर ध्यान से देखकर ही सड़क पार करें
- आगे चलते वाहन से दूरी बनाये रखें।
- रात्रि में वाहन की हेडलाइट को डिप करके ही चलें।

- बच्चों को सड़क पर न खेलने दें।
- बच्चों को गाड़ी न चलाने दें।

दुर्घटना के दौरान

जिला प्रशासन का कर्त्तव्य

- दुर्घटनाग्रस्त लोगों को तुरन्त चिकित्सालय पहुंचाने की व्यवस्था करना।
- राहत शिविरों का प्रबन्धन।
- अफवाहों को फैलने से रोकना।
- असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखना।
- पीड़ितों को आर्थिक मदद देना।
- जनता तक सही सूचना पहुंचाना।
- हानि का आंकलन करना।

चिकित्सा विभाग

- जिले में उपलब्ध चिकित्सालयों, चिकित्सकों व मेडिकल स्टोरों की सूची
- डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था करना।
- एम्बुलेंस का प्रबन्ध करना परिशिष्ट 6
- प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- दवाईयों व उपचार के अन्य साधन उपलब्ध कराना।

पुलिस विभाग

- दुर्घटना स्थल पर भीड़ को संतुलित करना।
- कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखना।
- संचार व्यवस्था उपलब्ध कराना।

रेल्वे विभाग

- जनता तक सही सूचना पहुंचाने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करना।
- चिकित्सा व्यवस्था करना।
- एक्सीडेंट वैन की व्यवस्था करना।
- खोज व बचाव दल का प्रबन्ध करना।
- पीड़ितों की पहचान करना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना।

परिवहन विभाग

- घायलों को पहुंचाने हेतु यातायात साधनों का प्रबन्ध करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- वैकल्पिक रूट की व्यवस्था
- क्षतिग्रस्त वाहनों को उठाने के लिए क्रेन, ट्रेक्टर, डम्पर, एल.एन.टी. आदि की व्यवस्था।

नगर परिषद / पालिका / पंचायत

- टैंटों की व्यवस्था।
- पानी के टैंकरों की व्यवस्था ।

- अग्निशमन वाहनों की व्यवस्था।
- जनरेटरों की व्यवस्था।
- मृतकों के अन्तिम संस्कार हेतु प्रबन्ध।
- दुर्घटना स्थल पर साफ सफाई की व्यवस्था करना।

रसद विभाग

- खाद्य सामग्री तथा भोजन के पैकेटों की व्यवस्था करना।
- केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि की व्यवस्था करना।

स्वयंसेवी संघटन

- राहत व बचाव के कार्यो में प्रशासन की मदद करना।
- पीड़ित लोगों को उपचार की सेवाओं की व्यवस्था करना।

आमजन का दायित्व–

दुर्घटना की स्थिति में दुर्घटना स्थल पर उपलब्ध लोगों का कर्त्तव्य है कि वे अपने स्तर पर पीड़ित व्यक्ति की जांच करें तथा उसको शीघ्र अतिशीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। उच्च न्यायालय के अनुसार अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सकों का कर्त्तव्य है कि घायल व्यक्ति का तुरन्त उपचार करें तथा घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के बारे में जांच पड़ताल न की जाये।

अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति बेहोश है तो –

- आवाज देकर, गाल पर थपकी देकर, कान को चुटकी से दबा कर आंख खुलवाने की कोशिश करें।
- आंख न खोलने पर पता लगाएं कि छाती अथवा पेट पर सांस चल रही है या नही।
- इसके लिए नाक या मुंह के सामने हाथ रखकर या कान को मुंह के पास ले जाकर महसूस करे तथा हाथ या गर्दन की नब्ज देखें।

(ये सभी काम पूरे शरीर पर सरसरी निगाहें दौड़ाते हुए जल्द से जल्द ही कर लें, नही तो घायल पूर्ण बेहोशी (कोमा) में चला जाएगा)

सांस व दिल की धड़कन चलाने के लिए

- सबसे पहले घायल को पीठ के बल सख्त जमीन या तख्ते पर लिटा दें तथा उसके कपड़ों को ढीला कर दें।
- सिर को पीछे की ओर करें जिससे जबान की रुकावट खत्म हो जाएं।
- ठोड़ी को आगे ले आएं जिससे रूकावट खुल जाएं।
- जबड़े का नीचे का हिस्सा ऊपर की ओर उठाकर आगे कर दें।
- इसी के साथ दोनों पैर एक–डेढ़ फीट ऊंचे करें। इससे पैरों का खून मस्तिष्क में जाएगा तथा उसे ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी।
- यदि सांस की नली में थूक, खून या उल्टी इकट्ठी हो तो घायल को एक करवट देकर किसी कपड़े या रूई से निकाल दें।
- यदि इतने पर भी सांस चलना शुरू न हो तो मुंह से मुंह लगाकर एक मिनिट में 15 से 18 बार सांस दें। यदि पेट में हवा भरती नजर आए तो हाथ से नाभि के ऊपर के हिस्से को दबाकर हवा निकाल दें।
- मुंह से नाक द्वारा अथवा एयरवे या एम्बू रेस्पाइरेटर से भी सांस दी जा सकती है।

यदि दिल की धड़कन रूक गई हो तो बंद मुट्ठी के निचले हिस्से से छाती के बीच में एक मुक्का मारें अथवा 4–5 से.मी. का दबाव डालते हुए एक मिनिट में 60–80 बार दबायें।

यदि एक्सीडेन्ट में घाव हो गए हैं और खून बह रहा हो तो

- रोगी को बिठा या लिटा दें ताकि खून कम बहे।
- घाव पर साफ कपड़े की पट्टी लगा कर हथेली से दवाब डालें तथा दबाव बनाए रखें।
- घायल भाग को स्थिर रखें।
- बहते खून को रोकने के लिए हाथ तथा पैर पर रबड बैंड, कपड़े से बंध लगा दें तथा उसे हर 30 मिनट बाद ढीला करके फिर लगाएं। ताकि आगे का हिस्सा काला न पड़े।

यदि घायल को मानसिक आघात (सदमा) लगा हो जैसे–

- चक्कर तथा शिथिलता
- उल्टी होना
- ठंडी व गीली त्वचा
- बेहोशी
- धमनी की धड़कन क्षीण तथा तीव्र होना
- शरीर की जीवन आवश्यक क्रियाएं मंद हो जाना

तो खून को बहने से फौरन रोकें। खून की कमी से होने वाली जटिलताओं के अलावा इसको देखकर घायल व्यक्ति का मानसिकता सदमा विशेष रूप से बढ़ता है।

- रोगी को तसल्ली दें तथा उसका डर दूर करें।
- पीठ के बल लिटा दें। सिर नीचा करके एक ओर झुका दें।
- रोगी को कम्बल में लपेट दें।
- प्यास लगे तो पानी के घूँट, चाय, कॉफी या तरल पदार्थ दें।
- जल्द से जल्द अस्पताल ले जाएँ।

जलते हुए व्यक्ति का बचाव

- घटनास्थल से दूर ले जाकर जले हुए हिस्से पर 10 मिनट तक ठंडे पानी का प्रवाह करते रहें।
- जले हुए हिस्से को साफ मुलायम कपड़े या गॉज़ से ढक दें तथा रोगी को तुरन्त अस्पताल पहुंचाये।

5.4 भूकम्प

भूकम्प पृथ्वी के आन्तरिक असन्तुलन, भ्रंशन, भूपटल का संकुलन तथा प्लेट विवर्तनिक कारणों से आता है। सामान्यतः भूगर्भिग चट्टानों के विक्षोभ के स्त्रोत से उठने वाली लहरदार कम्पन्न को भूकम्प कहते हैं। जिस प्रकार शान्त जल में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर आयात आने वाले स्थानों के चारों ओर लहर उत्पन्न होती है, ठीक उसी प्रकार भूगर्भिक चट्टानों में विक्षोभ केन्द्र से से चारों ओर भू–तरंगे प्रवाहित होती हैं। अधिकांशतः भूकम्प भूतल से ठीक 50 से 100 कि.मी. की गहराई का उत्पन्न होते हैं। जिस स्थान पर ये उत्पन्न होते हैं,

उसे उद्गम केन्द्र या भूकम्प मूल कहते हैं। इस उद्गम केन्द्र के ठीक ऊपर भूसतह पर स्थित स्थान को अधिकेन्द्र कहते हैं।

भूकम्प एक आपदा के रूप में प्रलयंकारी तबाही मचाता है। भूकम्प अन्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, बाढ़ तथा आग आदि को गतिशील कर देता है। भूकम्प के कारण जहाँ एक ओर प्राकृतिक परिदृश्य विकृत होता है, वहीं दूसरी ओर मानव निर्मित संरचनाओं को भी हानि पहुँचती है, जिसकी पुनः पूर्ति दीर्घकाल में ही सम्भव हो पाती है तथा इसका प्रभाव राज्य एवं राष्ट्रीय विकास पर भी परिलक्षित होता है।

26 जनवरी, 2001 को गुजरात में 6.9 रिक्टर मापक पर भूकम्प आया था। यह विगत 150 वर्षों में सर्वाधिक भीषणतम भूकम्प था। जिसका केन्द्र भुज से 60 किमी दूरी पर था। इस भूकम्प से लगभग 20,000 लोग काल का ग्रास बन गये तथा 33,000 से ज्यादा लोग घायल हो गये। राज्य में लगभग 30 हजार करोड़ रु. की सम्पत्ति नष्ट हो गयी। इस भूकम्प से कच्छ जिला सबसे अधिक प्रभावित हुआ जिसके 550 गांव पूर्ण रूप से तबाह हो गये तथा 16,000 लोग मारे गये।

भूकम्प के मुख्य कारण

- ज्वालामुखी क्रिया
- भ्रंशन
- भूसंतुलन में अव्यवस्था
- जलीय भार
- भूपटल में संकुचन
- गैसों का फैलाव
- प्लेट विवर्तनिकी

भूकम्पों की तीव्रता

बिल्डिंग मेटेरियल एण्ड टेक्नॉलोजी प्रमोशन काऊंसिल (BMTPC) ने एटलस के अनुसार सिसमिक जोन नक्शे तैयार कर इसे पाँच भागों में विभक्त किया है। अनुमानतः संशोधित मर्करी मापक (MSK Medvedev-sponheuer-karnik scale) पर IV-V तीव्रता वाले भूकम्प 7700 वर्ग कि.मी. में महसूस होते हैं जबकि IX-X तीव्रता वाले भूकम्प 500,000 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में महसूस किये जाते हैं।

1) **क्षेत्र V** :– इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक के अनुसार IX या इससे अधिक तीव्रता का भूकम्प सम्भावित है। इस क्षेत्र को अत्यधिक नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहा जाता है।

2) **क्षेत्र IV** :– इस क्षेत्र में संशोधित मरकरी मापक पर MM VII सम्भावित है इसे उच्च नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते हैं।

3) **क्षेत्र III** :– इस क्षेत्र में मरकरी मापक पर MM VII की तीव्रता भूकम्प आ सकता है इसे मध्यम नुकसान सम्भावित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है।

4) **क्षेत्र II** :– क्षेत्र में सम्भावित तीव्रता MM VI है इसे संशोधित सरकारी मापक पर निम्न नुकसान सम्भावित क्षेत्र भी कहते है।

5) **क्षेत्र I** :– इस क्षेत्र के लिए संशोधित मरकरी इंटेंसिटी स्केल पर MM V या इससे भी कम तीव्रता का भूकम्प संभावित है। इसे अत्यधिक नुकसान क्षेत्र भी कहते हैं।

भूकम्पों की तीव्रता	**तीव्रता के लक्षण** भूकम्पों का प्रभाव)	रिक्टर मापक परिणाम
यान्त्रिक	केवल भूकम्प लेखी यन्त्र से भूकम्प का अनुभव होता है।	0
क्षीण	केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा अनुभव	3.5
अल्प	आराम करते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव	4.2
साधारण	चलते हुए व्यक्तियों द्वारा अनुभव तथा खड़ी निर्जीव वस्तुओं क कम्पन	4.3
आद्रबल	सभी को अनुभव, सोये व्यक्ति जाग जाते हैं।	4.8
प्रबल	सभी लटकी वस्तुएँ हिलने लगती है।	4.9–5.4
अतिप्रबल	दीवारों में दरार पड़कर भूकम्प का आतंक छा जाता है।	5.5–6.1
विनाशात्मक	ऊँची इमारतें गिर जाती हैं, मकानों में दरार पड़ जाती है।	6.2
विनष्टकारी	मकान धँस जाते हैं। भूमि में दरारे पड़ जाती हैं। पाईप लाईने टूट जाती है।	6.2–6.9
सर्वनाशी	धरातल में लम्बी दरारें पड़ जाती है। ढालों में भूस्खलन होता है।	7.0–7.3
अतिविनाशी	पुल, रेलवे लाइनें टूट जाती है। महान् भू–स्खलन नदियों में बाढ़ आ जाती है।	7.4–8.1
प्रलयकारी	सर्वनाश, धरातलीय पदार्थ हवा में उछलने लगते हैं। धरातल में धँसाव तथा उभार उत्पन्न हो जाते हैं।	8.1 से अधिक

भूकम्प का इतिहास

जोन 1 व जोन 2

वर्ष व दिनांक	स्थिति
जून 10, 1819	कच्छ रन
अप्रैल 28, 1848	मा. आबू के पास
अप्रैल 29, 1864	,,
अप्रैल 9, 1909	मा. आबू
सितम्बर 26, 1910	मां. आबू
जनवरी 29, 1940	,,
सितम्बर 1, 1962	24.2^0 – 73.0^0
अक्टूबर 24, 1969	24.7^0 – 73.7^0
जनवरी 26–2001	गुजरात 6.9

बिहार, नेपाल सीमा पर जनवरी 15, 1934 में आया भूकम्प भी हल्का महसूस किया गया था।

कार्य योजना

भूकम्प की स्थिति में मुख्य विभागों की कार्य योजना निम्न रहेगी :

जिला प्रशासन

- सभी विभागों को आपदा से निपटने के लिए सचेत करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना।
- आपदा स्थल पर नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करना।
- सहायता सामग्री, भोजन आदि की व्यवस्था करना।
- कानून एवं व्यवस्था बनाएं रखना ।
- प्रमाणिक सूचना प्राप्त करना व मीड़िया के जरिये उसे लोगों तक पहुँचाना।

नागरिक सुरक्षा बल, एन.सी.सी., एन.एस.एस. तथा स्काउट्स एण्ड गाईड्स

- स्वयं सेवियों की उपलब्धता निश्चित करना।
- मलबे में फंसे हुए लोगों को निकालने में प्रशासन की सहायता करना।
- पीड़ितों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना।

पुलिस प्रशासन

- कानून एवं व्यवस्था की सार संभाल करना।
- वायरलेस आदि से सूचना पहुचाना।
- संचार के अन्य साधनों की व्यवस्था करना।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

- मलबा आदि उठाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना।
- राजकीय एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध जे.सी.बी. एवं अन्य उपकरणों की व्यवस्था करना।
- अन्य ऊँचे व आपदा सम्भावित भवनों की जांच करना तथा उन्हें खाली करवाने में प्रशासन की मदद करना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

- आपदा स्थल पर तुरन्त चिकित्सा शिविर लगाना।
- लोगों को प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराना।
- बुरी तरह घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाना।
- चिकित्सकों, पेरा मेडिकल स्टाफ व दवाईयाँ उपलब्ध कराना

अग्निशमन केन्द्र, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, स्वयंसेवी संस्थाऐं, नगर परिषद्, विद्युत, पशुपालन, दूर संचार विभाग, सिंचाई तथा अन्य विभाग सामान्य कार्य योजना के तहत अपना कार्य पूर्ण करेंगे।

क्या करें क्या न करें

भूकम्प पूर्व

- हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि गंभीर भूकंप के फलस्वरूप अधिकांश समस्याएं गिरती हुई वस्तुओं जैसे छत का प्लास्टर, विद्युत उपकरण आदि से होती है, भूमि की क्षति से नही।
- अलमारियों में सिर से ऊंचे स्थान पर भारी वस्तुओं को न रखे। भारी गमलों वाले पोधों को झूलने हेतु नही लटकाए। किताब रखने की अलमारी, केबिनेट एवं दीवार पर लगी सजावटी वस्तुएं पलट कर गिर सकती है।
- खिड़की तथा भारी वस्तुएं जो गिर सकती है उन्हें बिस्तर से दूर रखे। बिस्तर के ऊपर दर्पण, पिक्चर फ्रेम आदि नही लटकायें।
- ऐसे उपकरण जो गैस, विद्युत लाईन को क्षति पहुंचा सकते हैं उन्हें मज़बूती प्रदान करें।
- लटकाने वाले बिजली के सामन मज़बूती के साथ छत पर लगावें तथा निकास के रास्ते में भारी अस्थिर वस्तुओं को न रखें।
- आपातकालीन सामग्री (जल, दीर्ध अवधि तक रहने वाला तुरंत तैयार करने योग्य भोजन, प्राथमिक उपचार किट, दवाईयां,, आग बुझाने के उपकरण आदि) को अपने घर अथवा कार में सुगम पहुंच हेतु उपलब्ध रखें।

आपदा के दौरान व पश्चात

- शांत रहे, घबराएं नहीं।
- कांच, खिड़की, अलमारी, केबीनेट एवं बाहरी दरवाजों से दूर रहें। यदि हो सके तो मेज पलंग आदि मजबूत फर्नीचर के नीचे घुस जायें अथवा दरवाजे के नीचे या किसी कोने में बैठ जाएं व अपना सिर एवं शरीर अपने हाथों, तकिया, कम्बल, किताबो आदि से ढक लें ताकि गिरने वाली वस्तुओं से स्वंय की रक्षा कर सकें।
- बाहर की तब तक न भागे जब तक सुनिश्चित हो जाये कि जहां से निकल रहे हैं वह रास्ता सुरक्षित है।
- भूकम्प के दौरान बाहर निकलने के लिए स्वचालित सीढ़ियों का उपयोग न करें संभवतः विद्युत आपूर्ति बंद हो सकती है। सीढ़ियों की ओर न भागे, क्योंकि ये धरातल की तुलना में अधिक क्षतिग्रस्त हो सकती है तथा इससे निकास भी संभवतः प्रभावित हो सकता है।
- कभी भी मुख्य द्वारा से बाहर की ओर व मुख्य बड़ी दीवार के नजदीक खड़े न हों क्योंकि सामान्यतः यह असुरक्षित स्थान है।
- जब आप बाहर है तो भूकम्प की स्थिति में इमारतों, दीवारों, पेड़ो एवं विद्युत तारों से दूर रहें। खुले क्षेत्र में तब तक रूकें जब तक कंपन खत्म न हो।
- अगर आप वाहन चला रहे हैं तो गाड़ी को भवन व बड़े पेड़ों से दूर सुरक्षित स्थान पर रोक कर खड़े हो जायें एवं अन्दर रहें। यद्यपि कंपन विस्तृत रूप में आ सकते है। किन्तु यह प्रतीक्षा करने के लियें सुरक्षित स्थान है। पत्थर की सरुचनाओं अथवा ऊंची इमारतों के नजदीक न रहें। फ्लाई ओवर, पुल के नीचे या ऊपर न रहें।
- वाहन चलाते समय भूकम्प से होने वाले खतरों जैसे गिरती हुई वस्तुएं, गिरी हुई विद्युत लाईनों, टूटे अथवा धंसे हुए रास्तों ऐव पुलों को अवश्य देखों।
- भूकम्प झटके रूकने पर मलबे में फसें लोगों को निकलवाने में मदद करें।
- चोट की जांच करें, तथा घायलों को प्राथमिक उपचार प्रदान करें। पुलिस 100/अग्निशमन केन्द्र 101/रोगी वाहन 108 व 102 पर सूचना दें।
- आग की जांच करें।

- गैस के लीक की संभावना से इमारत को खाली करें। गैस स्टोव, मोमबत्ती व माचिस न जलायें।
- विद्युत को तब तक न जलायें जब तक यह सुनिश्चित न हो जाये कि गैस लीक नही हो रही है।
- आपातकालीन अवस्था को छोड़कर फोन का उपयोग न करें।
- भीषण भूकम्प के कुछ दिनों बाद तक भूकम्प के पश्चात के झटकों के लिये तैयार रहें जो सामान्यतः बड़े भूकम्प के बाद आते हैं एवं ये पहले से ही क्षतिग्रस्त/कमजोर ढांचों को अतिरिक्त हानि पंहुचा सकते है।

5.5 आग

मानव सभ्यता के विकास के क्रम में आग का स्थान महत्त्वपूर्ण है। प्रारम्भिक काल में मानव स्वरक्षा के लिए तथा भोजन पकाने के लिए आग का प्रयोग करता था। वर्तमान समय में भी आग का स्थान उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आग को मानव जीवन से निकाल दिया जाये तो वर्तमान सभ्यता पाषाण युग में वापस चली जायेगी। आग के प्रयोग में असावधानी के कारण भीषण अग्निकाण्ड दृष्टिगोचर होते हैं। उपहार सिनेमा काण्ड व डबवाली अग्निकाण्ड इस प्रकार की आपदा के उदाहरण है।

व्यवसायिक व रिहायसी भवनों में आग की दुर्घटनाएं प्रायः सामान्य बात हो गई हैं घरों में या व्यवसायिक प्रतिष्ठनों में अगर आग लग जाये तो वह अनियन्त्रित हो जाती है क्योंकि वहां पर लकड़ी, कपड़े, रासायनिक पदार्थ, रसोई गैस, मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। बिजली के उपकरणों के द्वारा शहरों में विशेषतया बहुमंजिली इमारतों में सही ढंग से व समय पर देखभाल न करने व लापरवाही से उसका प्रयोग करने के कारण भयावह आग लग जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल–मई स्थानीय लोग अपने खेतों में आग लगाकर लापरवाही से छोड देते हैं। मोटर मार्गों की मरम्मत और डामर डालते समय श्रमिक आग लगाकर छोड़ देते हैं। अधिक तापमान, कम नमी, वायु वेग तथा लगातार शुष्कता के बने रहने पर आग लगने की सम्भावना बढ़ जाती है। ज्वलनशील घास–पत्ती, लकड़ी एवं सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की चिनगारी पड़ने पर एवं कभी–कभी बिजली गिरने से भी आग लग जाती है।

शहर में अधिकतर अग्निकाण्ड मानवजनित होते हैं। बिजली सॉर्ट सर्किट व आकाशीय बिजली गिरने से आग लगती है। अग्निकाण्ड से जन हानि, पशुहानि, निजी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों को काफी क्षति होती है।

अग्निकाण्ड की अन्य सम्भावनाएँ

सामान्य रूप से होने वाले अग्निकाण्डों के अतिरिक्त कुछ अग्निकाण्ड की घटनाएं ऐसी भी हो सकती है, जिन पर यदि त्वरित नियन्त्रण न किया जाये तो वे अत्यधिक भंयकर रूप ले सकती है–यथा– वे औद्योगिक इकाईयां जहां अत्यधिक ज्वलनशील रसायनों का भण्डारण अथवा प्रयोग होता है।

कार्य योजना

जिला स्तर पर आग से निपटने हेतु प्रबन्ध योजना तैयार करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि दुर्घटना के समय न्यूनतम समय में तत्परतापूर्वक कार्यवाही करके स्थिति की भयावहता पर अंकुश लगाया जा सके।

आग से बचने सम्बन्धी सावधानियां

बिजली

- बिजली की फिटिंग कुशल मिस्त्री (कारीगर) से ही करवायें।
- बिजली कभी भी डाईरेक्ट लाईन से ना लें।
- बिजली का उपयोग कभी भी ओवर लोड ना लें।
- बिजली की फिटिंग हेतु आई.एस.आई. द्वारा पास फिटिंग सामान या यंत्रों का उपयोग करें
- बिजली या किसी प्रकार का वेल्डिंग करवाते समय ध्यान रहें कि उसमें जलने वाला पदार्थ भरा न हो।
- बिजली के स्टोव में टू पिन का ही प्रयोग करें।

- पाण्डाल मण्डप या अस्थाई सभी मण्डप में बिजली की आग इत्यादि का पूर्ण ध्यान रखें।
- बिजली के मीटर से अनावश्यक छेड़खानी ना करें।

रसोई घर :–

- रसोई घर में जलने वाले पदार्थो का भण्डारण नही करना चाहिये।
- गैस सिलेण्डर या नलकी को समय–समय पर गैस कम्पनी से चैक करवायें, गैस की नलकी आई.एस. आई. मार्का ही होनी चाहिये।
- साड़ी का पल्लू तथा अन्य लटकने वाले कपड़ो का ध्यान रखें।
- रसोई खुली व खिड़कीदार हो।
- अगर मालूम हो जावे कि गैस लीक कर रही है तो बिजली के स्वीच को ऑन, ऑफ ना करें।
- कार्य पूरा होने पर रेग्यूलेटर को ऑफ करना ना भूले।
- अगर नलकी में आग लग रही हो तो रेग्यूलेटर को बन्द करें, अथवा सिलेण्डर को बाहर खींच लें।
- आग लगने पर गैस कम्पनी, फायर ब्रिगेड (101) अथवा पुलिस (100) को टेलीफोन करें।
- गैस ज्यादा लिकेज हो तो ऊपर मंजिल वालों को सूचित करते हुये रसोई के सारे खिड़की दरवाजे खोल दें।
- रसोई में पानी के स्प्रे या गीले कम्बल का उपयोग करें।

गांवों व जंगल की आग के बचाव

- कभी भी चूल्हे को खुला ना रखें।
- चिमनी, लालटेन, लेम्प आदि को शीशे से ढक कर ही रखें।
- बीड़ी सिगरेट आदि के टुकड़ो को पूर्ण रूप से बुझाकर ही फैंके।
- पिकनिक मनाते समय आग अगर जलाई हो तो उसे पूर्ण रूप से बुझाकर आवें।
- जंगल से रेल, बस या कार आदि से गुज़रते समय जलती बीड़ी सिगरेट के टुकड़े ना फैंके।
- घास खलिहान पुआल आदि को पूर्ण सुखाकर ढेरी बनावे जिससे की स्पोन्टेनिकस कम्बसन से आग लगने का खतरा न हो।
- एक ढेरी से दूसरी ढेरी की दूरी 60 फीट होना।
- ढेरी की ऊंचाई 20 फीट से अधिक ना हो।
- 500 मन से अधिक ढेरी ना हो।
- खलिहान गांव से दूर होने चाहिए और ऐसी जगह होने चाहिये जहां पर पानी आसानी से मिल सके।
- गांवों में अधिक बाडे आदि नही होने चाहिए।
- बाड़ या फूस आदि पर कांच के टुकड़े आदि नही फैकने चाहिये।
- खलिहानों या कच्चे छप्परों के पास आतिशबाजी नही करें।
- रेल्वे लाईन से पर्याप्त दूरी बनाए रखें।
- खलिहानों में चाय नाश्ता आदि ना बनावें।
- कच्चे मकानों या खलिहानों को बनाते समय बिजली के तारों का ध्यान रखना अतिआवश्यक है।
- गांवों में फायर पार्टी का गठन करना चाहिये तथा उनको समय समय पर ट्रेनिंग व संयुक्त अभ्यास करवाना चाहिये।
- गांव के बीच जहां चौपाल हो वहां पर फायर की स्थापना जैसे घण्टी (साईरन) बीटर्स, फावड़े बैलवे कापा हुक, बाल्टी, टार्च, स्टेम्प नजदीकी फायर ब्रिगेड के नम्बर आदि होना।
- अग्नि रेखाओं को तैयार करना एवं उनका रखरखाव
- आग लगने की दिशा में प्रति अग्नि व्यवस्था करना

- अग्नि के परिप्रेक्ष्य में असुरक्षित वन क्षेत्र की जांच करना

हाई राइज बिल्डिंग या अपार्टमेंट स्टोर्स या मार्केट

- किसी भी बिल्डिंग को बनवाने से पहले यह ज़रूरी है कि मार्केट में आग लगने पर इसको बचाने के लिए बडी गाड़ियां आराम से चारों तरफ घुम सकें।
- बिल्डिंग कोड रूडकी द्वारा पास, पानी का पर्याप्त स्टोरेज होना।
- बिल्डिंग में दो स्टेपर केस (सीढ़ी) होना अतिआवश्यक है।
- निकासी का रास्ता साफ सुथरा हो।
- उसमें आग बुझाने के यंत्रो जैसे स्प्रींकलर डेन्चर, राईजर, हाईडेन्ट पाईन्ट इत्यादि की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
- बिजली की, पानी, मोटर व डीजल पम्प की व्यवस्था होना।
- जगह जगह पर फायर पाईन्ट की व्यवस्था होना।
- अपार्टमेन्ट में रहने वालों का वाच ड्यूटी स्टाफ को फायर की ट्रेनिंग होना।
- फायर सर्विस से एन.ए.सी. लेकर ही पैट्रोल पम्प, फैक्ट्री, होटल, अपार्टमेन्ट मार्केट बिल्डिंग का निर्माण करवाया जावे। जिससे कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में पानी की गाड़ियां भी पहुंच सकें।
- बिजली या ट्रांसफार्मर आदि का सही स्थान का चयन।
- पैट्रोल पम्प, सिनेमाघरों, फैक्ट्रीयों आदि में समय समय पर अग्निशमन यंत्रों की चैकिंग या संयुक्त अभ्यास करवाना/इत्यादि।

आग लगने पर कार्यवाही

यदि सूचना सीधे फायर स्टेशन पर प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल तत्काल घटना स्थल के लिए प्रस्थान करेगा और साथ ही अग्निकाण्ड की सूचना सम्बन्धित थाना/तहसील/जिला मुख्यालय को भेजेगा। सूचना की गम्भीरता के परिप्रेक्ष्य में सम्बन्धित जिला कलेक्टर स्वयं स्थल पर शीघ्र पहुंचेंगे और राहत कार्य का संचालन प्रारम्भ कर देंगे। तहसील मुख्यालय पर सूचना प्राप्त होने पर सम्बन्धित तहसीलदार जो भी वरिष्ठत्तम अधिकारी उपलब्ध होंगे यथाशीघ्र घटनास्थल पर पहुचेंगे तथा समस्त राहत/बचाव कार्यों का समन्वय करेंगे। क्षेत्राधिकारी पुलिस भी अग्निकाण्ड की सूचना मिलने पर शीघ्रातिशीघ्र स्थल पर पहुंचेंगे। स्थिति की गम्भीरता के मूल्यांकनोपरान्त साइट इमरजेन्सी डाइरेक्टर यह निर्णय लेंगे कि जनपद मुख्यालय से किस प्रकार की और कितनी सहायता प्राप्त की जानी है और तद्नुसार जिला कन्ट्रोल रूम के माध्यम से अध्यक्ष, ''समेकित आपदा प्रबन्ध समिति'' को सूचित करेंगे।

यदि अग्निकाण्ड की सूचना सीधे जिला मुख्यालय पर कन्ट्रोल रूप को प्राप्त होती है तो कन्ट्रोल रूम जिला कलेक्टर को सूचित करते हुए यह जानकारी प्राप्त करेगा कि सम्बन्धित क्षेत्र के फायर स्टेशन से अग्निशमन दल घटनास्थल के लिए प्रस्थान कर गया या नहीं । यदि अग्निकाण्ड भीषण होने की सूचना है और ऐसा अनुमान होता है कि जिला मुख्यालय से और अग्निशमन दल तत्काल भेजना आवश्यक है तो जिला मुख्यालय से अग्निशमन दल तत्काल भेज दिया जायेगा इसी प्रकार यदि जिला मुख्यालय से फायर स्टेशन को सीधे सूचना प्राप्त होती है तो अग्निशमन दल सीधे घटनास्थल को प्रस्थान करेगा और साथ ही घटना की सूचना कन्ट्रोल रूप तथा जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक को देगा।

आग लगने पर विभिन्न विभागों की भूमिका

जिला कलक्टर

- समग्र समन्वय एवं पर्यवेक्षण
- सूचना की प्रमाणिकता ज्ञात करना।
- सहायता सामग्री की आपूर्ति एवं वितरण मय नकद सहायता
- विधि एवं शांति व्यवस्था संबंधी समस्याएं

अग्निशमन केन्द्र :— नियंत्रण कक्ष

- अग्निशमन वाहनों व कर्मियों की उपलब्धता
- अग्निशमन वाहनों का समय पर प्रतिस्थापन
- समीपवर्ती ज़िलों एवं अन्य संस्थानों जैसे सेना, पेट्रोलियम एसोसियेशन, पुलिस, नागरिक सुरक्षा, आदि में अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- आग से घिरे व्यक्तियों का बचाव
- अन्य अग्नि सुरक्षा सामग्री यथा लाईफ जैकेट, आक्सीजन सिलेण्डर सीढी, मिट्टी के थेले आदि।
- रेडक्रास लायन्स क्लब एवं अन्य गैर राजकीय संस्थानों से समन्वय।
- अग्निशमन के यन्त्रों की उपलब्धता

नागरिक सुरक्षा

- प्रशासन एवं जनता के साथ त्वरित संचार व्यवस्था
- प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना
- प्रभावित क्षेत्र समीप से जनता/जनसामान्य को हटाना
- अग्नि शमन हेतु प्रशिक्षित स्वय सेवकों की सहायता लेना
- डिविज़न एवं पोस्ट एवं सेक्टर वार्डन को सूचित करना
- वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था करना

पुलिस

- कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना
- जनसामान्य को सूचित करने हेतु संचार व्यवस्था
- प्रभावित क्षेत्र के पास से जन सामान्य को हटाना

विद्युत

- विद्युत आपूर्ति की समुचित देखभाल
- अन्य दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावित क्षेत्रों की बिजली काटना

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग

- नियमित एवं अन्य स्त्रोतों से जल की उचित आपूर्ति
- अग्निशमन वाहनों हेतु अतिरिक्त जल की उपलब्धता

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

- प्राथमिक उपचार
- राजकीय एवं निजी अस्पतालों से सम्पर्क करना
- पीड़ितों को समय पर अस्पताल पहुंचाना
- औषधियों की व्यवस्था करना
- मेडिकल स्टोर/थोक एवं खुदरा विक्रेताओं से सम्पर्क करना
- चिकित्सकों एवं पेरा मेडिकल स्टॉफ की उपलब्धता

गैर राजकीय संगठन

- प्रतिबद्ध स्वंय सेवकों की उपलब्धता कराना
- राहत शिविर लगाना
- सहायता सामग्री का वितरण

पशुपालन

- पशु चिकित्सालयों से सम्पर्क करना
- पशुधन की देखभाल हेतु उपलब्ध कर्मियों को कार्यरत करना

नगर परिषद

- राहत शिविर (रैन बसेरा) का प्रबन्धन
- टेंट हाउस की व्यवस्था करना
- प्रभावित क्षेत्रों की समुचित सफाई व्यवस्था एवं स्वास्थकर स्थितियों की देखभाल
- राहत शिविर हेतु विद्यालयों एवं अन्य बड़े प्रतिष्ठानों की सूची

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति

- व्यापारियों व हलवाइयों से सम्पर्क कर भोजन की व्यवस्था करना
- भोजन पैकेट एवं राहत सामग्री का वितरण
- राहत सामग्री हेतु स्वंय सेवकों के साथ समन्वय
- राहत सामग्री के एक पैकेट में रखी जाने वाली सामग्री सुनिश्चित करना

आग लगने पर क्या करें, क्या न करें

क्या करें :–

- आग लगने पर फोन नम्बर 101 पर तुरन्त अग्निशमन विभाग को सूचित करें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर लोगों को निकालने के लिए हमेशा सीढ़ियों का प्रयोग करें।
- जब यह निश्चित हो जाये कि अन्तिम आदमी भी बाहर आ गया है तो दरवाजा बंद कर दें।
- बिल्डिंग में आग लगने पर तुरन्त बाहर खुले स्थान पर पहुंच जायें।
- अगर संभव हो तो नाक व मुंह को गीले कपड़े से ढक लें।
- सावधानीपूर्वक निर्देशकर्ता के आदेशों का पालन करें।

- अगर आग लगने पर किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो अपने कमरे में ही रहें।
- नेतृत्वकर्ता को बिल्डिंग छोड़ने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि घटना स्थल पर कोई भी आदमी अन्दर न रह गया हों यहां तक कि उसे बाथरूम की भी जांच कर लेनी चाहिए।

क्या न करें :—

- गैस स्टोव, बिजली के उपकरण व बटन काम में न लें।
- आग लगने पर मकान की छत पर न जायें।
- लिफ्ट का प्रयोग न करें।

परिवार के सभी सदस्यों को आग से निपटाने के लिए प्रशिक्षण दें।

मौसम परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारिया — खासी, मलेरिया बुखार,, वायरल बुखार, चिकनगुनिया, दस्त, हैजा, चर्मरोग, होने की संभावना रहती है। इसके रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग , जलदाय विभाग, मलेरिया विभाग, नगरपालिका/ नगर परिषद सर्तक रहें तथा माकूल व्यवस्था बनाये रखें। उपचार संबधी सभी व्यवस्था की जावे।

आतंकवाद — यह एक सामाजिक तत्व का ही अंग है।

आतंकवाद का उद्देश्य — आतंकवादीयों का एक ही उद्देश्य होता है कि देश में अराजकता फैलाना। देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करना तथा देश में लोगों के अमन चैन में दखलअंदाजी करना ही है। आतंकवादी का कोई मानव धर्म नही होता है। देश में बम ब्लास्ट करना/ मानव जन हानि/ पशु हानि को क्षति पंहूचाना / देश की चल अचल सम्पति नष्ट करना ही है। देश की सुरक्षा को खत्म करना।

आंतकवादियों द्वारा स्थान का चयन — आंतकवादी देश के मुख्य स्थान बाजार / सार्व0 स्थान/ भीड भाड वाले इलाके को ही स्थान का चयन करते है।

आतंकवादियों की पहचान — मौसम के अनुकूल कपडे नही पहनना जैसे गर्मी में कोट या जैकेट पहनना। लोगों के किसी समूह में अपने पहनावे एंव व्यवहार से घुलने मिलने की चेष्टा करना जबकि उसका उस समूह से कोई संबध नही होता है। उनके वस्त्रों से अजीब तरह से कोई चीज बाहर दिखाई दे रही है वह कोई शस्त्र या गोला बारूद भी हो सकता है। संदिग्ध वाहन की अगली व पिछली नम्बर प्लेट में रदो बदल करना जिससे की वाहन के पहचानने मे मुशकिल हो।

किसी मुख्य स्थल या ना पार्किंग में लम्बे समय तक किसी वाहन को खडे रखना। वाहन का पिछला हिस्सा असामान्य रूप से झूका हुआ हों।

आतंकवाद के सुरक्षा के उपाय — यदि कोई संदेह हो तो इसकी जानकारी दूरभाष पर संदिग्ध व्यक्ति या वाहन पर लगातार निगरानी रखें। पुलिस के पंहूचने तक इंतजार करे। मुख्य स्थानों पर किसी लावारिस चीज को पडी इुई हो तो उसे न छूयें। कभी भी संदिग्ध /लावारिस वस्तु को न छुयें। किसी अनजान व्यक्ति को अपना मकान किराये पर न देवे। कार/ मोटरसाईकिल या स्कूटर खरीदने /बेचने से पहले वाहन के स्वामित्व की जांच पडताल अवश्य करे। अनजान वस्तु बम/ बमविस्फोट सामग्री भी हो सकती है। आंतकवादी घटना के दौरान घटनास्थल को छोडकर तुरंत किसी खुली जगह का सुरक्षित स्थान पर चले जाये। जहां तक संभव हो उंची इमारतो/शिशे की खिडकियों व वाहनों से दूर रहे। पुलिस की हिदायतों का पालन करे। वारदात के तुरंत भीड न करे तथा न ही भीड में शामिल हो। तत्काल घटन स्थल से दूर रहे संभवतया वहा पर विस्फोटक सामग्री भी हो सकती है।

पुलिस व बचाव दल के वाहनों के मार्ग में अवरूद्व न करे। हमेशा चौकस रहे और किसी भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री के बारे में पुलिस को तुरंत सूचित करे। यदि आपके पास कोई ऐसी सूचना है जिसकी मदद से संदिग्ध आंतकवादियों या उनके द्वारा इस्तेमाल किये वाहनों को ढूंढा जा सके तो उसकी

सूचना पुलिस को तुरंत देवे। वाहन खरीददार /वाहन विक्रेता दोनो को वाहन की पहचान /जांच पडताल करनी चाहिए। विशेषकर उस वाहन खरीददार के बारे में जो जिले/ प्रांत से बाहर रहते हों। वाहन के खरीद फरोक्त में विशेष ध्यान रखें क्योंकि आतंकवादी वारदातों में इनका इस्तेमाल होन की संभावना अधिक रहती है। मकान मालिक या प्रोपर्टी डीलर को किरायेदार के बारे में भली भांति जांच पडताल करे। बिना जांच पडताल के मकान किराये पर न दे। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति मकान किराये पर लेने का प्रयास कर रहा हो तो अपने निकट के पुलिस स्टेशन को सूचित करे।

गेस्ट हाउस /लॉज /होटल के मालिक संदिग्ध/ अनजान व्यक्ति का कमरा किराये पर देने से पूर्व आगन्तुक की पहचान दस्तावेज पासपोर्ट की वैधता /राशन कार्ड / फोटो पहचान पत्र की जांच अवश्यक कर लेवे। सन्देह होन पर पुलिस स्टेशन को सूचित अवश्य करे।

इसके अलावा अपने आस पास किसी भी संदिग्ध और लावारिस वस्तु जैसे हैंडबैग /पेकेट और ऐसा ही अन्य समान या कोई भी संदिग्ध दिखने वाले व्यक्ति के बारे मे पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित करे।
बस/रेल यात्रा के दरम्यान किसी अनजान व्यक्ति से कोई खाने की चीज न लेकर के खाये तथा न ही उनसे जानपहचान

5.6 रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटनाएँ

तीव्र औद्योगिक विकास के परिपेक्ष्य में औद्योगिक एवं रासायनिक क्षेत्र में दुर्घटनाओं की संभावनाएँ बढ़ रही हैं। कुछ बड़ी दुर्घटनाएँ जैसे : भोपाल गैस कांड और अग्नि एवं विस्फोटक क्षेत्रों की दुर्घटनाएँ अहम है।
सुरक्षात्मक दृष्टि से गुणवत्तापूर्ण मशीनों, प्रशिक्षित मजदूरों और गहन मापदण्डों के मानक संस्थापन की आवश्यकता है। संसार में सर्वाधिक औद्योगिक दुर्घटनाएं भारत में होती है। इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए उद्योगों में आन्तरिक एवं बाह्य दोनों प्रकार की योजनाएं बननी चाहिए तथा साथ ही मॉक ड्रिल का होना भी आवश्यक है।

प्रभाव :–

औद्योगिक दुर्घनाओं के सम्भावित प्रभाव निम्नलिखित हैं।

- जान की क्षति
- घाव होना अथवा आग से जलना
- जहरीले द्रवों/गैसों से बीमार होना
- माल की क्षति

साथ ही इससे रोडवेज, विद्युत एवं जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। जब प्रभाव बड़े क्षेत्र में होता है तो यह जिला प्रशासन का दायित्व हो जाता है कि वह अपने स्तर पर आपदा से निपटे।

5.7 ताप (लू) एवं शीतघात

तापघात (लू)

राजस्थान राज्य में तापघात एवं शीतघात दोनो प्रकार की आपदाओं की सम्भावनाएं यहाँ की जलवायु के कारण देखी जाती है साथ ही मोटी बालू भूमि की विशेषता है कि गर्मी के मौसम में बालू शीघ्र गर्म होकर कम दबाव के क्षेत्रों का निर्माण करने के फलस्वरूप गर्म व तीव्र हवायें प्रवाहित होती हैं जिसे स्थानीय भाषा में 'लू' कहा जाता है वहीं दूसरी ओर शीत ऋतु में बालू मिट्‌टी वाले क्षेत्रों में अधिक ठण्ड पाई जाती है।

मार्च से जून का समय ऐसा है जब तापमान में निरन्तर वृद्धि होती है और मई व जून वर्ष का सर्वाधिक गर्म हिस्सा होता है। मई में माध्य दैनिक अधिकतम तापमान 39.70 से. और माध्य दैनिक न्यूनतम तापमान 24.3^0 से. रहता है। जून में रात्रि का तापमान मई की अपेक्षा अधिक होता है। गर्मी के मौसम में धूल भरी गर्म हवाएं चलती हें जिससे बेचैनी बढ़ जाती है व गर्मी बहुत भीषण हो जाती है। किसी–किसी दिन अधिकतम तापमान 44^0 से या 45^0 से तक पहुंच जाता है।

तापघात के लक्षण

- अत्यधिक पसीना आना
- सिरदर्द होना
- उल्टी होना
- जी मिचलाना
- आलस्य और थकान
- शरीर के तापमान का बढ़ जाना

तापघात से बचाव के उपाय

- गर्म मौसम में घर से बाहर धूप में न जाये।
- अगर घर से बाहर जावें तो सिर पर पगड़ी या मोटा वस्त्र लपेट लें।
- अधिक मात्रा में जल का सेवन करें।
- भोजन करके ही घर से बाहर निकलें, भूखे पेट न निकलें।
- अगर व्यक्ति तापघात से पीड़ित हो तो शरीर के चारो तरफ गिली पट्टी लपेट दें व पंखा करें।
- व्यक्ति को आराम करने दें।
- यदि व्यक्ति पानी की उल्टियाँ करे या उसकी चेतना में बदलाव आये तो उसे कुछ भी खाने व पीने को न दें।
- व्यक्ति को गर्म स्थान से हटाकर ठंडे स्थान पर ले जायें।
- अगर तंग कपड़े हों तो उन्हें ढीला कर दें अथवा हटा दें।
- कम खाना खाये और अधिक बार खायें। अधिक और भारी खाना पचाने में कठिन होता है और शरीर में आतंरिक तापमान को बढ़ाता है। जिससे स्थिति अधिक गम्भीर हो जाती है।
- यदि तबीयत ज्यादा खराब हो जावे तो तुरन्त चिकित्सक के पास ले जावें।
- अधिक प्रोटीन वाले खाने से परहेज रखें जैसे मांस व मेवे जो शारीरिक ताप बढ़ाते हैं।
- खुले में कार्य करने वाले मजदूरों के कार्य करने का समय सुबह और शाम होना चाहिए।

जिला प्रशासन की जिम्मेदारी

- जरूरतमंद व घरहीन व्यक्ति सर्वाधिक संवदेनशील होते हैं उनको जिला प्रशासन शरण स्थल देवें।
- गरीब, बेसहारा लोगों पर ध्यान दें जो बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन बाजारो आदि खुले स्थानों पर शरण लेते हैं उन्हें गर्म स्थानों में जगह दें या सामुदायिक केन्द्रों में रखें और जरूरत का सामान उपलब्ध करावें।
- कंबल और भोजन बांटे।
- गश्त पर मोबाइल टीमे लगाई जानी चाहिए, जो लोगों को जरूरत के समय मदद कर सके।

जल संसाधन विभाग

जिला ब्यावर में वर्तमान में चार खण्डो के अधीन है। जिनके चार जल संसाधन उपखण्ड कार्यरत है, जिनके मुख्यालय एवं सहायक अभियन्ता प्रभारी निम्नानुसार है :–

जल संसाधन खण्ड प्रथम, अजमेर के अधीन वर्तमान में जल संसाधन उपखण्ड, बान्दनवाडा कार्यरत है। इनके मुख्यालय एवं सहायक अभियन्ता प्रभारी निम्नानुसार **है**

उपखण्ड़ कार्यालय	सहायक अभियन्ता	मोबाईल नं0
जल संसाधन उपखण्ड बान्दनवाडा (तहसील–मसूदा)	श्री अनिल मीणा	मो0 80059–03868

जल संसाधन खण्ड द्वितीय, अजमेर के अधीन वर्तमान में जल संसाधन उपखण्ड़, ब्यावर कार्यरत है। इनके मुख्यालय एवं सहायक अभियन्ता प्रभारी निम्नानुसार **है** :–

उपखण्ड़ कार्यालय	सहायक अभियन्ता	मोबाईल नं0
जल संसाधन उपखण्ड ब्यावर (तहसील–ब्यावर)	श्री महेन्द्र कुमार खाती	मो0 86962–30003

जल संसाधन खण्ड पाली के अधीन वर्तमान में जल संसाधन उपखण्ड़, जैतारण कार्यरत है। इनके मुख्यालय एवं सहायक अभियन्ता प्रभारी निम्नानुसार **है** :–

उपखण्ड़ कार्यालय	सहायक अभियन्ता	मोबाईल नं0
जल संसाधन उपखण्ड जैतारण (तहसील–रायपुर, जैतारण)	श्री रामावतार लिलड	मो0 77489–86389

जल संसाधन खण्ड, भीलवाडा के अधीन वर्तमान में जल संसाधन उपखण्ड़, आसीन्द कार्यरत है। इनके मुख्यालय एवं सहायक अभियन्ता प्रभारी निम्नानुसार **है**

उपखण्ड़ कार्यालय	सहायक अभियन्ता	मोबाईल नं0
जल संसाधन उपखण्ड आसीन्द (तहसील–बदनोर)	श्री दिनेश चन्द वर्मा	मो0 98027–90911

जिला ब्यावर के प्रमुख बांध :–ब्यावर जिले में जल संसाधन विभाग के चार खण्डो 4 उपखण्ड कार्यरत है। जिसमें जल संसाधन खण्ड प्रथम, अजमेर के अधीन पंचायत समिति मसूदा, जल संसाधन खण्ड द्वितीय, अजमेर के अधीन पंचायत समिति जवाजा, जल संसाधन खण्ड भीलवाडा के अधीन पंचायत समिति आसीन्द व जल संसाधन खण्ड पाली के अधीन पंचायत समिति जैतारण, रायपुर संबंधित कार्य है। इन उपखण्डों के अधीन वर्तमान में 3 मध्यम सिंचाई परियोजना जिनका सी.सी.ए. 9042.15 हैक्टर एवं 12 लघु सिंचाई परियोजनाएं जिनका सी.सी.ए. 8918.92 हैक्टर है। उक्त बांधो/ तालाबों में 10 तालाबों की भराव क्षमता 100 एमसीएफटी से अधिक है।

01. मध्यम श्रेणी के बांध

जल संसाधन उपखण्ड़ ब्यावर में फूलसागर जालिया–II सिंचाई परियोजनाः– यह बांध जालिया ग्राम प्रथम के समीप स्थित है। जिसकी जल भराव क्षमता 333.76 एमसीएफटी तथा पूर्ण भराव गेज 10 फीट है। बांध सुरक्षित स्थिति में है।

जल संसाधन उपखण्ड़, जैतारण में लूणी मध्यम सिंचाई परियोजनाः– जिसकी जल भराव क्षमता 325.56 एमसीएफटी है। बांध सुरक्षित स्थिति में है।

जल संसाधन उपखण्ड़, बान्दनवाडा में नारायण सागर बांध मध्यम सिंचाई परियोजनाः– जिसकी जल भराव क्षमता 704.00 एमसीएफटी तथा पूर्ण भराव गेज 16 फीट है। बांध सुरक्षित स्थिति में है।

02. फ्लड प्रभावित बांधो/ तालाबों की सूचना :–विगत वर्षो के रिकॉर्ड के आधार पर इस खण्ड के कार्यक्षेत्र के बांधों व तालाबों के पूर्ण भराव होकर ओवर फ्लो होने की स्थिति में कोई आबादी क्षेत्र जलमग्न नहीं होता है।

03. नाव की उपलब्धता :– इस जिले के अधीन कोई नाव नहीं है।

04. पम्पस की उपलब्धता :– इस जिले के अधीन कोई पम्पस उपलब्ध नहीं है।

05. वायरलैस सेट :– इस खण्ड के अधीन कोई वायरलैस सेट नहीं है।

06. दैनिक वर्षा व बांधों के गेज प्रेषित करना :–इस खण्ड के अधीन 100 एमसीएफटी के 10 बांध/ तालाब है। जिनकी दैनिक गेज की सूचना प्रेषित की जावेगी व वर्षा की सूचना भी विभाग के फ्लड सेल अजमेर/पाली/भीलवाडा में प्रेषित की जायेगी।

ई–मेल floodcell.wr@gmail.com जो चीफ इंजीनियर SWRPD के अधीन है। जिनके मोबाईल व ई–मेल निम्न है :– मो0 94140–77747, 98285–80808, ई–मेल ceswrpd10@rediffmail.com

07. सहायक अभियंताओं एवं कनिष्ठ अभियंताओं की सूची :– इस जिले के अधीनस्थ कार्यरत सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं के नाम मुख्यालय उपलब्ध टेलीफोन नं. संलग्न सूची में अंकित है। (Annexure-I)

08. बाढ प्रभावित क्षेत्र की सूचना :– ब्यावर जिले की औसत वर्षा 520 मी.मी. है। पिछले अनुभव के आधार पर इस जिले के कार्यक्षेत्र में मानसून अवधि में वर्षा के कारण कोई आबादी क्षेत्र जलमग्न नही हुआ।

09. मानसून अवधि में बाढ नियंत्रण कार्य हेतु व्यवस्था :–मानसून के दौरान सभी सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता व अन्य स्टाफ को मुख्यालय बिना पूर्व अनुमति के नही छोडने हेतु निर्देशित किया गया है। सभी सहायक अभियन्ता अपने मुख्यालय से संबंधित स्थानीय प्रशासन (उपखण्ड अधिकारी) से बराबर सम्पर्क बनाये रखेंगे। मानसून से पूर्व सभी बांधो/तालाबों का वर्षा पूर्व निरीक्षण किया जा चुका है एवं गेटों का आईलिंग ग्रीसिंग कर लिया गया हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, ब्यावर के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं को हस्तान्तरित बॉधों पर कमियों मरम्मत एवं रख'–रखाव हेतु विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। विभिन्न स्थानों पर सीमेन्ट के खाली कट्टे रखे जायेंगे। अन्य लघु सिंचाई के बांधों पर भी आवश्यकतानुसार खाली कट्टे रखे जा रहे है। जिसके लिये निविदाएं आमंत्रित कर संबंधित सवेंदक को उपरोक्त सामग्री कार्यस्थलों पर उपलब्ध कराने के लिये कार्यादेश जारी किये जाएगें।

खाली कट्टो की सूची

सूची खाली कट्टे सीमेन्ट की व्यवस्था	खाली सीमेन्ट कट्टे
01. जल संसाधन उपखण्ड़ ब्यावर	
01. फूलसागर जालिया	1000
02. कालीकांकर	1000
03. काबरा	1000
04. मकरेडा	1000
05. देलवाडा	1000
06. जवाजा	1000
07. राजियावास	1000
08. बलाड	1000
09. शेरो का बाला	1000
02. जल संसाधन उपखण्ड़ जैतारण	
01. रायपुर लुनी बांध	1200
02. गिरीनन्दा बांध	600
03. बाबरा बांध	600
04. जैतारण कार्यालय	1000
03 जल संसाधन उपखण्ड़ बान्दनवाडा	
01. नारायण सागर व लोहडी बांध	1000
04 जल संसाधन उपखण्ड़ आसीन्द	
01. देव सागर बांध, पाटन बदनोर	500

रैनगेज स्टेशनो का विवरण

जल संसाधन विभाग के रैनगेज स्टेशन

क्र. सं.	तहसील	रैनगेज स्टेशन का नाम	उपखण्ड का नाम	सूचना देने वाले का कार्यकारी का नाम व मोबाईल नं0
1	ब्यावर	कार्यालय सहायक अभियन्ता परिसर	जल संसाधन उपखण्ड, ब्यावर	श्री नरेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी 97996–02154
2	ब्यावर	ब्यावर तहसील	जल संसाधन उपखण्ड, ब्यावर	श्री नरेन्द्र सिंह, सहायक कर्मचारी 97996–02154
3	ब्यावर	पुलिस थाना, टाडगढ	जल संसाधन उपखण्ड, ब्यावर	थाना कर्मचारी
4	ब्यावर	पुलिस थाना, जवाजा	जल संसाधन उपखण्ड, ब्यावर	थाना कर्मचारी
5	जैतारण	कार्यालय परिसर, जैतारण	जल संसाधन उपखण्ड, जैतारण	श्री नवरतन, कनिष्ठ अभियंता 99838–00599
6	जैतारण	रायपुर बांध	जल संसाधन उपखण्ड, जैतारण	श्री नवरतन, कनिष्ठ अभियंता 99838–00599
7	बदनोर	देव सागर बांध	जल संसाधन उपखण्ड, आसीन्द	श्री देवेन्द्र कुमार बागडी, कनिष्ठ अभियंता 81078–87701
8	मसुदा	नारायण सागर जालिया II, शैल्टर हाउस	जल संसाधन उपखण्ड, बान्दनवाडा	श्री यश लक्षकार, कनिष्ठ अभियंता 95880–34638
9	मसुदा	पुलिस थाना मसूदा	जल संसाधन उपखण्ड, बान्दनवाडा	थाना कर्मचारी
10	बिजयनगर	पुलिस थाना बिजयनगर	जल संसाधन उपखण्ड, बान्दनवाडा	थाना कर्मचारी

इस जिले के अधीन तालाबों के पूरा भरने पर क्षतिग्रस्त होने पर जो क्षेत्र प्रभावित होंगे उनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	बांध / तालाब का नाम	तहसील	प्रभावित ग्राम	बांध पर नियुक्त कर्मचारी का नाम	मोबाईल नं0
1	फूलसागर जालिया	ब्यावर	जालिया प्रथम, ब्यावर शहर, खेजडला, पुराना शहर	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
2	कालीकांकर	ब्यावर	काली कांकर, हिम्मतपुरा, किशनगढ़	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
3	काबरा	ब्यावर	ऊँटों का वाणिया, चवली, धौलादांता	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
4	मकरेडा	ब्यावर	पुराना ब्यावर, गोपालपुरा	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
5	देलवाडा	ब्यावर	नरसिंहपुरा, ब्यावर, मकरेडा, दौलतपुरा	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
6	जवाजा	ब्यावर	केला की नाडी, रूपाणा बरल	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
7	राजियावास	ब्यावर	धनार, कालीजंर, भैरूखेडा, धोलादांता	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
8	पुराना / नया तालाब बलाड़	ब्यावर	गठी, जोधा का बाडिया, बलाड, ब्यावर	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
9	शेरो का बाला टैंक	ब्यावर	तारागढ, शेरो का बाला	श्री गिरधारी लाल मुरारी, कनिष्ठ अभियंता	9001888611
10	नारायण सागर जालिया ।।	मसुदा	जालिया द्वितीय, बिजयनगर, आसन	श्री यश लक्षकार, कनिष्ठ अभियंता	95880–34638
11	लौहडी बांध	मसुदा	लोरडी, जौरावरपुरा, जयसिंहपुरा	जगदीश जाट	9568626219
12	देव सागर	बदनोर	पाटन, गारीयाखेडा, लाम्बा, मोर्टरास, ओझियाना,	देवेन्द्र कुमार बागडी कनिष्ठ अभियंता	8107887701
13	रायपुर लूणी बांध	रायपुर	रायपुर, झुठा, कुशालपुरा, निम्बेडा, चावण्डिया	श्री नवरतन, कनिष्ठ अभियंता	9983800599
14	गिरीनन्दा	जैतारण	गिरी, खेडा मामावास, मेसिया	श्री नवरतन, कनिष्ठ अभियंता	9983800599
15	बाबरा	जैतारण	बाबरा, देवगढ, रास	श्री नवरतन, कनिष्ठ अभियंता	9983800599

अतिवृष्टि एवं बाढ के कारण व्यक्तियों को निकटस्थ सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने हेतु स्थलों की सूची

क. सं.	बांध / तालाब का नाम	तहसील	प्रभावित ग्राम	सुरक्षित स्थान (स्कूल, पंचायत भवन, सामूदायिक भवन एवं अन्य)
1	फूलसागर जालिया	ब्यावर	जालिया प्रथम, ब्यावर शहर, खेजडला, पुराना शहर, शिवनाथपुरा, फतेहपुरिया	पंचायत भवन, खेजडला मिडिल स्कूल
2	काली कंकर	ब्यावर	काली कांकर, हिम्मतपुरा, किशनगढ़	राजकीय स्कूल कालीकांकर
3	काबरा	ब्यावर	ऊँटों का वाणिया, चवली, धौलादांता	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन काबरा
4	मकरेडा	ब्यावर	पुराना ब्यावर, गोपालपुरा	राजकीय स्कूल मकरेडा
5	देलवाडा	ब्यावर	नरसिंहपुरा, ब्यावर, मकरेडा, दौलतपुरा	पंचायत भवन, राजकीय स्कूल देलवाडा
6	जवाजा	ब्यावर	केला की नाडी, रूपाणा बरल	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन जवाजा
7	राजियावास	ब्यावर	धनार, कालीजंर, भैरूखेडा, धोलादांता	राजकीय स्कूल राजियावास
8	बलाड़ टेंक	ब्यावर	गठी, जोधा का बाडिया, बलाड, ब्यावर	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन बलाड
9	शेरो का बाला	ब्यावर	तारागढ, शेरो का बाला	पंचायत भवन तारागढ
10	नारायण सागर जालिया ।।	मसुदा	जालिया द्वितीय, बिजयनगर, आसन	राजकीय स्कूल, जालिया द्वितीय
11	लौरडी बांध	मसुदा	लोरडी, जौरावरपुरा, जयसिंहपुरा	राजकीय स्कूल, लोरडी
12	देव सागर	बदनोर	पाटन, गारीयाखेडा, लाम्बा, मोर्टरास, ओझियाना,	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन, पाटन,
13	रायपुर लूणी बांध	रायपुर	रायपुर, झुठा, कुशालपुरा, निम्बेडा, चावण्डिया	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन, रायपुर
14	गिरीनन्दा	रायपुर	गिरी, खेडा मामावास, मेसिया	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन, गिरी
15	बाबरा	रायपुर	बाबरा, देवगढ, रास	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन, देवगढ

रेनगेज की सूचना देने वाले कार्मिको की सूची

क्र0 सं0	वर्षा / गेज की सूचना देने वाले का नाम	वर्षा केन्द्र / कार्यक्षेत्र	गेज	मोबाईल नं0
1	श्री नरेन्द्र, सहायक कर्मचारी उपखण्ड, ब्यावर	ब्यावर तहसील, ब्यावर सिंचाई, टाटगढ़, जवाजा	फूलसागर जालिया, राजियावास, मकरेडा, देलवाडा, कालीकांकर, काबरा, शेरा का बाला, जवाजा, पुराना तालाब बलाड़	97996–02154
2	श्री नवरतन, कनिष्ठ अभियंता	कार्यालय परिसर, जैतारण	गिरीनन्दा, बाबरा	99838–00599
3	श्री नवरतन, कनिष्ठ अभियंता	रायपुर बांध	रायपुर लूणी बांध	99838–00599
4	देवेन्द्र कुमार बागडी कनिष्ठ अभियंता	देव सागर बांध	देवसागर बांध	81078–87701
5	श्री यश लक्षकार, कनिष्ठ अभियंता	नारायण सागर जालिया II, शैल्टर हाउस	लोरडी बांध, नारायण सागर जालिया द्वितीय	95880–34638
6	थाना कर्मचारी	पुलिस थाना मसूदा	रेनफॉल डाटा	87648–52920
7	थाना कर्मचारी	पुलिस थाना बिजयनगर	रेनफॉल डाटा	80031–50091

अतिवृष्टि होने से बॉधों में ओवर फ्लो की स्थिति में सार्वजनिक रास्ते पर आवागमन बंद किए जाने हेतु आवश्यक बोर्ड निम्नानुसार लगाये जाने है :–

क्र.स.	बांध / तालाब का नाम	तहसील	स्थान जहां बोर्ड लगाये जाने है	बोर्डो की संख्या
1	फूलसागर जालिया	ब्यावर	जालिया	1
2	मकरेडा	ब्यावर	मकरेडा	1
3	जवाजा	ब्यावर	जवाजा	1
4	राजियावास	ब्यावर	राजियावास	1

पंचायत समिति से जल संसाधन विभाग को पुनः हस्तान्तरित तालाब

S No	Name of Dam/Tank	District	Block/Local Body	Gross Storage Capacity in Mcft	Live Storage Capacity in Mcft
1	2	4	5	6	7
Less than 80 ha. CCA					
1	खारलाखेडा	ब्यावर	जवाजा	2.15	2.15
2	लोटियाना तालाब	ब्यावर	जवाजा	12.00	12.00
3	बनजारी तालाब	ब्यावर	जवाजा	6.70	6.70
4	भडूका तालाब	ब्यावर	जवाजा	8.00	8.00
5	भीम गोगेलाव	ब्यावर	जवाजा	6.50	6.50
6	दोलतखेडा सिंघा	ब्यावर	जवाजा	5.88	5.88
7	ढोसला तालाब	ब्यावर	जवाजा	5.98	5.98
8	दुधलेश्वर तालाब	ब्यावर	जवाजा	5.00	5.00
9	कालाटोला बाघमाल	ब्यावर	जवाजा	8.00	8.00
10	खाराबाला भगवानपुरा	ब्यावर	जवाजा	5.10	5.10
11	खरूंजा तालाब	ब्यावर	जवाजा	5.50	5.50
12	लबूरी तालाब	ब्यावर	जवाजा	12.33	12.33
13	लाखीणा तालाब	ब्यावर	जवाजा	14.16	14.16
14	लोलेलाव तालाब	ब्यावर	जवाजा	5.00	5.00
15	नाहरपुरा तालाब	ब्यावर	जवाजा	5.35	5.35
16	नरबदखेडा तालाब	ब्यावर	जवाजा	13.93	13.93
17	पाडाभगड तालाब	ब्यावर	जवाजा	6.00	6.00
18	परबस्ती गणेशपुरा तालाब	ब्यावर	जवाजा	18.00	18.00
19	प्रेमसागर कांलिंजर	ब्यावर	जवाजा	8.07	8.07
20	रिछवा तालाब	ब्यावर	जवाजा	10.00	10.00
21	रोहिडा खेडा तालाब	ब्यावर	जवाजा	8.96	8.96

22	सदेरीया	ब्यावर	जवाजा	3.84	3.84
23	बारावास तालाब	ब्यावर	जवाजा	5.50	5.50
24	बायला तालाब	ब्यावर	जवाजा	4.42	4.42
25	बाजून्दा तालाब	ब्यावर	बदनोर	6.00	6.00
26	बनी सागर जोदगढ़	ब्यावर	बदनोर	14.10	14.10
27	छोटा भोजपुर	ब्यावर	बदनोर	10.00	10.00
28	गडवाई	ब्यावर	बदनोर	6.00	6.00
29	गिरधासागर भैरूखेडा	ब्यावर	बदनोर	8.00	8.00
30	गिरधासागर सैपोला	ब्यावर	बदनोर	10.00	10.00
31	गोविन्दपुरा	ब्यावर	बदनोर	5.20	5.20
32	गुलखेडा	ब्यावर	बदनोर	11.00	11.00
33	जोगिधरा ओजियाणा	ब्यावर	बदनोर	4.40	4.40
34	गुलाबसागर रामपुरा	ब्यावर	बदनोर	14.00	14.00
35	लाम्बा पाटन	ब्यावर	बदनोर	18.20	18.20
36	मेघसागर मोटरास	ब्यावर	बदनोर	8.00	8.00
37	नायला तालाब	ब्यावर	बदनोर	8.00	8.00
38	उन्दा पाटन	ब्यावर	बदनोर	6.30	6.30
39	विनोदसागर बदनौर	ब्यावर	बदनोर	19.00	19.00
40	छेटोला तालाब	ब्यावर	बदनोर	12.20	12.20
41	फुटिया बुम्बालिया	ब्यावर	जैतारण	17.85	17.85
42	बिराटीया खुर्द	ब्यावर	रायपुर	30.43	30.43
43	बडा तालाब मालिया	ब्यावर	मसूदा	0.25	0.25
44	करणी सागर नासून	ब्यावर	मसूदा	0.40	0.40
45	नया तालाब अन्धेरीदेवरी	ब्यावर	मसूदा	0.20	0.20
46	पुराना तालाब अन्धेरीदेवरी	ब्यावर	मसूदा	0.17	0.17
47	रामसागर सिकरानी	ब्यावर	मसूदा	0.23	0.23
48	शिवसागर शिवनगर	ब्यावर	मसूदा	0.20	0.20

49	बहादुर सागर रामगढ	ब्यावर	मसूदा	0.40	0.40
50	बडा तालाब दौलतपुरा	ब्यावर	मसूदा	0.28	0.28
51	बडा सागर दौलतपुरा	ब्यावर	मसूदा	0.20	0.20
52	विजय सागर शोपुरा	ब्यावर	मसूदा	0.40	0.40
53	प्रताप सागर केलू	ब्यावर	मसूदा	0.20	0.20
54	काला तालाब शेरगढ	ब्यावर	मसूदा	0.23	0.23
55	फतेहसागर मुरलीया	ब्यावर	मसूदा	0.28	0.28
56	शिवसागर लाम्बा	ब्यावर	मसूदा	0.31	0.31
57	बक्तावर सागर शेरगढ	ब्यावर	मसूदा	0.17	0.17
58	स्वरूप सागर शिवपुरी	ब्यावर	मसूदा	0.34	0.34
59	मानाघाटी किराप	ब्यावर	मसूदा	0.42	0.42
60	भैरू सागर भैरूखेडा	ब्यावर	मसूदा	0.28	0.28
61	देव सागर खिमपुरा	ब्यावर	मसूदा	0.20	0.20
62	गोपालसागर मसूदा	ब्यावर	मसूदा	0.17	0.17
63	रतन सागर मसूदा	ब्यावर	मसूदा	0.37	0.37
64	जावशिया तालाब श्यामगढ	ब्यावर	मसूदा	0.28	0.28
65	बहादुर सागर बहादुरपुरा	ब्यावर	मसूदा	0.20	0.20
66	लाम्बा टेंक कल्यानपुरा	ब्यावर	मसूदा	0.17	0.17
67	नया तालाब जीवाणा	ब्यावर	मसूदा	0.19	0.19
68	खेतोलिया तालाब श्यामगढ	ब्यावर	मसूदा	0.30	0.30
69	कुण्डिया तालाब कुण्डिया	ब्यावर	मसूदा	0.20	0.20
70	खेडा भगवानुपरा	ब्यावर	मसूदा	0.17	0.17
71	भैरू सागर सेताना	ब्यावर	मसूदा	0.42	0.42
Above 80 to 300 ha. CCA					
72	अतीतमण्ड तालाब	ब्यावर	जवाजा	22.00	22.00

73	देवाता तालाब	ब्यावर	जवाजा	31.71	31.71
74	गोहाना तालाब	ब्यावर	जवाजा	34.12	34.12
75	गुन्दा का बाला	ब्यावर	जवाजा	21.48	21.48
76	जालिया पिथावास	ब्यावर	जवाजा	14.78	14.78
77	लस्सानी तालाब	ब्यावर	जवाजा	31.69	31.69
78	रूपनगर अरनाली	ब्यावर	जवाजा	21.73	21.73
79	सरवीना तालाब	ब्यावर	जवाजा	17.32	17.32
80	अखेसागर	ब्यावर	बदनोर	26.00	26.00
81	कंटालिया	ब्यावर	बदनोर	36.00	32.00
82	उन्दा मोर्टरास	ब्यावर	बदनोर	22.00	22.00
83	बलाडा	ब्यावर	जैतारण	13.20	13.20
84	धनरीया	ब्यावर	जैतारण	12.00	12.00
85	शिवसागर बुम्बालिया	ब्यावर	जैतारण	30.43	30.43
86	मीरा कुडकी	ब्यावर	जैतारण	31.00	31.00
87	गुलाब सागर	ब्यावर	रायपुर	15.76	15.76
88	साल नाडी	ब्यावर	रायपुर	21.42	21.42
89	बर	ब्यावर	रायपुर	58.72	58.72
90	शक्ति सागर खरवा	ब्यावर	मसूदा	173.02	173.02
91	बडा तालाब सताणा	ब्यावर	मसूदा	42.02	42.02
92	बडा तालाब सतवाडिया	ब्यावर	मसूदा	18.01	18.01
93	देवी सागर रामगढ	ब्यावर	मसूदा	13.06	13.06
94	सेमटा टेंक देवास	ब्यावर	मसूदा	21.89	21.89
95	नन्द सागर नन्दवाडा	ब्यावर	मसूदा	44.14	44.14
96	नीम सागर शिवपुरा	ब्यावर	मसूदा	25.07	25.07

SAILENT FEATURE OF TANKS

S No	Tank	Capacity Mcft	Gauge	Gauge reader contact number	Areas most likely to be affected in case of overflow of the tank	Evacuation plan for the affected areas	Storage Discharge Table
1	फूलसागर जालिया	333.76	16'-0"	97996–02154	जालिया प्रथम, ब्यावर शहर, खेजडला, पुराना शहर	पंचायत भवन, सेजरला मिडिल स्कूल	
2	काली कांकर	59.93	13'-0"	97996–02154	काली कांकर, हिम्मतपुरा, किशनगढ़	राजकीय स्कूल	
3	काबरा	49.80	11'-0"	97996–02154	ऊँटों का वाणिया, चवली, धौलादांता	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन	
4	मकरेडा	126.00	12'-0"	97996–02154	पुराना ब्यावर, गोपालपुरा	राजकीय स्कूल	
5	देलवाडा	86.20	15'-0"	97996–02154	नरसिंहपुरा, ब्यावर, मकरेडा, दौलतपुरा	पंचायत भवन, राजकीय स्कूल	
6	जवाजा	79.30	15'-0"	97996–02154	केला की नाडी, रूपाणा बरल	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन	
7	राजियावास	104.50	17'-6"	97996–02154	धनार, कालीजंर, भैरूखेडा, धोलादांता	राजकीय स्कूल	
8	बलाड़	122.92	16'-0"	97996–02154	गठी, जोधा का बाडिया, बलाड, ब्यावर	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन	
9	शेरो का बाला	19.13	9'-0''	97996–02154	तारागढ, शेरो का बाला	पंचायत भवन	
10	नारायण सागर जालिया ।।	704.00	16'-0"	95880–34638	जालिया द्वितीय, बिजयनगर, आसन	राजकीय स्कूल, जालिया द्वितीय	
11	लौहडी बांध	170.00	9'-0"	95880–34638	लोरडी, जौरावरपुरा, जयसिंहपुरा	राजकीय स्कूल, लोरडी	
12	देव सागर पाटन	211.00	19'-6"	81078–87701	पाटन, गारीयाखेडा, लाम्बा, मोर्टरास, ओझियाना,	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन, पाटन,	
13	रायपुर लूणी बांध	325.56	13.30ft	9983800599	रायपुर, झुठा, कुशालपुरा, निम्बेडा, चावण्डिया	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन, रायपुर	
14	गिरीनन्दा	200.00	27'-0'	9983800599	गिरी, खेडा मामावास, मेसिया	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन, गिरी	
15	बाबरा	102.35	21'-4"	9983800599	बाबरा, देवगढ, रास	राजकीय स्कूल, पंचायत भवन, देवगढ	

कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, ब्यावर

wrb305901@gmail.com

समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के मोबाईल नं0

क.सं.	नाम कर्मचारी	पद	मोबाईल नं.
1	श्री महेन्द्र कुमार खाती	सहायक अभियंता	86962-30003
2	श्री गिरधारी लाल मुरारी	कनिष्ठ अभियंता	90018-88611
3	श्री पृथ्वीराज	कनिष्ठ अभियंता	81079-08098
4	श्री हितेश कुमार	कनिष्ठ सहायक	82337-84735
5	श्री नरेन्द्र सिंह	सहायक कर्मचारी	97996-02154
6	श्री पुष्पेन्द्र सिंह	सहायक कर्मचारी	78508-42104

कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, जैतारण

समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के मोबाईल नं0

क.सं.	नाम कर्मचारी	पद	मोबाईल नं.
1	श्री रामावतार लिलड	सहायक अभियंता	7748986389
2	श्री नवरतन	कनिष्ठ अभियंता	9983800599
3	श्री विनोद कुमार	वरिष्ठ सहायक	9772080720
4	श्री चेतन कुमावत	कनिष्ठ सहायक	7891877295
5	श्री श्रवण सिंह	सहायक कर्मचारी	9829776920
6	श्री कानसिंह	चौकीदार	8852958008

कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, बान्दनवाडा (मसूदा)

समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के मोबाईल नं0

क.सं.	नाम कर्मचारी	पद	मोबाईल नं.
1	श्री अनिल मीणा	सहायक अभियंता	8005903868
2	श्री यश लक्षकार	कनिष्ठ अभियंता	9588034638
3	श्री मुकेश मालावत	वरिष्ठ सहायक	9929365938
4	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	वाहन चालक	9414645006

कार्यालय सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड, आसीन्द (बदनोर)
समस्त अधिकारी/कर्मचारियों के मोबाईल नं0

क.सं.	नाम कर्मचारी	पद	मोबाईल नं.
1	श्री दिनेश चन्द वर्मा	सहायक अभियंता	9802790911
2	श्री देवेन्द्र कुमार बागडी	कनिष्ठ अभियंता	8107887701
3	श्री सुरेश चन्द शर्मा	वरिष्ठ सहायक	9602946573
4	श्री सांवरलाल बलाई	कनिष्ठ सहायक	8079000898
5	श्री कैलाश सौलंकी	सहायक कर्मचारी	6378362099

वर्ष 2026 में वर्षाऋतु से पूर्व बांधो के जल स्तर की सूचना

क्र. सं.	बांध/तालाब का नाम	Gauge(feet)
उपखण्ड ब्यावर		
1	मकरेडा	9’-2’’
2	जवाजा	10’-10’’
3	राजियावास	13’-6’’
4	बलाड	10’-9’’
5	देलवाडा	10’-11’’
6	कालीकांकर	8’-0’’
7	काबरा	7’-10’’
8	फुलसागर जालिया	4’-0’’
उपखण्ड, जैतारण		
1	रायपुर लूणी बांध	9.40’
2	गिरीनन्दा	24.50’
3	बाबरा बांध	6.10 m
उपखण्ड, आसीन्द (बदनोर)		
1	देवसागर पाटन	9’-0’’
उपखण्ड, बान्दनवाडा		
1	नारायण सागर जालिया ।।	8’-0’’
2	लौरडी बांध	4’-0’’

वर्षाऋतु के दौरान आवश्यकता पडने पर बांधो के समीप ग्राम में उपलब्ध मशीनरी की सूची

क.सं.	मालिक का नाम	मोबाईल नम्बर	सामान का विवरण
उपखण्ड, ब्यावर			
1	श्री मोती सिंह सांखला	9829071367	जे.सी.बी., पोकलन मशीन, क्रेन, ब्रोकर मशीन
2	श्री धर्मेन्द्र सिंह	8949741265	तैराक
3	श्री शेर शाह/शकुर साह	6375066264	तैराक
4	श्री पोकर/चतुर्भुज बैरवा	9001305367	तैराक
5	श्री कपिल जी गौरा, फायर ऑफिस	9462411114 01462 258333	सहायक फायर बिग्रेड अधिकारी प्रभारी नगर परिषद ब्यावर
6	मै. शिवराम, मनाना	9829208279	जे.सी.बी., डम्पर्स इत्यादि
7	मै. शिव कंस्ट्रक्शन कम्पनी ब्यावर	9829839518	वाटर टेंकर कंक्रीट मिक्स्चर मशीन एवं श्रमिक इत्यादि
8	मै. तत्व एक्स कम्पनी, ब्यावर	8561935507	वाटर टेंकर कंक्रीट मिक्स्चर मशीन एवं श्रमिक इत्यादि
उपखण्ड, बान्दनवाडा (मसूदा)			
1	श्री हंसराज गुर्जर, बडली	9414980041	जे.सी.बी.
2	श्री मनीष शर्मा, जालिया द्वितीय	9887956659	जे.सी.बी.
3	श्री बलराम चौधरी	9829278835	जे.सी.बी.
उपखण्ड, आसीन्द (बदनोर)			
1	श्री मटरू हरिजन	9672327670	गोताखोर
2	श्री पप्पू हरिजन	9672327670	गोताखोर
3	श्री रामचन्द्र दरोगा	7742452980	जे.सी.बी.
4	श्री वीरभान गुर्जर	7665022835	जे.सी.बी.
5	श्री दिनेश गुर्जर	7727820190	जे.सी.बी.
6	श्री नोरतमल चन्देल	9602282564	जे.सी.बी.
7	श्री मदन लाल खटीक	8949124018	जे.सी.बी.

उपखण्ड ब्यावर के अर्न्तगत आने वाले तालाबों का रूट चार्ट

क्र. सं.	नाम तालाब	ग्राम पंचायत	रूट चार्ट ब्यावर से
1	जवाजा टैंक	जवाजा	ब्यावर से उदयपुर रोड दूरी 28 किमी.
2	राजियावास टैंक	राजियावास	ब्यावर से उदयपुर रोड दूरी 15 किमी.
3	बलाड टैंक	बलाड	ब्यावर से बलाड दूरी 10 किमी.
4	शेरो का बाला टैंक	तारागढ	ब्यावर से उदयपुर रोड दूरी 30 किमी.
5	फूलसागर जालिया	जालिया प्रथम	ब्यावर से काबरा कोटडा रोड दूरी 10 किमी.
6	कालीकांकर टैंक	किशनपुरा	ब्यावर से काबरा कोटडा रोड दूरी 18 किमी.
7	देलवाडा टैंक	देलवाडा	ब्यावर से देलवाडा रोड दूरी 10 किमी.
8	मकरेडा टैंक	सरमालिया	ब्यावर से पीसांगन रोड दूरी 8 किमी.
9	काबरा टैंक	काबरा	ब्यावर से काबरा कोटडा रोड दूरी 22 किमी.
10	नारायण सागर जालिया ।।	मसुदा	ब्यावर से मसुदा रोड दूरी 35 किमी.
11	लौरडी बांध	मसुदा	ब्यावर से मसुदा रोड दूरी 40 किमी
12	देव सागर पाटन	बदनोर	ब्यावर से बदनोर रोड दूरी 30 किमी
13	रायपुर लूणी बांध	रायपुर	ब्यावर से रायपुर रोड दूरी 32 किमी
14	गिरीनन्दा	रायपुर	ब्यावर से रायपुर रोड दूरी 24 किमी
15	बाबरा	रायपुर	ब्यावर से रायपुर रोड दूरी 21 किमी

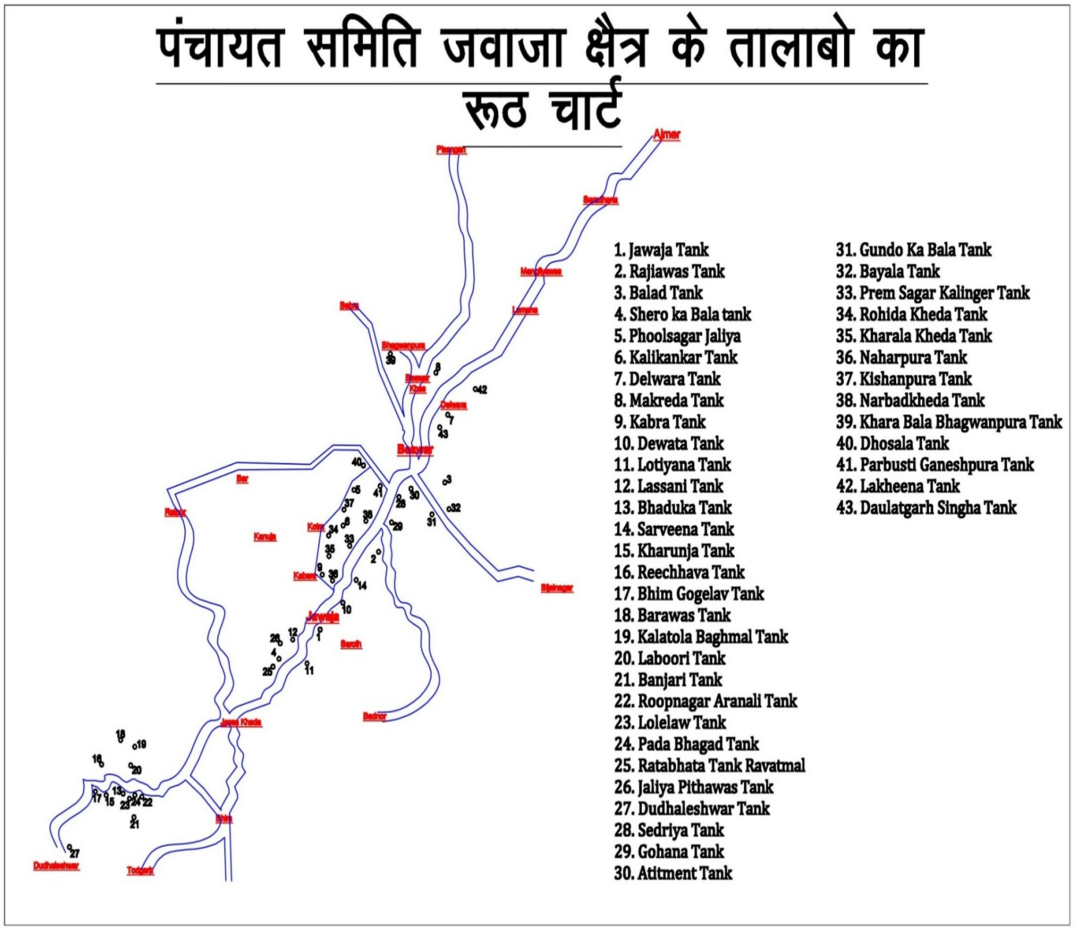

पंचायत समिति जवाजा क्षैत्र के तालाबो का
रूठ चार्ट
1. Jawaja Tank
2. Rajiawas Tank
3. Balad Tank
4. Shero ka Bala tank
5. Phoolsagar Jaliya
6. Kalikankar Tank
7. Delwara Tank
8. Makreda Tank
9. Kabra Tank
10. Dewata Tank
11. Lotiyana Tank
12. Lassani Tank
13. Bhaduka Tank
14. Sarveena Tank
15. Kharunja Tank
16. Reechhava Tank
17. Bhim Gogelav Tank
18. Barawas Tank
19. Kalatola Baghmal Tank
20. Laboori Tank
21. Banjari Tank
22. Roopnagar Aranali Tank
23. Lolelaw Tank
24. Pada Bhagad Tank
25. Ratabhata Tank Ravatmal
26. Jaliya Pithawas Tank
27. Dudhaleshwar Tank
28. Sedriya Tank
29. Gohana Tank
30. Atitment Tank
31. Gundo Ka Bala Tank
32. Bayala Tank
33. Prem Sagar Kalinger Tank
34. Rohida Kheda Tank
35. Kharala Kheda Tank
36. Naharpura Tank
37. Kishanpura Tank
38. Narbadkheda Tank
39. Khara Bala Bhagwanpura Tank
40. Dhosala Tank
41. Parbusti Ganeshpura Tank
42. Lakheena Tank
43. Daulatgarh Singha Tank
Ajmer

Untitled Map
Write a description for your map.
जल संसाधन उपखण्ड, जैतारण, रूट चार्ट
Legend
Feature 1
Feature 2
Untitled Path
Untitled Path
बबरा डेम
Lat. 26°13'19'' N,
Long. 74°16'32''E
गिरी नन्दा
Lat. 26°10'57'' N,
Long. 74°10'01''E
ब्यावर
रायपुर लूणी बांध
Lat. 26°01'26'' N,
Long. 74°03'51''E
N
10 km

पशुपालन विभाग

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपनिदेशक,पशुपालन विभाग,ब्यावर(राजस्थान)

EMAIL ID- ddahdbeawar@gmail.com,ddahdbeawar@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-933 दिनांक:-20.07.2026

<u>कार्यालय आदेश</u>

श्रीमान निदेशक पशुपालन विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक 81 दिनांक 11.06.2026 एवं श्रीमान अतिरिक्त निदेशक(क्षेत्र),अजमेर के पत्रांक: एफ.वी.4( )विकास/2026/4094-99 दिनांक: 16.07.2026 के निर्देशों की अनुपालना में ब्यावर जिले में वर्षा ऋतु एवं बाढ़आपदा प्रबंधन व भेड निष्क्रमण को मध्यनजर रखते हुए पशुओं में अतिवृष्टि व संभावित बाढ की स्थिति में पशुओं के सुरक्षात्मक उपाय व उचित प्रबंधन किये जाने हेतु जिलास्तरीय कंट्रोल रूम कार्यालय उपनिदेशक, बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय,ब्यावर में स्थापित किया जाता है, जिसके प्रभारी डॉ. तरुण कुमार पंत, उपनिदेशक दूरभाष नंबर :9799651060 है, जो कि जिला बाढ नियंत्रण अधिकारी उप निदेशक पशुपालन विभाग, ब्यावर को परिपत्र के निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए सूचनाओं से समयबद्ध रूप से सूचित करेंगे। नियंत्रण कक्ष 24 घण्टे कार्यरत रहेगा साथ ही जिला व ब्लॉक स्तर पर निम्नानुसार त्वरित कार्यवाही दल गठित किये जाते हैं एवं जिनके प्रभारी अधिकारी संबंधित ब्लॉक वेटरनरी हैल्थ आफिस प्रभारी होंगे एवं गठित दल की सूचना से जिला व उपखण्ड स्तर पर सूची उपलब्ध करवाएगें। (सूची संलग्न)

1 गठित दल आपातकालीन स्थिति में दल प्रभारी के निर्देशन में कार्य सम्पादित करेंगे एवं आवश्यकतानुसार अविलम्ब रोगी पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायेंगे व बाढ प्रभावित क्षेत्रों में टीकाकरण का कार्य सम्पादित करेंगे।

2 संबंधित दल के प्रभारी औषधियां एवं वैक्सीन सहित आपातकालीन किट पूर्व में ही तैयार रखेंगे। जल भराव / बाढ की संभावना को देखते हुए पशुओं के सुरक्षात्मक उपाय हेतु उचित प्रबंधन करेंगे।

3 अकाल / बाढ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं हेतु चारे व पशु आहार की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे व रोग सर्वेक्षण व निदान का कार्य तत्परता से संपादित करेंगे।

4 टीकाकरण व डीवर्मिंग बाढ संभावित क्षेत्रो में समय से पूर्व ही करेंगे।

5 गौशालाओं में भी नियमित भ्रमण करेंगे।

6 भेड निष्क्रमण मार्ग पर अतिवृष्टि / बाढ की संभावना बनती है तो वैकल्पिक मार्गो से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे।

7 साथ ही मृत पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण का स्थान भी सुनिश्चित करेंगे व स्थानीय निकाय आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करेंगे व समय समय पर इस हेतु जारी निर्देशो की पालना सुनिश्चत करेंगे व आपदा की स्थिति में स्थानिय प्रशासन स्वयं सेवी संस्थाओं एवं जनप्रतिनिधीयों से समन्वय स्थापित करेंगे, इसकी सूचना से इस कार्यालय को भी अवगत करवाना सुनिश्चत करेंगे। आवश्यकता पडने पर नोडल अधिकारी अपने क्षेत्र की संस्थाओं में कार्यरत अन्य कार्मिको की ड्यूटी लगाते हुए इस कार्यालय को सूचित करेंगे एवं किसी भी तरह की आपदा की सूचना से जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम को अवगत करायेंगे।

नोटः- आपदा / अतिवृष्टि बाढ की स्थिति में अवकाश पर प्रतिबन्ध रहेगा व कोई भी अधिकारी / कार्मिक बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्यालय नहीं छोडेगे

संलग्न - गठित कार्यवाही दल की सूची व परिपत्र अनुसार विस्तृत दिशा निर्देश।

(डॉ.विश्वास कुमार)
उपनिदेशक. पशपालन विभाग .ब्यावर.

कार्यालय उपनिदेशक, पशुपालन विभाग, ब्यावर				
ब्यावर जिले मे बाढ़ नियंत्रण हेतु आपदा प्रबंधन हेतु गठित त्वरित कार्यवाही दल				
जिला स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष				
क्र.स.	संस्था का नाम	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	दूरभाष नंबर
1	बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, ब्यावर	डॉ. तरुण कुमार पंत	उपनिदेशक	9799651060
2	बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, ब्यावर	डॉ. महेंद्र कुमार गुप्ता	एस.वी.ओ.	9664014843
3	बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, ब्यावर	श्री निर्मल कुमार माली	पशुधन निरीक्षक	8824663411
4	बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, ब्यावर	सुश्री चाँदनी	पशुधन निरीक्षक	6377197487
जवाजा				
1	पशु चिकित्सालय, फतेहगढ सल्ला	डॉ. नीरज कुमार	वी.ओ	9530202545
2	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, कोटडा	श्री कैलाशचंद यादव	पशुधन निरीक्षक	9784152045
3	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, सुहावा	श्री राजेन्द्र चांगल	पशुधन निरीक्षक	9660905456
4	पशु चिकित्सालय, बराखन	श्री राजेन्द्र बरडवाल	पशुधन निरीक्षक	9799132212
5	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, सरवीना	श्री राकेश कुमार मीणा	पशु परिचर	9928527433
6	बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, ब्यावर	श्री नवीन सांगेला	पशुधन परिचर	9928981402
मसूदा				
1	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, विजयनगर	डॉ. भूपेन्द्र सिंह	एस.वी.ओ.	9799841049
2	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, देवमाली	श्री मुकेश चौधरी	पशुधन निरीक्षक	9929879480
3	पशु चिकित्सालय, नंदवाडा	श्री जीवराज गुर्जर	पशुधन निरीक्षक	8104564981
4	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, मसूदा	श्री कन्हेयालाल सेन	पशुधन परिचर	9629641727
5	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, खरवा	श्री बाबू सिंह	पशुधन परिचर	9636843030
6	पशु चिकित्सालय, देवास	श्री रमेश चंद परिहार	पशुधन परिचर	9929865431
रायपुर				
1	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, रायपुर	डॉ. मनरूप नारायण	एस.वी.ओ.	9928692205
2	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, रायपुर	श्री रमेश दमोर	पशुधन निरीक्षक	9929713043
3	पशु चिकित्सालय, बाँसीया	श्री राहुल प्रजापत	पशुधन निरीक्षक	8058638839
जैतारण				
1	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, जैतारण	डॉ. अनोप सिंह खिडिया	एस.वी.ओ.	9414713828
2	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, अगेवा	श्री ओमप्रकाश	पशुधन निरीक्षक	9928522161
3	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, बिरोल	श्री पवन प्रजापत	पशुधन निरीक्षक	9772075754
4.	प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय, जैतारण	श्री राकेश कुमार	पशुधन परिचर	8769864829
बदनोर				
1	पशु चिकित्सालय, पाटन	डॉ. मनोज कुमार बुनकर	वी.ओ.	9950204640
2	BVHO, बदनोर	श्री खेमराज रैगर	पशुधन निरीक्षक	9982776860
3	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, गिरधर पुरा	श्री दिनेश सिंह	पशुधन निरीक्षक	9327768752

नोट: प्रभारी अधिकारी बी.वी.एच.ओ. आवश्यकता होने पर अपने स्तर से कार्मिकों कि सेवाये इस कार्यालय को सूचित करते हुए ले सकते है।

(डॉ.विश्वास कुमार)
उपनिदेशक,
पशुपालन विभाग ,ब्यावर.

बैंकों की सूची

Sr. No	Bank Name	Branch	Block	Tehsil	Mobile No
1	Ajmer Centrale Co-op.Bank	BEAWAR	Jawaja	Beawar	9983228721
2	Ajmer Centrale Co-op.Bank	BIJAINAGAR	Masuda	Bijainagar	9983228710
3	Ajmer Centrale Co-op.Bank	MASUDA	Masuda	MASUDA	7976922166
4	AU Small Finance Bank	Beawar	Jawaja	Beawar	9773349734/9587880088
5	AU Small Finance Bank	JAITARAN	Jaitaran	Jaitaran	7733980897
6	AU Small Finance Bank	Vijainagar	Masuda	Bijainagar	9116181308
7	Axis Bank Ltd	Beawar	Jawaja	Beawar	9982611109
8	Axis Bank Ltd	Bijay Nagar	masuda	Bijainagar	6378540499
9	Bandhan Bank Ltd	Beawar Khas	JAWAJA	Beawar	9351753230
10	Bank of Baroda	BADAKHEDA	Jawaja	Tatgarh	8094007130
11	Bank of Baroda	BARAL	Masuda	Bijainagar	8094015488
12	Bank of Baroda	BEAWAR	Jawaja	Beawar	8094007030
13	Bank of Baroda	BIJAYA NAGAR	Masuda	Bijainagar	8094007033
14	Bank of Baroda	JAITARAN	Jaitaran	Jaitaran	8875004397
15	Bank of Baroda	JAWAJA	Jawaja	Beawar	8094007037
16	Bank of Baroda	KIRAP	Masuda	MASUDA	8094007042
17	Bank of Baroda	KOTRA	Jawaja	Beawar	8094007044
18	Bank of Baroda	MASUDA	Masuda	MASUDA	8094007045
19	Bank of Baroda	SSI BEAWAR	Jawaja	Beawar	8094007031
20	Bank of Baroda	TODGARH	Jawaja	Tatgarh	8094007054

21	Bank of Baroda	UDAIPUR RD, BEAWER	Jawaja	Beawar	8094015489
22	Bank of India	Beawar	Jawaja	Beawar	9785868448
23	Bank of India	Vijainagar	Masuda	Bijainagar	9619077387
85	RGB	AMSH JAITARAN	Jaitaran	Jaitaran	7073454928
76	RGB	ANANDPUR KALU	Jaitaran	Jaitaran	9116014281
24	RGB	Badnor	Badnor	Badnor	7726854696
77	RGB	BALARA	Jaitaran	Jaitaran	9782120904
78	RGB	BALUNDA	Jaitaran	Jaitaran	8690007611 ; 8562814343
79	RGB	BAR	Raipur	Raipur	9116014460
27	RGB	Beawar - Chang Gate	Jawaja	Beawar	7726854770
25	RGB	Beawar-Ajmer Road	Jawaja	Beawar	8003490222
26	RGB	Bijay Nagar	Masuda	Bijainagar	8003490245
33	Canara Bank	Beawar, Ajmer Road	Jawaja	Beawar	9358821801
34	Canara Bank	Beawar, Agarsen Bazaar	Jawaja	Beawar	9001098268
35	Canara Bank	Bijaynagar	Masuda	Bijainagar	7023101009
36	Canara Bank	Gohana	Jawaja	Beawar	9369991487
37	Canara Bank	Nundri Mahendratan	Jawaja	Beawar	9414055015
38	Central Bank of India	Bijai Nagar	Masuda	Bijainagar	7568332111
39	Central Bank of India	Sathana	Masuda	Bijainagar	9664295699
40	City Union Bank	Beawar	Jawaja	Beawar	9216799863
41	Equitas Small Finance Bank	Beawar - Main Branch	Jawaja	Beawar	8003552955
42	HDFC Bank Ltd	Beawar, Ajmer Road	Jawaja	Beawar	9351014755
43	HDFC Bank Ltd	Beawar, Mahaveer Bazaar	Jawaja	Beawar	9610944999
44	HDFC Bank Ltd	Beawar, Station Road	Jawaja	Beawar	9828270687
45	HDFC Bank Ltd	BijaiNagar	Masuda	Bijainagar	9414306153

46	HDFC Bank Ltd	JAITARAN	Jaitaran	Jaitaran	7737486636
47	HDFC Bank Ltd	BRAHMANAND MARG	jawaja	Beawar	8696939630
48	ICICI Bank Ltd	Bijaynagar	Masuda	Bijainagar	9271856815
49	ICICI Bank Ltd	JAITARAN	Jaitaran	Jaitaran	9271853791/9001303358
50	ICICI Bank Ltd	Jalia-2	Masuda	Bijainagar	9271856823/7410092219
51	ICICI Bank Ltd	Beawar, Mahaveer Nagar	Jawaja	Beawar	9271856813
52	ICICI Bank Ltd	Beawar, Station Road	Jawaja	Beawar	9529260600/8696292999
53	IDBI Bank Ltd	Beawar	Jawaja	Beawar	7624020476
54	IDFC First Bank Ltd.	Vijainagar	Masuda	Bijainagar	9571658199
55	IDFC First Bank Ltd.	Beawar	Jawaja	Beawar	7230055444
56	IDFC First Bank Ltd.	JAITARAN	JAITARAN	Jaitaran	7014940435
57	Indian Bank	Vaishnavai Market, Beawar	Jawaja	Beawar	9887418047
58	IndusInd Bank Ltd	Beawar	Jawaja	Beawar	9414483010
59	IndusInd Bank Ltd	BijaiNagar	Masuda	Bijainagar	9887579003
60	Jana Small Finance Bank	Beawar- Main Branch	Jawaja	Beawar	8209933668
61	KOTAK Mahindra Bank	Station road beawar	Jawaja	Beawar	9521434433
62	PCCB	ANANDPUR KALU	Jaitaran	Jaitaran	9784591071
63	PCCB	BABRA	Raipur	Raipur	8279274788
64	PCCB	JAITARAN	Jaitaran	Jaitaran	9414439198
65	PCCB	PIPLIYA KALAN	Raipur	Raipur	9784591379
66	PCCB	RAIPUR	Raipur	Raipur	9784591378
67	Punjab National Bank	Agarsen Bazaar, Beawar	Jawaja	Beawar	9009666077
68	Punjab National	JAITARAN	Jaitaran	Jaitaran	8559894343

	Bank				
69	Punjab National Bank	Masuda	Masuda	MASUDA	8302207711
70	Punjab National Bank	PATWA (JAITARAN)	Jaitaran	Jaitaran	9414543416
71	Punjab National Bank	Pipli ka Bariya	JAWAJA	Beawar	9660970370
72	Punjab National Bank	Pipali Bazar, Beawar	Jawaja	Beawar	9887991880
73	Punjab National Bank	Bijaynagar	Masuda	Bijainagar	9599815217
74	Punjab National Bank	RABARIYAWAS	Jaitaran	Jaitaran	7073381222
75	Punjab National Bank	RAIPUR	Raipur	Raipur	7597849918
80	RGB	CHANG	Raipur	Raipur	7073453612 ;7073102856
81	RGB	CHAWANDIYA	Jaitaran	Jaitaran	9116014380
82	RGB	DEVLI KALAN	Raipur	Raipur	7073454819
83	RGB	DIGARNA	Jaitaran	Jaitaran	8690007501
84	RGB	GIRI	Raipur	Raipur	8690007673; 9929695557
28	RGB	Jalia-2	Masuda	Bijainagar	8003490490
29	RGB	Jawaja	Jawaja	Beawar	8003490223
86	RGB	KHUSALPURA	Raipur	Raipur	9116176422
87	RGB	KURKI	Jaitaran	Jaitaran	8690001715;9034588890
88	RGB	LAMBIYA	Jaitaran	Jaitaran	9116014248
30	RGB	Masuda	Masuda	MASUDA	9166278271
89	RGB	NIMAJ	Jaitaran	Jaitaran	7073454047;9887898388
90	RGB	NIMBOL	Jaitaran	Jaitaran	9116176366;7737514065
31	RGB	Peeplaj	Masuda	MASUDA	7726854698
91	RGB	PIPALIYA KALAN	Raipur	Raipur	9116055997

92	RGB	RAIPUR	Raipur	Raipur	9773343904; 9785860634
32	RGB	Ramgarh	Masuda	MASUDA	8003490242
93	RGB	RAS	Jaitaran	Jaitaran	9664455897
94	RGB	SABALPURA	Raipur	Raipur	9773343950; 9571540887
95	RGB	SENDRA	Raipur	Raipur	8690007678;6377343889
96	RGB	SUMEL	Raipur	Raipur	7073454273 : 9462788521
97	State Bank of India	ANANDPUR KALU	Jaitaran	Jaitaran	9971003199
98	State Bank of India	Andheri Deori	Masuda	MASUDA	8385092157
99	State Bank of India	BABRA	Raipur	Raipur	8608918796
100	State Bank of India	BAR	Raipur	Raipur	8602290469
101	State Bank of India	Ajmer Road, Beawar (Main)	Jawaja	Beawar	9167930684
102	State Bank of India	Bijay Nagar	Masuda	Bijainagar	9413397419
103	State Bank of India	Hemlani Market, Beawar/BEAWAR CITY	Jawaja	Beawar	9460241939
104	State Bank of India	JAITARAN	Jaitaran	Jaitaran	8890569127
105	State Bank of India	KALAB KALAN	Raipur	Raipur	9602806137
106	State Bank of India	Kharwa	MASUDA	MASUDA	9649520088
107	State Bank of India	Masuda	Masuda	MASUDA	8866598227
108	State Bank of India	NIMAJ	Jaitaran	Jaitaran	7665996688
109	State Bank Of India	Patan	Badnor	Badnor	7727834419

110	State Bank of India	PIPLIYA KALAN	Raipur	Raipur	7737440480
111	State Bank of India	RAIPUR	Raipur	Raipur	7600021388
112	State Bank of India	RAS	Jaitaran	Jaitaran	8005694779
113	State Bank of India	Satpuliya, Beawar	Jawaja	Beawar	9413398644
114	State Bank of India	Near Bus Stand, Beawar/ STATION ROAD BEAWAR	Jawaja	Beawar	7023333950
115	State Bank of India	KUM, BIJAYNAGAR	Masuda	Bijainagar	9649364637
116	Uco Bank	Pali Bazar , Beawar	Jawaja	Beawar	9414276968
117	Uco Bank	Bijaynagar	Masuda	Bijainagar	8233561234/9230503402
118	Uco Bank	Rajiawas	Jawaja	Beawar	9529888944
119	Union Bank of India	Beawar, Agarsen Bazar	Jawaja	Beawar	9828589678
120	Union Bank Of India	Badnor	Badnor	Badnor	9829028561
121	Union Bank of India	Beawar, Moti Nagar	Jawaja	Beawar	8005987112
122	Union Bank of India	Jamola	Masuda	MASUDA	8108193528
123	Union Bank of India	Kharwa	Masuda	MASUDA	6203106907/9006765958
124	Union Bank of India	Vijainagar	Masuda	Bijainagar	9687806969
125	Utkarsh Small Finance Bank	Vijainagar	Masuda	Bijainagar	7014813657
126	YES Bank	Beawar	Jawaja	Beawar	9929599661
127	YES Bank	JAITARAN	Jaitaran	Jaitaran	9168181275
128	ICICI Bank Ltd	RIICO Area Beawar	Jawaja	Beawar	7230042954
129	Ujjivan Small	Govindpura Beawar	Jawaja	Beawar	6378725383

	Bank				
130	Ujjivan Small Bank	BARI	MASUDA	Bijainagar	9982245322
133	AU Small Finance Bank	sevriya			9773349734/9587880088

रसद विभाग

गैस एजेंसीयों की सूची

Sr. No.	NAME OF DISTRIBUTOR	ADDRESS OF SHOWROOM	Manager Name	Properiter Name	DIST.	Properiter MO NO.	Manager Mo.No.
1	BEAWER GAS SERVICE	7 CHAMPA RD-BEAWAR	SH. MUNISH RAM	SH. NARENDRA RAM	BEAWAR	9414227568	9001142500
2	DANGI GAS SERVICE	6/50 II, SENDRA ROAD- -BEAWAR	SH. CHAGAN LAL	SH. DAMODAR DANGI	BEAWAR	9414008975	9352525505
3	JWALA INDANE	RIICO COMMERCIA L COMPLEX- NH-8 AJMER ROAD -BEAWAR	SH. DEVRAJ BHATI	SH. CHETAN PRAKASH	BEAWAR	9214328363	7891020750
4	GOYAL GAS SERVICE	34, LAXMI MARKET BEAWAR DISTRICT AJMER RAJASTHAN	SH. KRISHAN SONI	SH. ASHOK KUMAAR	BEAWAR	9414070755	9828053340
5	KAPESSH HP GAS	OS SHREENATPURAM NEAR HEDA HOSPITAL SENDRA ROAD BEAWAR	MRS. POOJA BHATI	SH. TARUN DADHICH	BEAWAR	9351999993	6375965772
6	KHERA kALAN INDAIN	VILLAGE KHERA KALAN	SH. AJAY KUMAAR	SH. KULDEEP	TODGARH	9413073300	8003755210

		POST KHERA		TAK			
7	RAJ BHARAT GAS GRAMIN VITRAK	NEAR MAHAVEER COLONY AJMER ROAD MASUDA DIST. AIMER	SH. VISHNU TELI	SH. SAHIL TAK	MASUDA	9928846589	9929434372
8	JALIA INDANE GRAMIN VITRAK	SADAR BAZAR VILLAGE JALIA THE - MASUDA	SH. JAGDISH KALAWAT	SH. JAGDISH KALAWAT	MASUDA	9413134719	9413134719
9	KHARWA INDANE • GRAMIN VITRAK	289 KHAT1 MOHALLA THE-MASUDA LIST AIMF.R	SH. AMAN PADAWAT	SH. MANJU PADAWAT	MASUDA	9414363684	8094932731
10	DEVRAJ HP GAS AGENCE	GRAM RUPAPURA, NASUN BHAWANI KHERA THE MASUDA	SH. SUKHRAJ	SH. GIRDHARI	MASUDA	9414644783	9664336846
11	NAKODA HP GAS	NEAR MAHAVEER BHAVAN BIJAINAGAR DIST. AJMER 30S624	SH. ABHISHEK	SH. YASHWANT TAK	BIJAYNAGAR	9214165432	9587453424
12	SHAHEED SUBHASHCHANDRA HP GAS AGENCY	MERTA ROAD	SH. SADDAM HUSSAIN	SH. SANTOSH	JAITARAN	9116687601	7232054074
13	M/S TANISHA HP GAS GRAMIN VITRAK	KH.NO. 1070, ANANDPUR KALU ROAD	MRS. SUMITRA	MRS. SUMITRA	FALKA, JAITARAN	6378326424	9571486640
14	MANISH HP GAS GRAMIN VITRAK	BUS STAND	SH. HAPURAM KURIYA	SH. MANISH KURIYA	BALARA, JAITARAN	9784666604	9413060935
15	NIMAZ INDANE GAS	NEAR ASARLAI GATE, NIMAJ	SH. RAKESH SHARMA	SH. GIRWAR SINGH	NIMAJ, JAITARAN	9414123111	9414609074

16	SHOBHA HP GAS GRAMIN VITRAK	VILL. GIRI	SH. KAILASH PRAJAPAT	MRS. SHOBHA CHOUHAN	GIRI, RAIPUR	9649123108	9413909672
17	LATASHREE INDANE GRAMIN VITRAK	KH. NO. 345/4422155, BIRATHIYA KHURD	SH. JEEVAN DEVDA	SH. DURGARAM JI	BIRATHIYA, RAIPUR	9929554103	7849981722
18	SUMEL INDANE GRAMIN VITRAK	MAIN BAZAR, OPP GANESH MANDIR, SUMER	MRS. POOJA	SH. RAJENDRA	SUMEL, RAIPUR	9024017568	7023369092
19	NABEDA BHARAT GAS	SHOP NO. 1, HANUMAN MANDIR GALI BHILWARA, BADNOR	MRS. DEEPESH NABEDA	SH. CHANDRESH NABEDA	BADNOR	9660462621	9660462621
20	SHAHJAL INDANE GRAMIN VITRAK SHEKHAVAS	SHAHJAL INDANE GRAMIN VITRAK SHEKHAVAS	SH. JAGDISH SINGH	SH. MADAN SINGH	BHIM, RAJSMAND	9549692728	8824661127
21	SHREE GANESHAM BHARAT GAS AGENCY	VILLAGE. SIROLA	SH. BHAGWAN SINGH	SH. HIMANSHU MEWADA	RAIPUR	9982065652	9784065652

पेट्रोल पंपों की सूची

S.no.	Party Name	Company	Pump Location	Name of Dealer	Mo.no.
1	Ramesh Agro Service center	IOCL	N.H. 8 Udaipur Road Bye Bwr	Shri Ramesh Ch. Sharma	8209832363
2	Kanchan Service Station	IOCL	A K Hospital Road Beawar	shri Atul Kankriya	9829071435
3	Star Sewa Kendra	IOCL	Lasadiya Shree Cement Road Bwr	Mr. Salim Kathat	9336569571
4	Kamal Brothers	IOCL	N.H. 8 Ajmer Road Beawar	Shri Vishwas Jain	9660021166
5	Jawala Petrolium	IOCL	Dungari Road Beawar	Shri Lalit Shankhla	9351442231
6	Mohan lal Uttam chand	BPCL	Sarmaliya Beawar	Shri Dilp bhandari	9214002453
7	AMF Beawar Wala	BPCL	Chan gate Beawar	Mr. Mosin Khan	9351155801
8	Kamal Petrolium	BPCL	Jaliya Road Beawar	Shri Ravi Kumawat	9929990211
9	Bhandari Petrolum	**BPCL**	**Sendra Road Beawar**	**Shri Mukesh Bhandari**	9214002452
10	Shahid Mohan kathat Pump	**HPCL**	**Sedariya NH8 Beawar**	**Mr. Azhar Kathat**	9602083916
11	Narayan Dass Lohiya	**HPCL**	**Bhagat Choraya Beawar**	**Shri Hardik Lohiya**	9828082345
12	Shanti Filling Station	HPCL	Satpuliya Road Beawar	Shri Gajanand Gahlot	9252032804
13	Rohit Service Station	HPCL	Jawaja	Shri Rohit Dani	9828017915
14	Maa Dadee Filling Station	ESSOR	Ajmer Road Beawar	Shri Naveen Agarwal	9829020323
15	Veral Petrolium	Nayra	Collage Road Beawar	Shri Veral Kumawat	9214866043
16	Shree Shakti Filling Station	Nayra	Shivnath Pura Beawar	Shri Hitendra Singh	7230080011

17	Jyoti Filling Station	ESSAR	N.H.8 Rajiyawas Beawar	Shri Laxmi Narayan	9928740002
18	Ganpati Petroleum	Reliance	N.H. 8 Ranisagar Beawar	Shri Rejendra Choudhary	9214017300
19	KASHLIWAL BROS.	BPCL	Bijay Nagar Crossing. BijayNagar	Sanjay Kasliwal	9414426935
20	KHARWA HIGHWAY PETROLEUM	BPCL	Vill. Kharwa, NH-8 Kharwa. Masuda	Smt. Sangeeta Diwaker	9799152100
21	CHOUHAN PETROL PUMP	BPCL	Bijay Nagar on LHS, Sathana, Masuda	Sh. Aditendra Singh Chouhan	9214558502
22	SHREE VEER TEJA FUEL STATION	BPCL	Bandhawara Road, Masuda	Sh. Rajendra	6378793787
23	BALRAM FILLING STATION	BPCL	RAMGARH, Masuda	Sh. Yashpal Jat	7877013823
24	MSHSD NAVKAR FILLING STATION	HPCL	HP PETROL PUMP, PLOT NO. 1347 SH 39 BEAWAR TO BIJAYNAGAR ROAD TEHSIL BIJAYNAGAR	Shri Deepak Shankla	9982078165
25	MSHSD MATESHWARI FILLING STATION	HPCL	HP PETROL PUMP, BIJAYNAGAR	Shri Satya Banwar	9950985209
26	BANSILAL & SONS	IOCL	BARAL-II, BIJAYNAGAR	Sri Sudhir Kumar Goyal	9334433590
27	MAHESHWARI FIILING STATION	IOCL	BEAWER ROAD,NH 8, Kharwa Masuda	Shri Deen Dayal Maheshwari	9414406541
28	MERTIYA KISAN SEVA KENDRA	IOCL	Masuda A	Shri Manish Kumar Mertia Manish	9414644692
29	BHASKAR KSK PETROLEUM	IOCL	Vill Kanpura, Masuda	Prakash Surya	9413934568
30	PUSHPA FILLING STATION KSK	IOCL	Vill Lalawas, Masuda		9414361818
31	Y.M.FILLING STATION	IOCL	VILL.Ramgarh ,TEHSIL BIJAYNAGAR	Sh. FAJAL KHAN FAJAL	7726080753
32	SHREE DEV	IOCL	Vill. Sikharani, Masuda	Sh. RAGHUNATH	9680803940

	PETROLEUM KSK			GURJAR	
33	RELIANCE BP MOBILITY LIMITED	Reliance	GRAM RANI SAGAR, MASUDA	SHRI NITIN KUMAR	8376831154
34	RELIANCE BP MOBILITY LIMITED	Reliance	GULABPURA ROAD, VIJAYNAGAR	SHRI NITIN KUMAR	8376831154
35	मैसर्स जैतारण फिलींग स्टेशन, भाकरवास	IOCL	भाकरवास	अनोपसिंह सादुलसिंह चारण, कमलेश मेहता पुत्र प्रकाशचन्द मेहता	9413710410
36	मैसर्स निमाज फिलींग स्टेशन, निमाज	IOCL	निमाज	नारायणसिंह पुत्र गायडदान, निमाज	2939230041
37	मैसर्स अम्बिका फिलींग स्टेशन, रास	IOCL	रास	महेन्द्रसिंह पुत्र श्रवणसिंह राजपूत, आकेली, रायपुर	9939288151
38	मैसर्स चौधरी पैट्रोलियम, भीवगढ, जैतारण	HPCL	जैतारण	प्रमीला चौधरी पत्नि रमेशचन्द्र चौधरी, 905, श्रमिकपुरा, मसुरिया, जोधपुर	9414131915
39	मैसर्स विष्णु फिलींग स्टेशन, निम्बोल	IOCL	निम्बोल	मनोहरसिंह चैनसिंह राजपूत, निवासी निम्बोल	9829286907
40	मैसर्स गुरूकृपा फिलींग स्टेशन, लाम्बिया	HPCL	लाम्बिया	श्रीमती सपना टॉक पत्नि गौरीशंकर टॉक, 788, पोस्ट ऑफिस के पास, अजमेर	9414586183
41	मैसर्स कृष्णा पैट्रोलियम, राबडियावास	BPCL	राबडियावास	राजेन्द्रसिंह पुत्र नेमसिंह गहलोत, 55 सी सेक्टर किर्ती नगर, जोधपुर	9251016991
42	मैसर्स श्री पैट्रोलियम, रास	BPCL	रास	सुरेशकुमार परिहार पुत्र बालकिशन परिहार, पुराना बस स्टेण्ड, सुमेरपुर	9251016991
43	मैसर्स देवकृपा फिलींग स्टेशन, जैतारण	HPCL	जैतारण	हेमराज मीणा पुत्र रामकुमार, नान्दडी, जोधपुर	9414319121
44	मैसर्स भवालमाता फिलींग स्टेशन, राबडियावास	HPCL	राबडियावास	भवानीसिंह पुत्र नारायणसिंह राजपूत, जया चौहान पत्नि भारतसिंह, राबडियावास	9413079994
45	मैसर्स खेतानी फिलींग स्टेशन, बलून्दा	BPCL	बलून्दा	धमेन्द्र खेतानी पुत्र श्यामलाल खेतानी, डी–159, पाटवा, धर्मे नारायण हत्था, जोधपुर	9694929188
46	मैसर्स जूना बाबा फिलींग स्टेशन, जैतारण	BPCL	जैतारण	दुदाराम चौधरी पुत्र नाथूराम, निवासी लौटोती, तहसील–जैतारण	9413080075
47	मैसर्स कुमावत फिलींग	Essar	निमाज	माणकचन्द लाबूराम कुमावत, बेरा बिलिया,	9480247522

	स्टेशन, निमाज			काचौडा, ग्राम निमाज	
48	मैसर्स गंगा पपैट्रोलिय, चावण्डिया	BPCL	चावण्डिया	श्रीमती कमला पालरिया पत्नि श्यामसुन्दर मेघवालों का बास, चावण्डियाकलां	9414341780
49	मैसर्स भैरव फ्यूल, आनन्दपुर कालू	HPCL	आ. कालू	मुरलीधर यादव पुत्र रामकिशन यादव, 78, राताखेत, सज्जन नगर, उदयपुर	9414341050
50	मैसर्स दाधिच फिलींग स्टेशन, जैतारण	HPCL	जैतारण	श्रीमती कंचनदेवी पत्नि वासुदेव दाधिच, पोस्ट ऑफिस के पास, जैतारण	9252066142
51	मैसर्स दिनेश किसान सेवा केन्द्र, बलाडा	IOCL	बलाडा	गणपतलाल पुत्र भागीरथ, निवासी बलाडा	9928668597
52	मैसर्स आदित्य फिलींग स्टेशन केएसके, डूंगरनगर	IOCL	डूंगरनगर	श्री ओमाराम पुत्र श्री रूघाराम मेघवाल, नि. सिनला, तह–जैतारण	8107873157
53	मैसर्स आगोलाई गुड्स ट्रांसपोर्ट यूनिट द्वितीय, झाला की चौकी	HPCL	रायपुर	पुखराज पुत्र धर्माराम चौधरी, ट्रांसपोर्ट नगर, बासनी फेज, जोधपुर	9928448764
54	मैसर्स पगारिया फिलींग स्टेशन, बर	BPCL	बर	भीकमचन्द कोठारी, बर	9784048229
55	मैसर्स राठौड फिलींग स्टेशन, बर	IOCL	बर	गोपालसिंह कानसिंह राठौड	2937284221
56	मैसर्स देवरी माता फिलींग स्टेशन, झाला की चौकी		रायपुर	दिलीपसिंह गोपालसिंह राठौड, निवासी बर	0
57	मैसर्स पालीवाल पेट्रोल पम्प, कुशालपुरा	BPCL	कुशालपुरा	भीकमचन्द पुत्र जसराज पालीवाल, कुशालपुरा	9414123944
58	मैसर्स पालीवाल पेट्रोल पम्प, बर	IOCL	बर	भागीदार – भीकमचन्द कुशालपुरा व मुन्नी बानों अजमेर	9414123944
59	मैसर्स कुशालपुरा किसान सेवा केंन्, कुशालपुरा	IOCL	कुशालपुरा	राजेश पुत्र भीकमचन्द पालीवाल, रायपुर रोड, कुशालपुरा	9929215911
60	मैसर्स रिलायन्स पैट्रोलियम, झाला की चौकी,	Reliance	रायपुर	श्री कुल भूषण मेहरा पुत्र आर. डी. मेहरा	0
61	मैसर्स पी. जी. फॉयल्स, पिपलिया कलां	Consumer	पिपलियांकलां	पंकज शाह प्रबन्धक, संचालक, पी.जी. फॉयल्स, पिपलिया कलां, रायपुर	0
62	मैसर्स रूप रजत फिलींग स्टेशन, पिपलिया	HPCL	पिपलियांकलां	अशोक देवल पुत्र चावडदान देवल, बासनी	9413340005

				ददवाडिया	
63	मैसर्स रायपुर पैट्रोलियम, रायपुर	IOCL	रायपुर	प्रकाशचन्द्र मेहता पुत्र अमरचन्द्र मेहता, निवासी गिरी	9414172223
64	मैसर्स वैष्णव फिलींग स्टेशन, बलून्दा	BPCL	बलून्दा	गणेशराम खटीक पुत्र किशनलाल 268, कृष्णपुरा, भोपालपुरा, उदयपुर	0
65	मैसर्स शहीद भंवरसिंह फिलींग स्टेशन, बर	HPCL	रायपुर	श्रीमती धापकंवर पत्नि भंवरसिंह, भैसाणा	9414124322
66	मैसर्स एडहॉक खालसा मोटर्स, यूनिट–।।, झाला की चौकी, बर	IOCL	बर	भागी– श्री जगतारसिंह एवं श्री बहादुरसिंह, नि. साण्डेराव रोड, फालना	9214400231

क्रय विक्रय सहकारी समितियो की सूची

S.no.	**Kvss Name**	**Palace**
1	Kvss Beawar	छावनी, ब्यावर
2	Kvss Vijaynagar	नगर पालिका विजयनगर
3	Kvss Raipur	ग्राम रायपुर
4	Kvss Jaitaran	जैतारण
5	Kvss Badnor (New)	बदनोर

ब्यावर जिले में 01 सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार कार्यरत है

1	बीएनके सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड ब्यावर	छावनी, ब्यावर

नागरिक सुरक्षा विभाग

Rescue equipments list

क्र.सं.	उपकरण / सामग्री का नाम	संख्या
1.	**RASSA MOTA**	5
2.	**RASSA PATLA**	10
3.	**TAIRAK RING**	25
4	**UNDERWATER TORCH**	10
5	**GUM BOOT**	25
6	**PA SYSTEM**	15
7	**UMBRELLA**	50
8	**DRAGON LIGHT**	30
9	**SAFETY HELMET WITH LAMP BRACKET**	41
10	**FULL STRECHER**	10
11	**MEGAPHOME**	13
12	**ELECTRIC HAND GLOVES**	20
13	**FULL BODY HARNESS**	20
14	**SWIMMING SUIT**	12
15	**SINGLE SHEAVE PULLY**	12
16	**DOUBLE SHEAVE PULLY**	12
17	**LIFE JACKET**	52
18	**FULL FACE MASK WITH (MULTI GAS CARTRIDGE)**	10
19	**SAFETY SWIMMING GOGGLES**	13
20	**GAS CUTTER SET**	**1**
21	**HYDRULIC CUTTING TOOL**	**1**

विद्युत विभाग

पावर स्टेशनों की सूची

S. No.	Circle	Division	Name of Sub Div.	AEN Name & M.No	33/11KV GSS	Name of JEN & M.No
1	Beawar	XEN (O&M) Beawar	O&M-I Beawar	Sh. Shiv Prakash Meena 9413391622	Chawani	Sh. Arvind Kr. Medatwal 9413391655
2	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Jai Mandir	
3	Beawar	XEN (O&M) Beawar	O&M-II Beawar	Sh. Ashish kahndelwal 9413392214	Serderiya	Smt Papu 9413391656
4	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Gadhi Thoriyan	
5	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Govindpura	Sh Kuwar Pal 9413391657
6	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Nundri Maldev	
7	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Durgawas	
8	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Gohana	
9	Beawar	XEN (O&M) Beawar	Jawaja	Sh. Bharat Meena 9413364937	Rajiyawas	Sh. Amit Singh 9414068766
10	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Kabra	
11	Beawar	XEN (O&M)			Jawaja	Sh. Akbar Kathat

		Beawar				9413391659
12	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Todgarh	
13	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Badhakera	
14	Beawar	XEN (O&M) Beawar	RIICO Beawar	Sh. Naveen Tamoli 9414068373	Ajmer Road	Sh. Divy Kankariya 9414068734
15	Beawar	XEN (O&M) Beawar			RIICO	
16	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Beawar Khass	
17	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Radhawallabh	
18	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Peeplaj	
19	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Delwara	
20	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Ranisagar	
21	Beawar	XEN (O&M) Beawar	O&M-I Masuda	Sh. Shrikant Sharma 9413391623	Masuda	Sh. Prahelad Kumar 9413391660
22	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Amar Singh Ka Badiya	
23	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Shergarh	

24	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Lodiyana	
25	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Ramgarh	
26	Beawar	XEN (O&M) Beawar	O&M-II Masuda	Sh. RAHUL NARAIN KUNDARA 9413354304	Jamola	Sh Jagbeer Yadav 9413391661
27	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Andheri Devri	
28	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Harrajpura	
29	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Kharwa	
30	Beawar	XEN (O&M) Beawar	Bijaynagar	Sh. Pramod Kumar 9413391627	Bijaynagar	Sh Durgesh Jajoriya 9413391672
31	Beawar	XEN (O&M) Beawar			RIICO New	
32	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Jaliya	Sh. Biswjeet Roa 9414069325
33	Beawar	XEN (O&M) Beawar	Badnor	Sh. Sunil Kumar Dhakar 9413391997	Sekhawas	Sh Prakash Naryan 9664495377
34	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Dungarkhera	
35	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Borwa	
36	Beawar	XEN (O&M)			Badnore	Sh Vinit Meena 9413392029,

		Beawar				8018131809
37	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Patan	
38	Beawar	XEN (O&M) Beawar			Chainpura	

Fire station Control room

प्राप्ति क्रमांक 7828
दिनांक 29/7/2026

कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर

Tel No. 01462-258665, 257509 Email - npbeawar@gmail.com

क्रमांक /स्वास्थ्य/2026–27/5552 दिनांक:–27-7-26

कार्यालय आदेश

नगर परिषद, सामान्य प्रशासन के पत्र क्रमांक : 5531 दिनांक 25.07.2026 की अनुपालना में निम्न सफाई कर्मचारियो/जमादारो की बाढ़ बचाव संबंधी व्यवस्थाओ में ड्यूटी लगाई जाती है। ड्यूटी कार्यकाल आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेगा। कार्मिको की ड्यूटी नियंत्रण कक्ष फॉयर स्टेशन पर रहेगी। बाढ बचाव संबधी व्यवस्थाओ मे लगे कर्मचारी नियंत्रण कक्ष से प्राप्त सूचनाऐ समय–समय पर त्वरित आदान–प्रदान करेगें व आवश्यकतानुसार बाढ बचाव संबंधी कार्य निष्पादित करेगें।

क. सं.	कार्मिक का नाम	जमादार का नाम	पारी का समय	मोबाईल नम्बर
01	सुरेन्द्र/ओमप्रकाश	श्री राजू राम (जमादार) 9549795624	प्रथम पारी समय प्रातः 06 बजे से दोपहर 02 बजे तक	8290531918
02	मनमीत/लालचन्द			7023263379
03	कैलाश/लाला			9001380529
04	कमलेश/पुरणमल	श्री रवि सांगेला (कार्य.जमादार) 9119143211	द्वितीय पारी समय दोपहर 02 बजे से रात्रि 10 बजे तक	8619416212
05	हरिप्रसाद/सत्यनारायण			8107628100
06	कन्हैयालाल/सतुराम			6350281125
07	लक्ष्मण/रामचन्द्र	श्री नीरज घावरी (कार्य.जमादार) 9929768635	तृतीय पारी समय रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक	7728918911
08	मुकेश/डटियाराम			9660391135
09	प्रेमचन्द/नारायणदास			9660470071

उक्त आदेश की पालना तुरन्त प्रभाव से सुनिश्चित की जावे।

आयुक्त
नगर परिषद, ब्यावर

क्रमांक /स्वास्थ्य/2026–27/5553–62 दिनांक:– 27-7-26

नगर परिषद

1. आश्रय स्थल/होटल/विश्राम स्थलों की सूची मय फोन नम्बर

क्र. सं.	आश्रय स्थल का नाम	केयर गीवर का नाम	मोबाईल नं.
1.	प्राईवेट बस स्टेण्ड के पास विजयनगर रोड आश्रय स्थल ब्यावर	मदन गोपाल साहू	7023046134
2.	बिदाम देवी रेल्वे स्टेशन के पास आश्रय स्थल ब्यावर	गोलु नागर	8955807549

होटल की सूची –

क. स	होटल का नाम	पता	होटल संचालक का नाम	मोबाइल नं.
1	होटल श्री	अजमेर रोड यादव कॉलोनी, ब्यावर	श्री विरेन्द्र सिंह/महेन्द्र सिंह यादव	9414272881
2	तमन्ना रेस्टोरेन्ट	अजमेरे रोड यादव कॉलोनी, ब्यावर	श्री विरेन्द्र सिंह/महेन्द्र सिंह यादव	9214409493
3	होटल शंकुन	अजमरे रोड यादव कॉलोनी, ब्यावर	श्री रामचरण यादव/ मेहन्द्र सिंह यादव	9414009697
4	रामाडा इन होटल	अजमेर रोड यादव कॉलोनी, ब्यावर	श्री दिनेश माहेश्वरी/हरी वल्लभ	9829180627
5	मैसर्स रामाडा इन रेस्टोरेन्ट	अजमेर रोड यादव कॉलोनी, ब्यावर	श्री दिनेश माहेश्वरी/हरी वल्लभ	9829180627
6	होटल शंकर पैलेस	अजमेर रोड यादव कॉलोनी, ब्यावर	श्री कपिल यादव/शंकर सिंह	9414010573
7	कपिल रेस्टोरेन्ट	अजमेर रोड यादव कॉलोनी, ब्यावर	श्रीकपिल यादव/ शंकर सिंह	9414010573
8	शुभम पैलेस होटल	अजमेरी गेट के अन्दर ब्यावर	श्री इन्द्रचन्द पदावत/नोरतमल	9829373806
9	कृष्णा होटल	रॉयल टाकिज के पास अजमेरी गेट	श्रीमती चन्द्रकांता गर्ग/श्याम सुंदर गर्ग	9414009588
10	राजमहल होटल	सेन्दडा रोड़ ब्यावर	श्री रमेश कुमार साहू/मिश्रीलाल	9352411530
11	राजमहल रेस्टोरेन्ट	सेन्दडा रोड़ ब्यावर	श्री रमेश कुमार साहू/मिश्रीलाल साहू	9352411530
12	होटल सूर्यमहल	सेन्दडा रोड़ ब्यावर	श्री गजान्द बजाज/देवीलाल बजाज	9829072160
13	विनोद होटल	सिटी सिनेमा के पास, ब्यावर	श्री हरी पी हमेलानी/प्रतापराम	9314412300
14	दिल्ली इन होटल	सिटी सिनेमा के पास, ब्यावर	श्रीमती शशी गुप्ता/रामपाल गुप्ता	9414347574
15	ज्योति पेराडाईज होटल	उदयपुर रोड़ ब्यावर	श्रीमती सुशीला देवी/अर्जुनलाल	8875007579
16	चन्द्रा पैलेस	देलवाडा रोड़ ब्यावर	श्रीमति चन्द्रकान्ता/मुकेश काठात	9829948932

17	जिन्दल होटल	अजमेर रोड़ ब्यावर	श्री गोपी किशन लोहिया	9829666631
18	कृष्णा कुंज होटल	पांच बती ब्यावर	श्रीमती अनिता गर्ग C/o चान्दमल/श्याम सुन्दर सर्राफ	9414009144
19	श्री केशव होटल	अजमेर रोड़ ब्यावर	श्री राजेन्द्र सिह/महेन्द्र सिंह	9214409493
20	गणपति विश्राम गृह	एन.एच 8 विजय भवन किशनगंज	श्रीमति राजरानी जैन/नोरतमल	820909309
21	ग्रेण्ड गीता होटल	दाधीधम के सामने देलवाडा रोड ब्यावर	श्री राकेश यादव/हरी सिंह एवं श्रीमति सुनिता यादव/राकेश यादव	9214660941
22	गीत रेस्टोरेन्ट	दाधीधम के सामने देलवाडा रोड ब्यावर	श्री राकेश यादव/हरी सिंह एवं श्रीमति सुनिता यादव/राकेश यादव	9214660941
23	श्रीराम रेस्टोरेन्ट एवं कैफे	23/1 मोतीपुरा बाडिया	श्री मुकुल शर्मा/पुष्करनारायण शर्मा	7568148481
24	किंग स्टोन पेराडाईज होटल	सतपुरिया पुलिया देलवाडा रोड ब्यावर	श्री पुनित टांक पुत्र श्री अनिल टांक	9414008954
25	कबिला रेस्टोरेन्ट	सेन्दडा रोड़ ब्यावर	श्रीमती रंजना सिंह/मनोज सिंह पंवार	8005657535
26	राज पैलेस रेस्टोरेंट	गोपाल नगर, मसूदा रोड़, ब्यावर	श्री सूरज करण धाकड़	9414009598
27	आर.आर. ब्रदर्स रेस्टोरेंट	रतनी देवी कॉलोनी कृश्णा धर्मकांटा के पास के सेदरिया पास, बाईपास, ब्यावर	श्री राजेश सिंह पुत्र श्री शंकर सिंह	7023474424
28	फिटनेस जोन जिम	शांति टॉवर रूपबानी सिनेमा मार्ग, ब्यावर	श्री नितीन गांधी पुत्र श्री नृसिंह कुमार गांधी	9352917502
29	विक्रान्त रेस्टोरेन्ट	भगत चौराया ब्यावर	पालीराम/मगनीराम	
30	विक्रान्त होटल	भगत चौराया ब्यावर	पालीराम/मगनीराम	
31	जुपिटर रेस्टोरेंट	अजमेर रोड़, ब्यावर	अनिल कुमार टांक/पुनित कुमार	9887676328

2. <u>सिनेमा घरों की सूची –</u>

क.स.	सिनेमा घर का नाम मय पता	संचालक का नाम	मोबाईल नम्बर
1	गोल्ड सिनेमा	श्री रणजीत सिंह	9414789107
2	जयमन्दिर सिनेमा	श्री पंकज बल्दुआ	9414009821

3. अग्नि शमन वाहन की सूची

क.स.	फायर वाहन संख्या	वाहन प्रकार
1	RJ-36-EA-0372	बडा फायर वाहन
2	RJ-14-GP-8627	बडा फायर वाहन
3	RJ-14-GP-9257	बडा फायर वाहन
4	RJ-36-GA-0479	जीप

4. प्रशिक्षित अग्नि शमन कार्मिकों की सूची –

क.स.	नाम कर्मचारी	पद
1	श्री ताराचन्द भट्ट	सहायक अग्निशमन अधिकारी
2	श्री लक्ष्मीकान्त पारीक	लिडिंग फायरमैन
3	श्री रमेश सोलंकी	फायरमैन
4	श्री महेन्द्र सिंह	फायरमैन
5	श्री लखवेन्द्र सिंह	फायरमैन
6	श्रीमती सुमन देवी	फायरमैन
7	श्री बलराम सिह	फायरमैन
8		फायरमैन
9	श्री विक्की राठौड	फायरमैन
10	सुश्री प्रिंयका चौहान	फायरमैन
11	श्रीमती शिमला मीणा	फायरमैन
12	सुश्री जसोदा	फायरमैन
13	श्री कृष्ण कुमार गुर्जर	फायरमैन
14	श्री देवीलाल योगी	फायरमैन
15	श्री महेन्द्र सिंह	ड्राईवर वाहन चालक
16	मो0 ईस्माईल	ड्राईवर वाहन चालक
17	श्री जीवराज बोयत	ड्राईवर वाहन चालक

5. टेन्ट हाउस की सूची –

क.स.	नाम एवं पता विवाह समारोह स्थल/टेन्ट हाउस	संचालक का नाम	टेलीफोन/मोबाईल नम्बर
1	भोला टेन्ट	भंवर जी	9214050720, 9252067854
2	श्री रामदेव टेन्ट	छगन जी	9829845415, 8107482815
3	मेहरात टेन्ट	बिरदा जी	9252129694, 9214559269
4	श्री दाधीच टेन्ट	श्याम दाधीच	9828459355, 01462–250215
5	श्री जगदम्बा टेन्ट	धर्मेन्द	9351257051, 8955575753
6	श्री राजधानी टेन्ट	मो. रफीक	9785272786, 9828653727
7	चिरंजीव टेन्ट	शिवलाल	9829977278
8	रामदेव टेन्ट	छगन	9351605889, 9214964249
9	सूरज टेन्ट	साजन	9829200429, 9929091121
10	आशा टेन्ट	दलपत मेवाडा	9887090436, 9214786583
11	मिलन टेन्ट	उदा भाई	9982618622, 9413762084
12	टांक टेन्ट	ईश्वर जी	9413286883, 01462–258983
13	ताज टेन्ट	मो. हुसेन	9887740786, 01462–252786
14	गोविन्द टेन्ट	गोविन्द जी	9309432412, 9351260175
15	पंजाब टेन्ट	हरभजन सिंह	9829200429, 9929091121
16	आर.के. टेन्ट	रसूल काठात	9649703703, 9610771703
17	जगदम्बा टेन्ट	हरिसिंह रावत	8003365636, 9214525581
18	ज्योति टेन्ट	राजेन्द्र कुमार	9414355932, 9413867555
19	संगम टेन्ट	सुन्दर लाल टांक	9928189751, 9928043431
20	भवानी टेन्ट	रवी भाई	9269059842, 8696766373
21	ए.के. टेन्ट	सोहन	9983786887, 9549064030

22	फेमस टेन्ट	महेन्द्र	9828189001, 7742581506
23	राजस्थान टेन्ट	मुराद मन्सुरी	9214930249, 7737882508
24	रावत टेन्ट	हरिसिंह	9950191576, 9166911053
25	गंगा टेन्ट	अनिल	9252449831, 9252541031
26	गायत्री टेन्ट	अशोक जी	9214976235, 9587228433
27	शहनाज टेन्ट	शमसेर खां	9829339405, 8386995917
28	सैनिक टेन्ट	सुलेमान	9982806114, 9950788608
29	मेवाडा टेन्ट	असलम	9694674885, 9462187834
30	भरत टेन्ट	भारत	7737351269, 9024267025
31	वैभव टेन्ट	वासू भाई	9887057371, 9460993371
32	गणेश टेन्ट	गणेश	9413226611, 9890922631
33	जितेन्द्र टेन्ट	अशोक शर्मा	9352310094, 01462—255955
34	रावत (बैरवा) टेन्ट	फतहसिंह	9829840016, 9649847532
35	महादेव टेन्ट	मांगीलाल	9269007705, 9649825920

6. परामर्श सेवा प्रदाता/रंगमंच कला केन्द्रो की सूची — शून्य

7. धर्मशालाओं की सूची मय फोन नम्बर —

क्र.सं.	सामाजिक भवनो की सूची	पता	मोबाईल नं.	वार्ड नं.
1	गोड ब्रहामण भवन	बर्फ फैक्ट्री के पास अजमेर रोड ब्यावर		01
2	हंश काम्पलेक्स	अजमेर रोड ब्यावर		02
3	तंवर गार्डन	छावनी फाटक के पास ब्यावर		04
4	मालियान पंचायत भवन	छावनी ब्यावर	7878633694	04
5	सिन्धी धर्मशाला	छावनी ब्यावर		04
6	वस्त्र व्यापार चैरेटेबल ट्रस्ट	चम्पानगर मीरा मन्दिर के पास	9414613429	05
7	गुरूद्वारा	रेलवे स्टेशन के पास ब्यावर	9928451755	07
8	सेवा राम हंश राज धर्मशाला	रेलवे स्टेशन ब्यावर	9314284515	07
9	माहेश्वरी छात्रावास	चांगचितार रोड ब्यावर	9829071505	09
10	सिन्धी धर्मशाला	कसाबान मौहल्ला ब्यावर	01462—256463	10
11	अग्रसेन भवन	नगर परिषद मार्ग ब्यावर	9414010622	11
12	खण्डेलवाल भवन	नगर परिषद मार्ग ब्यावर	7737529288	11
13	रेगरान पंचायत भवन	गोपाल जी मौहल्ला ब्यावर	9314560774	12
14	जैन पंचायत नसिया	बिजयनगर रोड ब्यावर		12
15	मेढ क्षत्रीय पंचायत भवन	तेजा चौक ब्यावर		13
16	मारवाडी पंचायत नौहरा	अजमेरी गेट के पास ब्यावर	9461252199	14
17	बंशी भवन	अजमेरी गेट के पास ब्यावर	7014843391	14
18	ओसवाल पंचायत भवन	खजांची गली, ब्यावर	9414379282	15
19	कुमावत पंचायत भवन	चुनपचान मौहल्ला ब्यावर		17
20	माहेश्वरी भवन	पलीबाजार ब्यावर	9829071505	17
21	हेमलानी धर्मशाला	चर्च रोड ब्यावर		17
22	रेगरान पंचायत भवन	राठी गार्डन के पास		18
23	सेन पंचायत भवन	शाहपुरा मौहल्ला ब्यावर	9829073974	19
24	मालियान पंचायत भवन	शाहपुरा मौहल्ला ब्यावर	9928661339	19
25	सोमनाथ मन्दिर	खन्ना कॉलोनी ब्यावर		21
26	जटिया समाज पंचायत भवन	जटिया कॉलोनी ब्यावर		21
27	कुमावत पंचयात भवन	कृष्णा कॉलोनी ब्यावर		25

28	चन्द्र जैन औषधालय	विनोद नगर ब्यावर		26
29	गुर्जर गौड छात्रावास	ब्रहामानन्द मार्ग ब्यावर	9414009622	26
30	श्री रेगरान पंचायत विनायक सभा भवन	रेगरान छोटा बास शाहपुरा मोहल्ला ब्यावर	9950189997	26
31	महावीर भवन	64–65 विनोद नगर ब्यावर	9414281764	26
32	श्री जैन दिवाकर भवन	मेवाडी गेट के पास ब्यावर	9460209105	26
33	दर्जीयान पंचायत भवन	रेगरान मौहल्ला, ब्यावर		26
34	पीपाडा भवन	सांई का तकिया गली ब्यावर		27
35	तेलियान पंचायत भवन	तेलियान मौहल्ला ब्यावर	9413646822	28
36	कुमावत पंचायत भवन	सुन्दर नगर ब्यावर	9252751223	29
37	प्रेम प्रकाश आश्रम	नन्द नगर ब्यावर		30
38	रेगरान पंचायत भवन	जमालपुरा ब्यावर		31
39	पी.जी. फोईलस	सेन्दडा रोड ब्यावर		34
40	काठात भवन	राठी गार्डन के पास ब्यावर		36
41	कुमावत भवन	कुमावत कॉलोनी फतेहपुरिया दोयम ब्यावर	9950562783	36
42	मालियान पंचायत भवन	सेन्दडा रोड ब्यावर	9214050720	38
43	विश्वकर्मा पंचायत भवन	प्रताप नगर गली नं.2 ब्यावर	8829977781	39
44	चंचल दास भेरू लाल धर्मशाला	प्रताप नगर ब्यावर		39
45	रांकावत भवन	कृष्णा कॉलोनी शिव मन्दिर ब्यावर	8233444050	40
46	मुक्ता मिश्री जैन भवन	परमेश्वर नगर, जवाहर भवन के पास	01462–255530 9828054770	44
47	जैन जवाहर मित्र मण्डल	जवाहर भवन विनोद नगर के पीछे ब्यावर	01462–257124	44
48	गोविन्दम भवन	विनोद नगर भोजपुरा रोड, ब्यावर	9460791958	44
49	भैरू जी की बगीची	कृषि मण्डी के सामने, ब्यावर		45
50	ओंकारेश्वर गार्डन	जैन गुरूकुल स्कूल के सामने ब्यावर	9414653336	47
51	बाकेश्वर मैरीज हॉल	चौहान कॉलोनी ब्यावर		50
52	मालियान पंचायत भवन	सूरजपोल गेट के बाहर, ब्यावर	8619167270	50
53	साहू वाटिका	बिजयनगर रोड ब्यावर	9829072494	50
54	फतेहपुरिया बगीची	अजमेर रोड सतपुलिया के पास ब्यावर	9214433622	54
55	दाधीच भवन	देलवाड़ा रोड़ ब्यावर	9414867222	58
56	यादव भवन	देलवाडा रोड ब्यावर		58

8. विवाह स्थलों की सूची मय फोन नम्बर –

क्र. सं.	विवाह स्थल का नाम	पता	संचालक का नाम	मो.नं.
1	पी पी एस पेराडाइस	नृसिंहपुरा, अजमेर रोड	श्री हरीजीत सिंह/परमेन्द्र सिंह व सतवन्त कौर/परमेन्द्र सिंह	9462522129
2	कौशल्या गार्डन	अजमेर रोड	श्रीमती चन्द्रावती गर्ग	01462 226569, 9414009569
3	बृजचन्दा गार्डन	अजमेर रोड	श्री मोहनलाल/चांदमल	9214009141

4	केशव नैन गार्डन	गायत्री नगर, अजमेर रोड	श्री ओमप्रकाश गर्ग /श्यामसुन्दर	9414009144
5	अमर कुँज गार्डन	आदर्श नगर, अजमेर रोड	श्री बालूराम बोदूराम c/o श्री धनप्रकाश सिंहल	9829547527
6	द्वारकाधीश गार्डन	अजमेर रोड, सतपुलिया के पास	श्री कालूराम/पन्नालाल वगैरहा	9214310566
7	केसरी नंदन गार्डन	देलवाडा रोड, सतपुलिया तिराहा	श्री भंवरलाल/जग्गु गहलोत	8104797076, 9252171198
8	राधा कुँज गार्डन	चित्रकुट कॉलोनी, देलवाडा रोड	श्री शंकरसिंह यादव/वेगराज	9414010573
9	लक्ष्मीनयन गार्डन	मसूदा रोड	श्री देवेन्द्रसिंह/देवीलाल यादव	9414668891, 7737247151
10	उत्सव वाटिका	कृष्ण नगर मसूदा रोड	श्री अजय शर्मा/केदार प्रसाद	9413041395, 9829173535
11	प्रभु की बगियां	मसूदा रोड, पुराना चुंगी नाका के पास	श्री मोहनलाल/प्रभुलाल दगदी	9414008997
12	गहलोत मैरिज गार्डन	नसियां मार्ग, विजयनगर रोड	श्री घीसूलाल/खुमा गहलोत	9783469398
13	गोकुलम गार्डन	राठी मेंशन, शाहपुरा मोहल्ला	श्री प्रदीप कुमार/गोकुलदास	8769068915
14	सूरज भवन मैरिज गार्डन	सब्जी मण्डी के पास, मेवाडी गेट के बाहर	श्री उत्तमचंद/सूरजमल	9828554543
15	शिव बाड़ी	मेवाडी गेट बाहर	श्रीमती कमला देवी/रामनिवास	94606612781
16	प्रेरणा गार्डन	कृषि मण्डी, उदयपुर रोड़	श्रीमती पदमा देवी/नेमीचन्द	9413693659
17	न्यू वृन्दावन गार्डन	आशापुरा माता मन्दिर	श्री पुखराज साहू/धन्नालाल	9828649433
18	रांकाजी की बगीची	मेवाडी गेट के बाहर	श्री धनराज रांका/ नेमीचन्द रांका	9828038081
19	गणेशम विवाह स्थल	मेवाडी गेट बाहर	श्री ज्ञानचंद जैन/ नथमल नाबेडा वगैरहा	9829070202, 9352411110
20	बोहरा गार्डन	ब्रह्मानंद रोड़	श्री ज्ञानचंद बोहरा/प्रेमराज	9414008932
21	कार्तिक ओम सत्यम गार्डन	कॉलेज रोड़	श्री अनिल आर्य/आमेप्रकाश व श्रीमती सत्यवती/ओमप्रकाश	9414009939

			आर्य	
22	होटल सूर्य महल	सेन्दड़ा रोड़	श्री गजानन्द बजाज/देवीलाल	9829072160
23	होटल राजमहल	जोधपुर रोड़	श्री राजसाहू/रमेश कुमार	9829073756
24	अशोक पैलेस	सेन्दड़ा रोड़	श्री दिलीप कुमार, सतीश कुमार, नरेश कुमार/अशोक कुमार मदानी	9950562976
25	एच.एल.पैलेस	चॉग चितार रोड़	श्री जसदीप पंजाबी/ गुरूबच्चनसिंह	7703708808
26	लॉज हवेली	मिलरोड़ रेल्वे फाटक के पास	श्री गरूबच्चनसिंह / हवेलीराम	9314402909
27	रंगजी की बगीची	मेवाडी गेट बाहर कडीवालान मार्ग	श्री विवेक जैन / रतनलाल जैन	9828172845, 9414000701

पुलिस विभाग प्रमुख दूरभाष नं.

क्र. सं.	नाम अधिकारी		कार्यालय/ थाने का नाम	टेलिफोन नम्बर	मोबाईल नम्बर	ईमेल आईडी
1	डॉ. रवि	IPS	महानिरीक्षक पुलिस, अजमेर रेंज अजमेर	0145-2624808		igp-ajm-rj@nic.in
2	श्री रतन सिंह	IPS	पुलिस अधीक्षक	01462-258100	9783818123	sp-bwr-rj@gov.in sp.bwr.rj@rajpolice.gov.in
3	श्रीमति डॉ अनुकृति उज्जैनिया	RPS	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक		9414028248	addspbeawar@gmail.com
वृत ब्यावर						
4	श्री नरेन्द्र पारीक	RPS	वृताधिकारी वृत, ब्यावर	01462-256369	9413049100	cobeawar@agmail.com
5	श्री आशुतोष पाण्डे	CI	थानाधिकारी ब्यावरसिटी	01462-255977	9413673145	shobeawarcity@gmail.com
6	श्री गजराज	CI	थानाधिकारी ब्यावर सदर	01462-226755	9829063985	shobwrsadar@gmail.com
7	श्री सुरजीत ठोलिया	CI	थानाधिकारी साकेतनगर	01462-299071	9414243953	shosktnagar@gmail.com
8	श्री नवल किशोर	CI	थानाधिकारी जवाजा	01462-267035	9460944445	shojawaja@gmail.com
9	श्री रणजीत सिंह	CI	थानाधिकारी टॉटगढ़	01462-299215	9887071415	ps.todgarh@gmail.com
10	श्रीमति विधा मीणा	CI	थानाधिकारी महिला थाना	–	7014728884	–
11	श्री राजदीपेन्द्र	CI	थानाधिकारी साईबर थाना	–	9414805976	–
वृत मसूदा						
12	श्री शिवराज सिंह	RPS	वृताधिकारी वृत मसूदा	01462-299406	7014555518	comasuda2022@gmail.com
13	श्री विजय सिंह	SI	थानाधिकारी मसूदा	01462-266839	9784000183	shomasudajm@gmail.com
14	श्री राजवीर सिंह	CI	थानाधिकारी विजयनगर	01462-230099	9414499056	shobjnr@gmail.com
15	श्री समजिदा बानो	CI	थानाधिकारी बार	–	9571459012	sho.psbaar@gmail.com
16	श्री शंभुदयाल मीणा	CI	थानाधिकारी बदनौर	01480-225595	8905255881	sho.bdn.bla@gmail.com
वृत जैतारण						
17	श्री रमेन्द्र सिंह हाड़ा	RPS	वृताधिकारी वृत जैतारण	02939-222302	9929595090	cojaitaranpali@gmail.com
18	श्री धोलाराम	CI	थानाधिकारी जैतारण	02939-222232	9351744824	ps.jaitaran@gmail.com
19	श्री गणपत राम	CI	थानाधिकारी आनन्दपुर कालु	02939-283246	9549456968	ps.kalu01@gmail.com
20	श्रीमति मंजू मूलेवा	CI	थानाधिकारी रास	–	9413180443	stationras0@gmail.com
वृत रायपुर						
21	श्री बंशीलाल	RPS	वृताधिकारी वृत रायपुर	–	9829835577	–
22	श्री हरिराम	CI	थानाधिकारी सेन्दड़ा	02937-272222	9460204415	ps.sendra@gmail.com
23	श्री राजूराम सिरवी	CI	थानाधिकारी रायपुर		9928137903	ps.raipur@gmail.com
24	श्री पन्नालाल	SI	थानाधिकारी बर	02937-299101	7877876700	ps.bar2022@gmail.com
एस.पी. ऑफिस						
25	श्री असलम	SI	अपराध सहायक	–	9694864786	–
26	श्री दीपक फुलवारी	PA	गोपनीय शाखा	–	7742263303	–
27	श्री कुंभाराम	SI	रीडर	–	9414300198	–
28	श्री रामप्रसाद	ASI	प्रभारी गोपनीय शाखा	–	9414767337	–
39	श्री कमल	ASI	डीएसबी शाखा	–	9119197006	–

30	श्री प्रहलाद मीणा	ASI	प्रभारी परिवाद शाखा	–	9330256071	–
पुलिस उप अधीक्षक, साईबर						
31	श्री अनिल पुरोहित	RPS	सी.ओ साईबर		9828491606	–
डीएसटी						
32	श्री राजदीपेन्द्र	CI	प्रभारी डीएसटी		9414805976	–
यातायात शाखा						
33	श्री पूनमचन्द विश्नोई	SI	प्रभारी यातायात शाखा		9413703733	–
पुलिस नियन्त्रण कक्ष						
34	श्री नारायण सिह	ASI	पीसीआर	01462-250100	9530421717	9414678837
पुलिस लाईन						
35	श्री धनराज	SI	रिजर्व इंस्पेक्टर	9079010565	–	–
36	श्री मंजीत	HC	मेजर	8005844457	–	–
37	श्री प्रवीण	HC	एमटीओ	8005866507	–	–